खण्ड-279, अंक-8
शुक्रवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1891
(29 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७८९–७९३
प्रश्नोत्तर	७९३–८०७
२५ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	८०७–८११
सदन में पुलिस न बुलाने के संबंध में आश्वासन के लिए प्रार्थना (जारी)	८११–८१२
२५ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	८१२ ८१३
सदन के अधिकारों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	८१३–८१४
२५ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	८१४
सदन में पुलिस न बुलाने के संबंध में आश्वासन के लिए प्रार्थना	८१४–८१७
पुलिस कप्तान, एटा को श्री सतीश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा को गोली लगने के संबंध में निलम्बित करन की मांग	८१७–८१९
भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद पर श्री वी० वी० गिरि के निर्वाचन पर बधाई का प्रस्ताव (सर्व सम्मति से पारित)	८१९
नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के कर्मचारियों के हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तगत वक्तव्य	८१९–८२१
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में वक्तव्य (स्थगित)	८२१
उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	८२१–८२३
उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	८२३ ८४४
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन, विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	८४५–८५२
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	८५२–८५३
आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान में इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३ (१९५३ का ३४) कुछ अधिनियमों में संशोधन का संकल्प (पारित)	८५३–८५५
माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य की समाप्ति	८५५
राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा बिजनौर के डाकू रामानन्द को आश्रय देने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	८५६
समितियों के निर्वाचन के लिये नाम-निर्दशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि के संबंध में सूचना	८५६
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा (जारी)	८५६–८७८
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८७९
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा (समाप्त)	८७९–८९४
तत्थियां	८९५–९०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २९ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीज जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफ़ाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ़ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ़्फ़रनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ़ लाल बाबू)
निहालसिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल, सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदर्नासिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ़ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ़ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री

राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफ़ी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री

रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफ़ीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ़ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री

शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, शर्मा श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनार्थसिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ़ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा–फ़तेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा–पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

---

†प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २९ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सुभाष इन्टर कालेज, भटनी में हड़ताल

**१—श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुभाष इंटर कालेज, भटनी देवरिया के छात्रों ने दिनांक १२ अगस्त, १९६९ से यूनियन की स्थापना हेतु प्रिंसिपल के रवैये एवं कालेज में गबन के विरुद्ध हड़ताल कर दी है ?

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४१ के अन्तर्गत छापे गये।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

केवल ११ अगस्त को आंशिक हड़ताल दो अध्यापकों को निकाले जाने, छात्र संघ बनाने तथा प्रिंसिपल द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में की गई थी।

**२—श्री हरिवंश—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त सूचना पर विभाग ने कौन-सी कार्यवाही की?

श्री रामजीलाल सहायक—

छात्र संघ बनाने की मांग प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकार कर ली गई तथा कथित भ्रष्टाचार के संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक जांच की जायेगी।

शाहजहांपुर में भूमि–भवन–कर का विरोध

**३—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर नगरपालिका द्वारा लगाये गये भूमि-भवन-कर के विरोध में शहर में १३ अगस्त, १९६९ को पूर्ण हड़ताल रही और इस कर से जनता में बड़ा असंतोष है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर को न लगाने का आदेश नगरपालिका शाहजहांपुर को देने की कृपा करेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

शासन को जिलाधीश शाहजहांपुर के माध्यम से शाहजहांपुर के कुछ नागरिकों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें गृह-कर के विरोध में १३ अगस्त, १९६९ को नगर में हड़ताल होने का उल्लेख है। शाहजहांपुर नगरपालिका द्वारा गृह-कर १ मई, १९६९ से लगाया गया है और शासन द्वारा उसे वापस लेने के आदेश दिये जाने का कोई विचार नहीं है।

अलीगढ़ एवं सिकन्दराराऊ अवक्रमित नगरपालिकाओं का चुनाव

**४—श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला की अलीगढ़ एवं सिकन्दराराऊ नगरपालिकायें कब से निलम्बित (सुपरसीडेड) हैं और उपरोक्त नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री अतीकुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

नगरपालिका अलीगढ़ दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ से।

नगरपालिका सिकन्दराराऊ दिनांक १५ मई, १९६९ से एक वर्ष के लिए सुपरसीडेड हैं। नगरपालिका अलीगढ़ में चुनाव नगरपालिकाओं के आम चुनाव के साथ कराने का विचार है और नगरपालिका सिकन्दराराऊ का चुनाव अवक्रमण-काल समाप्त होने के पूर्व कराया जावेगा।

मथुरा वेटेरिनरी कालेज के प्रिंसिपल को लखनऊ बुलाना

**५—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १ जुलाई, १९६९ से २० जुलाई, १९६९ के भीतर किसी दिन भी मथुरा वेटेरिनरी कालेज के प्रिंसिपल को वन तथा पशुपालन सचिव ने लखनऊ इस अनुरोध से बुलाया था कि व अपने साथ उक्त कालेज के पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में इस वर्ष भरती हेतु लिये गये प्रवेशार्थियों के साक्षात्कार के परिणाम सहित यहां आयें?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

१ जुलाई, १९६९ से २० जुलाई, १९६९ की अवधि में किसी दिन भी मथुरा वैटेरिनरी कालेज के प्रिंसिपल को सचिव वन एवं विशेष सचिव पशु पालन ने लखनऊ किसी भी कार्य से नहीं बुलाया । प्रिंसिपल को निदेशक पशु पालन द्वारा १८ जुलाई, १९६९ को एक मीटिंग में, जो राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान के स्नातकों को रोजगार देने की समस्या पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी, बुलाया गया था । पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में भरती हेतु लिये गये प्रवेशार्थियों के साक्षात्कार के परिणाम से इस मीटिंग का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

**६—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

क्या यह सच है कि प्रिंसिपल महोदय आकर वन तथा पशुपालन सचिव से मिले और जब सचिव ने एक ऐसे अभ्यर्थी को भरती करने के लिए कहा, जिसकी सिफ़ारिश एक माननीय मंत्री द्वारा सचिव के माध्यम से की गई थी, तो प्रिंसिपल ने ऐसा करने से इंकार किया और उनसे कहा गया कि क्लास में सीट बढ़ा कर उक्त अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे तथ्य से सदन को अवगत करायेगी ?

डाक्टर सीताराम—

प्रिंसिपल से किसी अभ्यर्थी को भरती करने की सिफारिश नहीं की गई थी और इस लिये उनके इंकार करने या कक्षा में सीट बढ़ा कर ऐसे किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने का प्रस्ताव करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के कार्यालय के सामने बी० टी० सी० के अनुत्तीर्ण छात्राध्यापकों की भूख हड़ताल

*३—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जौनपुर जिले के किसान आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज द्वारा बी० टी० सी० के छात्राध्यापकों से जो अनधिकृत रुपया (प्रत्येक छात्र से लगभग ५०० रु०) वसूल किया गया था उसे सरकार के आदेश के बाद भी छात्राध्यापकों को वापस न दिये जाने के विरोध-स्वरूप उक्त छात्राध्यापकों ने जौनपुर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार इसकी विस्तृत जानकारी सदन को देने की कृपा करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां । किसान आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर से संलग्न बी० टी० सी० कक्षा के १० अनुत्तीर्ण छात्राध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के कार्यालय के सामने अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी । परन्तु यह भूख हड़ताल अनधिकृत रुपया वापस न दिये जाने के विरोध-स्वरूप नहीं किया गया था वरन् अन्य मांगों के समर्थन में किया गया था ।

जौनसार–बावर क्षेत्र में अनैतिक व्यापार के लिये युवतियों का विक्रय

*४—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या समाज कल्याण मंत्री को इसकी जानकारी है कि देहरादून जिले के जौनसार-बाबर क्षेत्र में हाल में २७ युवतियों को अनैतिक व्यापार के लिये बेंच देने के कथित काण्ड की जांच सरकार द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

समाचार-पत्रों से इसकी जानकारी हुई किन्तु जांच कराने पर जौनसार-बाबर क्षेत्र में २७ युवतियों के अनैतिक व्यापार हेतु बेचे जाने के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। समुचित प्रमाण मिलने पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

[२९ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मुजफ्फरनगर जिले में सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सुपरवाइजर ७ वर्ष से अधिक समय से मुजफ्फरनगर जिले में तैनात हैं और क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

ऐसे कुल ८ सुपरवाइजर हैं:—

२ सुपरवाइजर १९५७ से,

३ सुपरवाइजर १९५८, १९५९ और १९६१ से,

३ सुपरवाइजर १९६२ से।

सुपरवाइजरों के संबंध में यूनियन का नियम एक जिले में ६ साल तक रखने का है। जिन सुपरवाइजरों को ६ साल से अधिक समय एक जिले में हो गया है उनके तबादले के बारे में आवश्यक कार्यवाही/जांच की जा रही है।

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में हरिजनों के लिये भूमि तथा पेय जल व्यवस्था

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल के हरिजनों की स्थिति को समझने के लिये कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी नहीं।

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल के हरिजनों के लिये पेय जल एवं भूमि व्यवस्था के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

दोनों मंडलों में अनुसूचित जातियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष १९६९-७० में ४,००० रु० तथा पूरी चतुर्थ योजना में १,६६,००० रुपये का प्राविधान किया गया है।

प्रश्नगत मंडलों के स्थायी निवासियों को भूमि देने की जो राजस्व विभाग की योजना है उसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को वरीयता देने का प्राविधान है। तत्संबंधित शासनादेश दिनांक २७ अक्तूबर, १९६७ की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९५-८९६ पर)

राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई के भवन का विस्तार

*४—श्रीमती आशासिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई जिले में गवर्नमेंट इन्टर कालेज, हरदोई की इमारत को विस्तार करने के लिये जो धन सरकार ने स्वीकार किया वह अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई के भवन विस्तार हेतु कोई धन शासन द्वारा अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

बी० टी० सी० के भर्ती नियमों में संशोधन

*६—श्री हरिवंश—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि गत मध्यावधि चुनाव के उपरान्त सरकार ने बी० टी० सी० के प्रत्याशियों के भर्ती के नियम में शोधन किया है? यदि हां, तो क्या और किन कारणों से ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां। प्रमुख संशोधन संलग्नक में दिये गये हैं। ये संशोधन मुख्यतः प्रशासकीय दृष्टि से किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९७ पर)

मुरादाबाद जिले में इनफैंट पाउडर मिल्क फैक्टरी के लिये अर्जित भूमि का मुआविजा

*७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ग्राम बलपतपुर, जिला मुरादाबाद में इनफैण्ट पाउडर मिल्क फैक्ट्री के लिये एक्वायर की गयी है उसका मुआवजा दिनांक २० जुलाई, १९६९ तक किसानों को किन कारणों से नहीं दिया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत मामले पर जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद व राजस्व परिषद् के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है। निर्णय न हो सकने के कारण मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है।

*८—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री को यह मालूम है कि उक्त जमीन पर दो साल से कब्जा किया जा चुका है और इमारतें बन चुकी हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जी हां ।

गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान

*९—श्री हरिवंश—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बातायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले ३ वर्षों में १९६६-६७, १९६७-६८ व १९६८-६९ में अनावर्तक अनुदान कितने गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को दिया गया है ? क्या सरकार इसकी सूची सदन में प्रस्तुत करेगी ? उक्त अनुदान किस आधार पर स्वीकार किया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इस प्रश्न में अभीष्ट सूचना से जो लाभ होगा वह उसे एकत्रित करने में निहित श्रम तथा व्यय के समतुल्य न होगा ।

*१०—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

रामपुर जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*११—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार स्वार कस्बा, जिला रामपुर में कोई राजकीय हाई स्कूल खुलवाने का विचार कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं ।

*१२—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार माह से रामपुर में जिला परिषद् के अन्तर्गत चल रहे विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

पिछले ४ महीनों में से अप्रैल एवं मई के वेतन का भुगतान किया जा चुका है तथा जून एवं जुलाई माह के वेतन भुगतान हेतु शासकीय अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है । आशा है उपर्युक्त मासों का वेतन भी अब शीघ्र ही वितरित कर दिया जायेगा ।

हरिजन कल्याण विभाग में कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

*१३—श्री राम सागर—

क्या समाज तथा हरिजन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि हरिजन कल्याण विभाग में प्रदेश स्तर पर शासन द्वारा सन् १९६३ से ४९ कनिष्ठ लिपिकों के पद स्थायी घोषित किये हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से उन कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी नहीं । हरिजन कल्याण विभाग के अधीन १९६३ से अब तक ३६ कनिष्ठ लिपिकों के पद स्थायी घोषित किये गये हैं । इनमें से १५ पदों पर कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जा चुका है ।

हरिजन कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कोई कोटिक्रम सूची नहीं बनी थी, उसे तैयार करने के पश्चात् आपत्तियां मांगी गईं, जो आपत्तियां प्राप्त हुईं उनका निबटारा करके अंतिम कोटिक्रम सूची तैयार कर ली गई है जिसके आधार पर शेष कनिष्ठ लिपिकों के स्थायीकरण का विषय सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

जयनारायण तथा बप्पा श्रीनारायण डिग्री कालेजों में अध्यापकों का वेतन

*१४—श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री कालेजों, जयनारायण डिग्री कालेज तथा बप्पा श्री नारायण डिग्री कालेज में फरवरी, १९६९ में अध्यापकों द्वारा की गई हड़ताल के समय का वेतन अब तक न दिये जानेके क्या कारण हैं तथा वह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

हड़ताल के समय के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

*१५—श्री सूरज लाल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ स्थित जयनारायण डिग्री कालेज तथा बप्पा श्री नारायण डिग्री कालेज के अस्थायी अध्यापकों को लखनऊ विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम के अनुसार वतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

बप्पा श्री नारायण वोकेशनल डिग्री कालेज में सभी अध्यापकों को तथा श्री जयनारायण डिग्री कालेज में अनुदानित पदों पर कार्य करने वाले अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार वतन दिया जाता है।

सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद के प्रधान अध्यापक पर गबन का आरोप

*१६—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि सनातन धर्म इन्टर कालेज, मुरादाबाद के प्रधानाचार्य ने २४ (दो सौ चौंतीस) परिगणित जातीय छात्रों के फर्जी नाम लिख कर छात्र-वृत्ति तथा फीस का गबन किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

मुरादाबाद में सनातन धर्म इन्टरमीडियेट कालेज नाम का कोई विद्यालय नहीं है। परन्तु एक सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल है जिसके प्रधान अध्यापक के विरुद्ध इस प्रकार के गबन का आरोप है। यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है तथा उनके द्वारा जांच की जा रही है।

गोरखपुर जिले में छात्रों की भर्ती में कठिनाई

*१७—श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कालेजों के १०वीं तथा १२वीं कक्षा के क्रमशः अनुत्तीर्ण १०२ तथा ११७ छात्रों को प्रवेश नहीं

मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१८—श्री सतीश चन्द्र—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कमल संयुक्त सहकारी खेती समिति, तिगड़ी द्वारा ऋण वितरण

*१९—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार सघन सहकारी समितियों को तोड़ कर उनके स्थान पर ग्राम सहकारी समिति बनाने का है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं ।

*२०—श्री चेतराम गंगवार—

क्या यह सही है कि बहेड़ी ब्लाक, जिला बरेली में कमल सहकारी समिति तिगड़ी में १,१४,००० (एक लाख चौदह हजार रुपये) वहां के कर्मचारियों द्वारा वर्ष १९६८-६९ का सदस्यों में नहीं बांटा गया ? यदि हां, तो सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जांच करा के कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कमल सहकारी समिति का पूरा नाम कमल संयुक्त सहकारी खेती समिति तिगड़ी, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली है ।

संयुक्त सहकारी खेती समितियों के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण नहीं बांटा जाता है । अतः वर्ष १९६८-६९ के उक्त समिति के सदस्यों को ऋण बांटने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*२१—श्री उपेन्द्रनाथ—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२—श्री फिरंगी—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३—श्री श्यामलाल—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रतापगढ़ जिले में हरिजन बस्तियां

*२४—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत १९६२ ई० से आज तक कितनी हरिजन बस्तियों के निर्माणार्थ हरिजन कल्याण विभाग से कितना और कब अनुदान दिया गया है ? कितनी हरिजन बस्तियां बन चुकी हैं, कितनी बन रही हैं और कितनी बस्तियों का निर्माण-कार्य अभी आरम्भ ही नहीं हुआ है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी हां। वांछित सूचनायें संलग्नक में दी हुई हैं।

कुल ७ बस्तियों के निर्माणार्थ अनुदान दिए गए थे जिनमें ५ पूर्ण हो गई हैं तथा २ आंशिक रूप में बन गई हैं और १ अपूर्ण है। सभी बस्तियों में निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है, किन्तु इस समय स्थगित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९८–८९९ पर)

जिला परिषद् पीलीभीत के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*२५—श्री तेज बहादुर (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला परिषद् पीलीभीत में किन-किन सहायक अध्यापिकाओं को वेतन फरवरी, १९६९ से जून, १९६९ तक, ८ मार्च, १९६५ से ३० जून, १९६५ तक तथा १ जून, १९६२ से १० अगस्त, १९६२ तक का नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों और दिया जावेगा तो कब तक?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां, जिला परिषद्, पीलीभीत के अन्तर्गत संलग्न तालिका में अंकित अध्यापिकाओं को उनके सम्मुख अंकित कारणों से फ़रवरी १९६९ से जून १९६९ तक की अवधि में कुछ समय का वेतन नहीं दिया गया है। इनके मामले निपटाकर अक्तूबर, १९६९ तक भुगतान कर दिया जायेगा।

८ मार्च, १९६५ से ३० जून, १९६५ की अवधि में केवल श्रीमती कौशिल्या देवी को १७ मई, ६५ से ३० जून, ६५ तक का वेतन नहीं दिया गया। क्योंकि इनका मामला जांच में था। अब जांच हो गयी है और परिषद् की आगामी बैठक में स्वीकृति लेकर भुगतान कर दिया जायेगा।

१ जून, १९६२ से १० अगस्त, १९६२ तक की अवधि में किसी अध्यापिका का वेतन नहीं रुका है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०० पर)

*२६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

डिप्टी जनरल मैनेजर, यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव लैण्ड डेवलपमेंट बैंक लि० लखनऊ का दौरा

*२७—श्री दर्शनसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट लैन्ड डेवलपमेंट बैंक, लखनऊ राज्य भूमि विकास बैंक, के डिप्टी जनरल मैनेजर ने गत जनवरी, १९६९ से जुलाई, १९६९ तक राज्य में या राज्य के बाहर किन-किन स्थानों का दौरा किया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

डिप्टी जनरल मैनेजर, यू० पी० कोआपरेटिव लैण्ड डेवलपमेन्ट बैंक लि० लखनऊ ने जनवरी, १९६९ से जुलाई, १९६९ तक सिकन्दरारा३ (जिला अलीगढ़), गाजीपुर, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, बम्बई, नैनीताल, दिल्ली, फैजाबाद, चंदौली (जिला वाराणसी), गोरखपुर, विधूना (जिला इटावा) आजमगढ़ एवं रायबरेली का दौरा किया।

*२८—श्री बलसिंगार—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उनके उक्त दौरे का प्रयोजन क्या था और उक्त दौरे के लिये राजकीय कोषागार से टी० ए० तथा डी० ए० के रूप में उन्हें कितने रुपये का भुगतान किया गया और कितना अभी बाकी है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

उनके उक्त दौरों का प्रयोजन भूमि विकास बैंक का कार्य था। उनके उक्त दौरे के लिये राजकीय कोषागार से टी०ए० तथा डी०ए० के रूप में न कोई भुगतान किया गया और न बाकी है।

जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के संचालक मण्डल का चुनाव

*२९—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के वर्तमान निदेशक मंडल का चुनाव हुये नियमानुसार समय बीत जाने के बाद भी नया चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं तथा चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के संचालक मंडल का चुनाव वार्षिक अधिवेशन में पिछली बार ८ अगस्त, १९६५ को हुआ था। उसके बाद २३ जुलाई, ६७ को होने वाला अधिवेशन जिलाधीश ने सुरक्षा तथा व्यवस्था के आधार पर स्थगित करा दिया। पुनः ७ जनवरी, ६८ को होने वाला वार्षिक अधिवेशन भी एक मुकदमें की वजह से रोक दिया गया। अब नए सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव होने वाले हैं उसी समय वहां भी चुनाव होगा और नया बोर्ड आ जायगा।

*३०-३१—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिए गये।]

*३२—श्री प्यारेलाल—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३३—श्री मोहनलाल कपूर—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के खिलाफ गबन की जांच

*३४—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के खिलाफ़ मेरठ जिले के एक स्कूल में गबन संबंधी इंक्वायरी चल रही है ? यदि हां, तो इस अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी हां। सी० आई०डी० द्वारा जांच चल रही है। जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही करने के संबंध में विचार किया जायगा।

*३५—श्री मनफूल सिंह—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी का स्थानान्तरण मुजफ्फरनगर से जुलाई, १९६९ में टिहरी-गढ़वाल हो गया था अब क्यों रोक दिया गया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी हां । स्थानान्तरण जनहित में रोका गया है ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फतेहगढ़ का भवन

*३६—श्री महरम सिंह (जिला फ़र्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फ़र्रुखाबाद जिले में राजकीय कन्या इन्टर कालेज, फ़तेहगढ़ का पुराना भवन कतई गिर गया है और सरकार ने उसे बनाने के लिये कई वर्ष पहले धन स्वीकार किया था फ़िर भी अभी तक भवन की नींव तक नहीं पड़ी है ? क्या सरकार को पता है कि फ़तेहगढ़ राजकीय कन्या इन्टर कालेज में एक हजार से अधिक छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं ? यदि हां, तो कितने कमरे वाले स्थान (भवन) में शिक्षा दी जा रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फ़तेहगढ़ जो पहिले से ही किराये के भवन में चलता था, १९६३-६४ में गिर गया। विद्यालय भवन के निर्माण का प्राविधान वर्ष १९६२-६३ में ही कर लिया गया था किन्तु भूमि जुलाई १९६८ में उपलब्ध हो सकी । सार्वजनिक निर्माण विभाग आगणन तैयार कर चुके हैं और आशा है कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जायगा ।

जी हां ।

प्रधानाचार्य व कार्यालय के कमरों को छोड़कर, विद्यालय ९ कमरे वाले भवन में दो पाली में चलाया जा रहा है ।

हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन

*३७—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को १९६५-६६ के वेतन का बकाया धन भुगतान कब तक किया जावेगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

संस्था के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से वर्ष १९६५-६६ के वेतन का कोई भी धन भुगतान के लिये बाकी नहीं है ।

*३८—श्री श्यामलाल—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

हायर सेकेण्डरी स्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान

*३९—श्री रामलखन सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में प्रदेश के किन-किन जिलों में किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किया गया तथा यह अनुदान देने में सरकार ने क्या आधार रखा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सूचना संलग्न † सूची क, ख और ग में अंकित है ।

---

† छापी नहीं गई ।

*४०—श्री रामलखन सिंह तथा श्री सूबेदारसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१—श्री महीलाल—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

*४२-४३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

जिला सहकारी संघ देवरिया के खजांची द्वारा गबन

*४४—श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ देवरिया का खजांची एक लाख रुपया सहकारी संघ का आज से कुछ माह पहले लेकर भाग गया है ? यदि हां, तो विभाग की ओर से उस खजांची के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

ऐसी कोई जानकारी शासन को नहीं है जिसके अनुसार जिला सहकारी संघ देवरिया का खजांची संघ का एक लाख रुपया लेकर भाग गया हो । यह बात जानकारी में आई है कि खजांची ७ मई, ६९ को संघ के रेकर्ड का चार्ज देकर लापता हो गया । उसके बाद संघ के कागजात की जांच करने पर अब तक खजांची के जिम्मे ३८,९१४ रु० ८१ पैसे का गबन एवं दुरुपयोग प्रकाश में आया है खजांची को निलम्बित कर दिया गया, गबन की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई । गबन की गई धनराशि की वसूली हेतु सालसी कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है ।

*४५—श्री दीपनारायण मणि—

उपरोक्त संघ को सरकार ने गत जुलाई, सन् १९६८ से गत जून सन् १९६९ तक कितना ऋण दिया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कुछ नहीं ।

*४६—श्री बृजराजसिंह—

[७वें गुरुवार के तारांकित प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शहीद रामचन्द्र इन्टर कालेज, बसन्तपुर घूसी के अध्यापक श्री चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल द्वारा आमरण अनशन

*४७—श्री बांकेलाल तथा श्री हरिवंश—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिला में शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, बसन्तपुर घूसी के अध्यापक श्री चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल, दिनांक २६ जुलाई, १९६९ से विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन के विरोध में आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

श्री चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल इस समय अनशन नहीं कर रहे हैं । इन्होंने २६ जुलाई, १९६९ से १ अगस्त, १९६९ तक अनशन किया था ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद सें क्लर्क का निलम्बन

*४८--श्री रामदेव---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में कितने ऐसे लिपिक (क्लर्क) हैं जिन्हें जून, १९५९ से २३ मई, १९६६ तक निलम्बित रखा गया और २३ मई, १९६६ को या उसके आसपास के दिनांकों में उन्हें रीइन्स्टेट किया गया और निलम्बन एवं रीइंस्टेटमेंट के बीच लम्बी अवधि असाधारण अवकाश के रूप में आदिष्ट की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक---

केवल एक ।

*४९--श्री महीलाल--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

प्रतापगढ़ जिला परिषद् को अनुदान

*५०--श्री राम किंकर तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिला परिषद में १९६५-६६ वित्तीय वर्ष से १९६८-६९ तक प्रति वर्ष कोई पांच लाख रुपयों का गबन है और प्रतिवर्ष कम अध्यापकों की नियुक्ति दिखाकर अधिक अध्यापकों के नाम वेतन निकाला गया है ? यदि हां, तो सही एवं फर्जी अध्यापकों की अलग-अलग क्या संख्या रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*५१--श्री राम किंकर तथा श्री रामदेव--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रतापगढ़ जिला परिषद् के प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों के वेतन हेतु तथा साज-सज्जा हेतु अलग-अलग वित्तीय वर्ष १९६५-६६, १९६६-६७, १९६७-६८ एवं १९६८-६९ के लिये क्रमशः कितना राजकीय अनुदान स्वीकृत करके दिया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जिला परिषद् प्रतापगढ़ को दिये गये प्रश्नगत राजकीय अनुदान का ब्योरा निम्नवत् है :---

वर्ष	वेतन हेतु अनुदान	साज-सज्जा हेतु अनुदान
	रु०	रु०
१९६५-६६	२९,०१,९८१	४२,६४०
१९६६-६७	३३,४८,८६७	३९,६५०
१९६७-६८	३७,३०,५७४	३८,२५०
१९६८-६९	३९,६४,४९९	३८,१००

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री खचेड़ सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)--

[७वें गुरुवार के अतारांकित प्र० सं० ७-८ के अन्तर्गत स्थगित कर दिये गये ।]

सुल्तानपुर जिले में सिंचाई के लिये भूमि विकास खण्ड बैंक से ऋण

३---श्री रामप्यारे शुक्ल---

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले मे माइनर इर्रीगेशन के अधीन अधिकृत पंप्पिग सेट एवं ट्यूबवेल के स्थापन हेतु भूमि विकास खण्ड बैंक शाखा सुल्तानपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में कितने व्यक्तियों को कितना धन कर्ज के लि स्वीकृत किया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

वर्ष १९६७-६८ में अल्प सिंचाई उद्देश्य के अन्तर्गत पंपिंगसेट एवं ट्यूबवेल के संस्थापन हेतु प्रधान कार्यालय स्तर से (शाखा सुल्तानपुर के माध्यम से) दो ऋणियों को नलकूप निर्माण हेतु-कुल १२,००० रु० तथा एक सदस्य को पंपिंग सेट हेतु १,५०० रु० कुल तीन व्यक्तियों को १३,५०० रु० मात्र स्वीकृत किया गया है ।

सन् ६८-६९ में शाखा सुल्तानपुर द्वारा ७२ ऋणियों को नलकूप निर्माण हेतु २,४२,५०० एवं पंपिंगसेट के लिये ३० (ऋणियों को ९६,८००) कुल ९२ व्यक्तियों को ३,३९,३०० रु० स्वीकृत किया गया है ।

४---श्री राम प्यारे शुक्ल---

क्या सहकारिता मन्त्री बतलायेंगे कि उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित जिन व्यक्तियों को कर्ज स्वीकृत किया उनमें से कितने-कितने व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि की चेकें किन-किन फर्मों को माल सप्लाई करने के लिये दी गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

वर्ष १९६७-६८ में ट्यूब बेल एवं पंपिंग सेट हेतु स्वीकृत ऋण धनराशि का चेक किसी भी फर्म के पक्ष में ऋणियों ने पृष्ठांकित नहीं किया है ।

वर्ष १९६८-६९ के संदर्भ में विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०१ पर)

फर्म यूनिवर्सल मशीनरी स्टोर, सुल्तानपुर के नाम पृष्ठांकित चेक

५---श्री रामप्यारे शुक्ल---

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि सुल्तानपुर की फर्म यूनिवर्सल मशीनरी स्टोर को किस-किस तिथि को कितने रुपये की चेकें ऋणियों को ट्यूबवेल तथा पंपिंग सेट खरीदने के लिये वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में दी गई तथा उनमें से कितने व्यक्तियों ने ऋण को ३० जून, १९६९ तक यूटीलाइज कर लिया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

फर्म यूनिवर्सल मशीनरी स्टोर सुल्तानपुर के नाम वर्ष १९६७-६८ में ऋणी द्वारा कोई चेक पृष्ठांकित नहीं किये गये हैं ।

फर्म यूनिवर्सल मशीनरी स्टोर सुल्तानपुर के नाम वर्ष ६८-६९ में ऋणी द्वारा जो चेक पृष्ठांकित किये गये उनका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया गया है । ऋण उपयोग की सूचना अभी बैंक को प्राप्त नहीं हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०२ पर)

हरिजन छात्रावास भवन

६--श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ३१ जुलाई, १९६९ तक कितने हरिजन छात्रावास भवन बनकर तैयार हो गये हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में हरिजन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये अनुदान की योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान से ३१-७-६९ तक प्रदेश में ११० छात्रावास भवन तैयार हो गये हैं ।

इसके अतिरिक्त छात्रावास चलाने के लिये अनुदान दिये जाने की योजना के अन्तर्गत इस समय प्रदेश में ७० छात्रावास चल रहे हैं, जो मुख्यत: किराये के भवनों में हैं । इनके संबंध में भवन निर्माण के लिये अनुदान नहीं दिया गये हैं ।

२५ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल सदन में आपने यह रूलिंग दी थी कि जो २५ व्यक्तियों का निलम्बन किया है वह कानूनन तो मझे सही मालम पड़ता है लेकिन जुरिस-पुडेन्स के अनुसार वह गलत है । अध्यक्ष महोदय, कानून जो बनते हैं वह जुरिसप्रुडेन्स का आधार लकर बनते हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो २५ सदस्यों के लिए यह कहा था कि मैंने माफ कर दिया और नेता सदन ने भी कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया और बाद में मालूम हुआ कि नेता सदन न वापस ले लिया तो क्या वह न्यायसंगत है ? आप मान चुके हैं कि जुरिस-प्रुडेंस के अनुसार गलत हुआ है तो आप उन २५ आदमियों को आने के लिए आज्ञा देते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपने बहुत ठीक पूछा और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा । मैंने यह कहा कि नियम के अनुसार तो ठीक किया गया है । लेकिन मैंने अपील की थी कि जुरिसप्रुडेन्स के सिद्धांतों के हिसाब से ठीक नहीं मालूम पड़ता है । ऐसी नीति कहती है । सलिये यह होना चाहिए कि आप इस बात को सोचकर निलंबित सदस्यों को अब माफ कर दें । उन्होंने शर्त लगा दी थी, यह शर्त लगा दी थी कि रिग्रेट एक्सप्रेस करें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, आप रोज रूलिंग बदल देते हैं । आप स्पष्ट व्यवस्था किसी बात पर नहीं देते । इससे इस सदन की प्रतिष्ठा घट रही है ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले सुन लें ।

यह हुआ कि मुख्य मंत्री जो ने शर्त लगायी है । इसलिए सदन से नेता विरोधी दल उठ गये। वह चाहते थे कि स्पष्ट निर्णय होना चाहिए कि यह जो हुआ वह अवैध हुआ । जो नियम बन हुए हैं उनके अनुसार का हुआ है उसको अवैध नहीं कह सकते । नियम गलत बन सकते हैं । अगर जुरिसप्रुडेन्स के खिलाफ नियम बन जाय तो वह सदन संशोधन करके वसूल सकता है । जो जो जुरिसप्रुडेन्स के खिलाफ नियम पड़ते हैं, अगर बीच में कोई परिवर्तन हुआ था, तो भी फिर परिवर्तन हो सकता है लेकिन सदन परिवर्तन करेगा । लेकिन यह निश्चय सदन का था जिसे मैंने वैध होने का निर्णय दिया । इसके बाद मैंने नेता सदन से पूछा कि आप यह प्रस्ताव ला सकते

[श्री अध्यक्ष]

हैं कि वह निलम्बन खारिज कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि चूंकि नेता विरोधी दल उठ गये हैं इसलिये उस चीज को वे अब नहीं मानते। नेता सदन ने यह कहा "मैंने आपका सुझाव मान लिया था लेकिन नेता विरोधी दल प्रोटेस्ट करके निकल गये। इसलिए प्रस्ताव लाने के लिये मैं अब तैयार नहीं हूं।" उनको प्रस्ताव लाना पड़ता और निलम्बन वाली बात खारिज करना पड़ती। नेता विरोधी दल चाहते तो प्रेस करते कि बिना शर्त निलंबित सदस्यों को माफ कर दो पर वह उठ कर चले गये इस पर नेता सदन ने कहा कि प्रस्ताव नहीं लायेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नेता विरोधी दल ने कल जिस बात पर वाक-आउट किया और जिस पर हम सब लोगों ने भी वाक-आउट किया, वह मैं समझता हूं--- आपकी जो रूलिंग है उसके दो हिस्से हैं-तो हम लोगों ने जो वाक-आउट किया वह आपकी रूलिंग के प्रथम हिस्से पर किया, ज्यूरिसप्रूडेन्स वाली बात पर नहीं। इसीलिए माननीय मलिखान सिंह जी ने आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा है कि वह आज इस बात के लिये तैयार हैं या नहीं। जो आपने कल कहा कि ज्यूरिसप्रूडेन्स के अनुसार गलत हुआ है, उसके परिमार्जन के लिए मुख्य मंत्री जी यह प्रस्ताव सदन में लाने को तैयार हैं या नहीं कि उनका निलम्बन समाप्त किया जाय और माननीय सदस्य सदन की सेवा में उपस्थित हो सकें? यह मलिखान सिंह जी का प्रश्न है और मेरा भी आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर दें।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में यह रूलिंग दी कि जो कार्यवाही आपने सदन में करने की इजाजत दी वह नियमों के अन्तर्गत थी और सही थी। आपने, जैसा आप कहते हैं, यह भी जोड़ दिया कि ज्यूरिसप्रूडेन्स के हिसाब से शायद ठीक नहीं प्रतीत होता था। तो जहां तक आपके निर्णय का संबंध है, वह निर्णय तो आपका यह है कि जो कुछ कार्यवाही हुई वह नियमों के अन्तर्गत हुई और वह कार्यवाही अवैध नहीं है। हमने उस कार्यवाही के विषय में जो आपने रूलिंग दी उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। आपने उन लोगों को जिनका कि निलम्बन हुआ था, अपनी तरफ से माफ भी कर दिया। बीच में आपने यह शब्द कह दिये थे। मैंने उठकर यह कहा था कि जो आपने आदेश दिया है मुझे भी वह स्वीकार है। जब मैं यह कह चुका उसके उपरान्त माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए और उन्होंने आपकी जो घोषणा थी उसको स्वीकार नहीं किया। और जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर जब आपने दोबारा मुझसे पूंछा तो मैंने अवश्य यह कहा कि मैं अब कोई प्रस्ताव लाने के लिए उद्यत नहीं हूं। एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो इस सदन में ३०-३५ साल से कार्य कर रहा है और जैसा मैंने कहा था, जिसके सार्वजनिक जीवन का अन्तिम चैप्टर अब चल रहा है, वह यह बात कभी पसन्द नहीं कर सकता कि सदन में ऐसे कार्य हों जो सदन की गरिमा को धक्का पहुंचाएं और उसकी मर्यादा को खत्म करें। इसलिये मैंने कहा था कि यदि भूल करने वाले साथी या उनका कोई प्रतिनिधि उन विषयों के संबंध में खेद प्रकट कर दें तो मैं अवश्य यह प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा और आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उनका निलम्बन हटा लिया जाय।

अब भी मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं और वह बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य है उसका परम पुनीत कर्तव्य है कि वह इस सदन की मर्यादा और गौरव की रक्षा करे और कोई भी अपने बीच में ऐसी घटना घटने का अवसर न पैदा होने दे जिससे इसके नाम को धब्बा लगे, चाहे वह उधर बैठने वाले सदस्य हों और चाहे इधर बैठने वाले। कोई नयी बात मैंने इस सदन में प्रस्तुत नहीं की है। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब कुछ भूलें हुयी हैं और जिससे सदन की गरिमा और मर्यादा को नुकसान पहुंचा है और पहले भी किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न किसी व्यक्ति ने स्वतः या उनकी तरफ से खेद प्रकट कर दिया है और ऐसे व्यक्ति जो निलम्बित किये गये थे उनका निलम्बन इस सदन ने निरस्त कर दिया है। मैं इस अवसर पर भी आपके द्वारा सदन के सभी साथियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार की परिस्थिति पर गम्भीरता से विचार करें और यदि वे मेरे विचारों से सहमत हों तो वे भी उसका समर्थन करें और इस सदन की मर्यादा और गरिमा को ऊंचा उठाने के लिये सदा तत्पर रहें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, कल जब माननीय नेता विरोधी दल ने इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया था तो स्वतः अपने दल की तरफ से तथा विपक्ष की तरफ से इस बात को कहा था कि अगर किसी से किसी के प्रति अभद्र व्यवहार हुआ हो तो उसके लिये उन्हें खेद है। जहां तक २५ माननीय सदस्यों के निलम्बन का प्रश्न था उसके लिये माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि यदि जज के सामने ही कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तब भी जज कातिल को यह मौका अवश्य देता है कि वह यह बताये कि उसने वह कत्ल क्यों किया। इसके अलावा न्याय की दृष्टि से आपने भी यह स्वीकार किया कि न्याय का यह तकाजा था कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गयी थी उनको भी अवसर अपनी बात कहने का दिया जाता। उसके बाद आपने माननीय नेता सदन से भी यह प्रार्थना की थी कि वे निलम्बन का प्रस्ताव वापस लें। आपने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने आपके प्रति अभद्र व्यवहार किया है उनको आप क्षमा करते हैं। उसपर माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया था कि इसमें काफी का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जिनका निलम्बन हुआ है कुछ कहने का अवसर नहीं दिया गया। उस दिन जिन २५ व्यक्तियों का निलम्बन किया गया उनमें १८ व्यक्ति ऐसे हैं जो न अवज्ञापूर्ण कार्य कर रहे थे और नही सदन की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन उनका भी निलम्बन कर दिया गया। इसलिये मैं आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि आप उस दिन के निलम्बन को गलत और अन्यायपूर्ण समझते हैं अथवा नहीं? आप उसे कानून की दृष्टि से नियमानुसार समझते हैं या नहीं? यह तो मैं आपसे स्पष्ट व्यवस्था चाहूंगा और माननीय नेता सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों का बगैर उनको अपनी बात कहने का अवसर दिये निलम्बन किया गया है उसको वापस लें, उसमें सवाल माफी का कोई पैदा नहीं होता, सवाल न्याय का है। इसके साथ ही मैं एक और प्रश्न उपस्थित करूंगा।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुःख है कि मैं उन दिनों आदरणीय सदन में उपस्थित नहीं था। दो दिन के बाद जब मैं बाढ़ के इलाके से बलिया आया तो मुझे यह दुःखद समाचार मिला। श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--

जो विषय सामने है आप उस पर कहिये।

श्री मैनेजर सिंह--

जो कुछ हुआ है वह दुःखद है और उत्तर प्रदेश विधान सभा की मर्यादा के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। अखबारों के पढ़ने से ऐसी नहीं मालूम होता कि निष्कासित २५ माननीय सदस्य ने गलत आचरण किया है। इसके ब्योरे में यदि जाया जाय, अन्वेषण किया जाय तो इसमें अनेक लोग इस आदरणीय सदन की मर्यादा-भंग करने के अपराधी हो जायेंगे। श्रीमन्, आपने भी जो कुछ किया उस पर मैं टीका नहीं करना चाहता। अखबारों के पढ़ने से ऐसा लगा कि वह भी उचित नहीं था। मैं यही कहना चाहूंगा माननीय नेता सदन से कि इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं है कि किसने क्या किया। बीति ताहि विसारि दे...इस सिद्धान्त को मानकर जो कुछ हुआ उसकी चर्चा बन्द हो। इस आदरणीय सदन की मर्यादा पर उन बातों की चर्चा से आघात पहुंचेगा। इसलिये इस प्रश्न को समाप्त किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री पहले भी कई बार सदस्यों के निलम्बन समाप्ति के प्रस्ताव लाये हैं। मैं चाहूंगा कि इस बार भी निलम्बन समाप्ति का प्रस्ताव लायें

[श्री मैनेजर सिंह]

और सारा सदन इस बात का संकल्प करे कि भविष्य में सदन की मर्यादा का ध्यान रखकर आचरण किया जाय और भविष्य में इस प्रकार का काण्ड यहां न होने दिया जाय। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वे बिना अगर-मगर के निलम्बन की समाप्ति का प्रस्ताव लायें और सदन के सुसंचालन का नेतृत्व करें।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता था और उस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस पर रोज एक चर्चा होती है। यह बात जो कही जाती है कि नियमों का उल्लंघन हुआ, या ठीक से नियमों का पालन नहीं हुआ, ये सारी बातें रख दी जाती हैं। आप देख लें कि विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा कहां हुआ। सदन में जब कोई सदस्य या एक से अधिक सदस्य कोई ऐसा कार्य करने लगे यहां तक यह भी जरूरी नहीं है कि वह खड़े होकर के ही कार्य करें। अगर वह बैठे हुए भी सदन के कार्य में बाधा उपस्थित करते हैं तो मैं अपनी यह राय रखता हूं और मैं समझता हूं कि यह राय मान्य होगी कि यह भी कार्य सदन के अवमान का प्रश्न है अगर वह सदस्य बैठे हुए सदन के कार्य में बाधा उपस्थित करें। श्री मन आप देखे, उस दिन की घटना के सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहता। मैं यह कहना चाहता हूं--यह बात तो पैदा हो ही गई इस सदन में एक सदन के अवमान का प्रश्न आया। अब सवाल यह रहता है कि सदन के अवमान की जो बात कहीं जाती है और जो प्रस्ताव पास हुआ वह प्रस्ताव नियम ६३ में अगर आप देखे तो उसमें यह लिखा हुआ है--इसमें है कि परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। तो इसके अनुसार यह कार्यवाही की गई तो इसके लिये दंड का जो विधान दिया है वह आप देखे नियम ७३ में है जिसमें नम्बर ३ पर सदस्य का निलम्बन भी दिया है। इस तरह से जब यह प्रस्ताव पेश हुआ और सदन ने निश्चय कर लिया और उसके बाद जब माननीय सदस्यों का निष्कासन हुआ तो वह एक निश्चित प्रस्ताव के माध्यम से हुआ। यह प्रस्ताव हटाया जा सकता है। मैं यह कह रहा था कि इस पर आपकी व्यवस्था भी हो चुकी और उस पर सदन का प्रस्ताव भी हो चुका और अगर सदन में कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस प्रश्न को उठाने का कोई अधिकार बिना प्रस्ताव के लाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह उठाया गया था कि....

श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें तब आप अपनी रूलिंग दें। कल २५ सदस्यों को निकालने के बारे में जो रूलिंग आपने दी वह तो सेल्फकान्ट्रेडिक्टरी है....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठे, मेरी रूलिंग पर विचार नहीं हो सकता, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मेरी जो रूलिंग है वह स्पष्ट है और जहां तक कानून का सवाल है वह हमारे जो नियम हैं उनके अनुसार उचित है और मैंने नियमानुसार ठीक ही रूलिंग दी है। बाकी इतना मैं जरूर समझता हूं कि जूरिसप्रूडेंस के हिसाब से तो कुछ नियमों को जरूर बदलना होगा, मैंने अपना निर्णय नियम के अनुसार ही लिया है और वह नियम विरुद्ध नहीं है। नियम के हिसाब से यह आवश्यक है कि ऐसी परिस्थिति में दंड दिया जाय लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि क्षमा की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जाय और जितनी ही उदारता होगी उतना ही ऊंचापन बहुमत का दिखाई देगा, यही अपील मैंने की थी और मैं करता रहा हूं। मैं फिर स्पष्ट कहता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा को देखते हुये, यहां की परिस्थिति को देखते हुये बिना इस विचार के कि यहां क्या हुआ, जो हुआ दुखद हुआ जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने कहा कि उस सारी बात को भुलाकर अब एक रास्ता निकालना चाहिये ताकि यह स्थिति समाप्त हो और उसके लिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आवश्यक समझें तो उन्हें क्षमा कर दें, बाकी कोई बात नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने यह बात साफ कर दी कि आप ने जो निर्णय उस दिन लिये थे वे सब वैध थे और वह जो यहां की नियमावली है उसके अन्तर्गत ही किये गये थे और उन के विषय में किसी का कोई आक्षेप नहीं हो सकता है। परन्तु जूरिसप्रूडेंस की बात जो आप बीच में कह देते हैं वह मैं क्षमा किया जाऊं यदि यह कहने की धृष्टता करूं कि आप की रूलिंग के बाद जूरिसप्रुडेन्स की बात उठती नहीं। अब आप की इच्छा है, आप की आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का मैं पालन करता हूं और सदन में सद्भावना लाने के लिये और सदन के उन साथियों का भी ध्यान उन बातों की ओर आमंत्रित करने के लिये कि सबका कर्त्तव्य सदन की गरिमा की रक्षा करने का है मैं अब यह प्रस्ताव करता हूंकि जो सदस्य निलम्बित किये गये थे वे फिर सदन में वापस बुला लिये जायं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अवसर उन्हें प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

२५ सदस्य हैं। प्रश्न यह है कि इन २५ सदस्यों का निलम्बन समाप्त किया जाय और उनको सदन में आने दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन में पुलिस न बुलाने के संबंध में आश्वासन के लिये प्रार्थना

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था और आपसे चाहता हूं। २६ अगस्त को जब यहां पर सदन की कार्यवाही चल रही थी तो कुछ ऐसी घटनायें घटीं जिनको हम सब, आप और माननीय सदन के सारे सदस्य अभद्र स्वीकार करते हैं। बावजूद इसके जब वे घटनायें घट रहीं थीं तो आपकी आज्ञा से पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस के सौ या दो सौ कर्मचारी यहां पर सदन में आये। तो माननीय नेता सदन ने और माननीय उप मुख्य मंत्री, दोनों ने, खुद खेद प्रकट किया कि वे उस बात को अच्छा नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सदन में घोर अव्यवस्था हो जाय तो आप सदन को,एडजोर्न कर सकते हैं तो आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहूंगा कि भविष्य में यह व्यवस्था करें कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो भी जाय तो आप माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा हेतु पुलिस को सदन के अन्दर आने की आज्ञा नहीं देंगे?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

वातावरण इस तरह से शांत नहीं हो सकता है। मैंने कल ही उसके लिये कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक कसौटी बैठ जाय जो उस पर विचार करे और यह भी विचार करे कि इस प्रकार की स्थिति ही सदन में न होने पाये कि सदन में पुलिस बुलाने की आवश्यकता पड़े। यह बात मैंने कल ही कही थी। नेता और उपनेता सदन ने यह कहा कि यह खेद की परिस्थिति है। ऐसी अवस्था में हम को इस बात पर विचार करना है कि जिससे सदन की व्यवस्था भी कायम रहे और इसकी मान मर्यादा को रखने के लिये पुलिस न बुलानी पड़े। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि एक कमेटी बन जाय और वह विचार कर लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्रीमन्, आप तो सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं तो हूं ही ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

और माननीय नेता सदन भी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, यह बात तो ठीक है लेकिन अगर सदन में किसी माननीय सदस्य ने ऐसा अभद्र काम किया तो क्या होगा। पहले यह तय हो जाना चाहिये कि कोई भी सदस्य ऐसा काम नहीं करे।

श्री अध्यक्ष--

यह इसी समय यहां पर तय नहीं होगा। यह तो समिति में ही हो सकता है।

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, जब यह प्रश्न प्रिजाईडिंग आफिसर्स के सामने आया था तो उसमें भी यह कहा गया था कि जो अपने यहां कौसिल हाउस के गार्ड हैं, उनको कुछ बढ़ा दिया जाय। और उन्होंने यह भी कहा था कि एक कमेटी बना कर एक ऐसा ढ़ंग निकाला जाय जिससे सद्भावना पूर्ण काम हो सके। रिफरेंस में उस कमेटी का जिक्र आप कर दें तो झंझट मिट जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने खुद सरकार से कहा था कि वह जरा शक्ति बढ़ा दें लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा। सद्भावना से काम चलेगा, नियम पालन करने से काम चलेगा। सदन के सदस्य कमेटी में बैठ कर इसे तय करें।

२५ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

निलम्बन का विद्धान्त कब से हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

अभी से हो गया है। कुछ लोग आ भी गये हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आज से ही हुआ है क्या ?

श्री अध्यक्ष--

आज से ही हुआ है। वैसे आपको कुछ कहना है तो आगे बात होगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

आध घंटा के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय ताकि वे लोग आ सकें।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

एक सदस्य आये हैं। २४ बाकी हैं।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

प्रश्न में आधा घंटा बाकी भी है।

श्री अध्यक्ष--

उनका निलम्बन निरस्त हो गया है। वे आ सकते हैं। प्रश्नों का समय ऐसा है कि उनका कुछ हर्ज होने वाला नहीं है। पूरक प्रश्न अगर वे नहीं पूछ सकेंगे तो बहुत भारी बात नहीं होगी। प्रश्नों का समय यों समाप्त नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रश्न शुरू कर दें, इस बीच आप लोग उन्हें बुलवा सकते हैं।

श्री भारत सिंह (जिला इटावा)--

प्रश्न उनके भी तो हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उनके प्रश्न बाद में मैं ले लूंगा।

सदन के अधिकारों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न जो मैं उठा रहा हूं यह हमारे सदन के अधिकारों से संबंधित है और केवल हमारे ही सदन के अधिकारों से उसका सम्बन्ध नहीं है बल्कि भारतीय संघ में जितने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके अधिकारों से यह सम्बन्ध रखता है। हमारा जो सदन है जहां तक उसकी कार्यवाही का सवाल है, जहां तक उसके अध्यक्ष की रूलिंग्स का सवाल है, जहां तक उसकी नियमावली का सवाल है वह सर्वसत्ता सम्पन्न है और पूर्ण रूप से उसे यह अधिकार है जिस तरह से वह अपनी कार्यवाही चलाना चाहे, चलाये और अध्यक्ष को भी पूर्ण रूप से अधिकार है कि जिस प्रकार से रूलिंग देना चाहें दे। लेकिन हमारी असेम्बली जो सर्वसत्ता सम्पन्न है उसकी कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में जाकर, राज्यपाल के पास जाकर अथवा राष्ट्रपति के पास जा कर उसकी कार्यवाही को चैलेंज करना क्या इस सदन की गरिमा के अनुकूल है। पंजाब तथा बंगाल में कुछ घटनायें हुईं। राज्य सरकारें वैधानिक ढंग से अथवा अवैधानिक ढंग से बनी हुई हैं इसके लिये लोग गवर्नर तथा राष्ट्रपति के पास ग। गवर्नमेंट की अथारिटी चैलेन्ज की जा सकती है लेकिन जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर्स की कांस्टीट्यूशनल अथारिटी का सवाल है वह अपना कार्य संचालन किस प्रकार से करें इसमें वह पूर्ण रुप से स्वतंत्र हैं। उसमें न तो गवर्नर का अधिकार है, न राष्ट्रपति का अधिकार और न जुडिशरी का ही अधिकार है। कोई नागरिक चैलेन्ज करे तो कोई बात नहीं है लेकिन हमारी स्टेट असेम्बली के सदस्य, विरोधी दल के जिम्मेदार नेतागण इस स्टेट असेम्बली की प्रोसीडिंग्स और आपकी रूलिंग्स के खिलाफ गवर्नर के यहां जायं, प्रेसीडेंट के यहां जायं, न्यायालय में जायं, मैं इसको कांस्टीट्यूशनल अधिकारों के खिलाफ समझता हूं। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आप मेरी बात भी सुनिये।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न बिलकुल नहीं है। यह अपनी प्रक्रिया के बारे में सावरन बाडी तो है ही। लेकिन यह बात हम ही समझते हैं ऐसी बात नहीं है। यह बात कोर्ट भी समझते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

हैं, राज्यपाल भी समझते हैं, राष्ट्रपति भी समझते हैं। इसलिये अगर कोई इधर-उधर जाता है और कहता है तो वह तो उसका निर्णय उसी हिसाब से करेंगे। इसलिये उनके बारे में मैं कोई व्यवस्था दे दूं यह ठीक नहीं है। जो कमेटी आपकी बैठेगी ताकि आगे ऐसी चीजें न हों उसमें भी यह रखेंगे कि ऐसी चीजें होनी चाहिये या नहीं। यह तो कोड आफ़ कांडक्ट में आ जायगा। अब आगे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

२५ सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री शिवराज सिंह (जिला बादयूं)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने निलम्बन के प्रस्ताव को रद्द करते हुये दूसरा प्रस्ताव सदन में पेश कर के उन २५ सदस्यों को यह अधिकार दे दिया कि वह सदन की आज की कार्यवाही में भाग लें। परन्तु आपके सेक्रेटेरिएट से जो आदेश गये हुये हैं उनकी वजह से वे २५ सदस्य अभी इस सदन में आने से मजबूर हैं। उनको अधिकार प्राप्त तो हो गया लेकिन जब तक आपके सेक्रेटेरिएट से कोई सूचना उनके पास नहीं जाती तब तक वे इस सदन में आने से मजबूर हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक रोज की गैरहाजिरी में जो कार्यवाही हुई वह सही हो। एक सदस्य भी यहां आकर अपने विचार से इस सदन के फ़ैसले को बदलवा सकता है। इसलिय जिन सदस्यों को आने का अधिकार है जब तक उनको वह अधिकार बरतने का अवसर न दें तब तक इस सदन की जो भी कार्यवाही है वह दोषपूर्ण रहेगी। मैं समझता हूं कि जब तक उन सदस्यों को इस प्रकार की सूचना न दे दें तब तक यह सदन डयूली कांस्टीटयूटेड नहीं है। (व्यवधान) आप खामोश रहें, मैं ऐसे बैठने वाला नहीं हूं। आप व्यवस्था दें कि केवल इस सदन में प्रस्ताव करना भर पर्याप्त है या आपकी ओर से उन सदस्यों को यह सूचना देना भी जरूरी है पेश्तर इसके कि आप सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

सदन में पुलिस न बुलाने के संबंध में आश्वासन के लिये प्रार्थना (क्रमागत)

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

जैसा कि श्रीमन् ने कहा कि हम एक कमेटी बिठायेंगे तो वह बैठेगी और पता नहीं कब तक वह फ़ैसला करेगी। तब तक मैं आपके माध्यम से चाहता था कि जो स्थिति हुई वह हुई लकिन क्या सरकार इस तरह का कोई आश्वासन देगी कि जब तक कमेटी का प्रतिवेदन सदन के समक्ष नहीं आ जाता या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं हो जाता तब तक सदन में पुलिस नहीं बुलायी जायगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पुलिस को सरकार ने नहीं बुलाया, फ़िर सरकार इस संबंध में क्या आश्वासन देगी। अगर आप इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी बात है। मैं तो समझता हूं कि जितनी उदारता के साथ उन्होंने मेरी बात को मान लिया है उसी तरह से आप भी कार्य करना प्रारम्भ कर दें तो वातावरण ठंडा होने में मदद मिल सकती है। अगर एकदम से गरम लोहे की चीज के ऊपर भी पानी डाल दिया जायगा तो वह भी फ़ट जायगी इसलिये एकदम इस तरह से नहीं हो सकता। अभी आप काम शुरू कर दीजिये। उसके बारे में, हम शाम को अथवा कल सबेरे बैठ सकते हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि कृपा कर के आप इन प्रश्नों को न उठायें। पूछे हुए प्रश्नों को चलने दें। जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है उसी प्रकार से आप भी मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदन का कार्य चलने दें।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)---

इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जो यह आश्वासन दें कि वे पुलिस नहीं बुलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

पुलिस को उन्होंने नहीं बुलाया ।

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

श्रीमन्, मैं आपसे सब अपने साथियों की तरफ़ से यह करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जब तक उधर से एक को छोड़ कर दूसरा जूता न फ़ेंका जाय, तब तक आप पुलिस को कभी न बुलायें । एक से ज्यादा जूता फेंकने पर ही पुलिस को बुलाया जाय ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

श्रीमन्, आप एक बार में एक से अधिक व्यवस्था के प्रश्न क्यों ले लेते हैं । जब तक एक व्यवस्था का प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरा न लें । मेरे प्रश्न पर कृपया आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

उस पर मैंने कल ही अपनी व्यवस्था दे दी थी । आप कल नहीं थे, आपके नेता, नेता विरोधी दल भी उपस्थित थे । मैंने कल कहा था कि चाहे कितने भी सदस्य चले जायं, जब तक सदन में कोरम रहेगा, सदन की कार्यवाही चलती रहेगी । २५ आदमियों को आर्डर्स भेजे जा रहे हैं । वे आते रहेंगे, आप प्रश्नों को चलने दीजिये ।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, अभी बख्शी जी ने प्रश्न उठाया कि मुख्य मंत्री इस बात का वायदा करें कि आयन्दा सदन में पुलिस नहीं बुलाई जायगी । मैं आपके द्वारा सदन को सूचना देना चाहता हूं कि पुलिस मेरे आदेश से न कभी बुलाई गयी न उस दिन बुलाई गयी । जो १९६१-६२ में बुलाई गयी थी वह भी मुख्य मंत्री के आदेश से नहीं बुलाई गयी और न गृह मंत्री के आदेश से आयी । यहां सदा ही माननीय अध्यक्ष के आदेश से ही पुलिस आयी है । माननीय अध्यक्ष जी स्वतः हमारे अधिकारियों से बातें करते हैं और उन्हीं की इच्छानुसार फ़ोर्स को सदन में आना पड़ता है । जब-जब माननीय अध्यक्ष आज्ञा देंगे हमारे अधिकारी सदा ही उसका पालन करेंगे, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि वह अध्यक्ष की सहायता करे, अध्यक्ष के काम में कोई बाधा न डाले, शांति व्यवस्था रखने में उनकी मदद करे, उनको जो उत्तर-दायित्वपूर्ण कार्य करने की जिम्मेदारी दी गयी है । उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य यह कि सदन की कार्यवाही इस तरह से चले कि शांतिपूर्वक विचार विनियम के द्वारा निर्णय लिये जा सकें । यदि इस सदन का कोई सदस्य उस प्रकार के विचार-विनिमय में बाधा डालता है और अशोभनीय कार्य करता है तो मैं ऐसा समझता हूं और मानता हूं कि जब तक सदन उनके पास इतना फोर्स नहीं देता है जिससे वह गलत कार्यवाही को रोक सकें तो उनको अधिकार है कि वह किसी की भी सहायता लें और मुख्यतः पुलिस की यदि आवश्यकता पड़े तो उसको बुला सकें, यह सदन की नीति रहनी चाहिये और इसका समर्थन माननीय अध्यक्ष महोदय को मिलना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि आपको सदन के कार्य के संचालन हेतु जितने बल प्रयोग की आवश्यकता है उसको आप करायें और सदन को चलायें । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कल जो माननीय नेता सदन ने कहा कि वह शर्मिन्दा हैं कि यहां पर पुलिस बुलाई गई । लेकिन अब जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे जाहिर है कि वह पुलिस को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

सदन में बुलाने की व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उसको सही मानते हैं। मैं समझता हूं कि जब १००, २०० पुलिस के कर्मचारी माननीय सदस्यों के ठोकर मारते हैं उनके कार खींचते हैं तो इस सारे काम को और ऐसा करने को वह मुनासिब समझते हैं और उचित मानते हैं। मैं हरिजन नेता सदन के इन विचारों से अपने को सहमत नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि.....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समय चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

बेगम साहिबा को बोलने दीजिये।

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल के ऊपर कि पुलिस को हाउस में न बुलाया जाय, इसके ऊपर ऐतराज पेश करती हूं। इसलिये कि २५/२६ तारीख को जो हरकतें पब्लिक के नुमाइन्दों से सरजद हुई हैं, जिस तरह से जूता फेंका गया है, जिस तरह से गालियां दी गई हैं, जिस तरह से किताबें फेंकी गई हैं, उसको बचाने के लिये जो यहां पर पीसफुली तरीके से बैठे थे उसके लिये आपके पास दो तरीके थे। आप कहते कि तुम्हें कुश्ती लड़नी चाहिये, दंगल मचानी चाहिये। दूसरा तरीका यह था कि कायदे कानून को बनाने वालों को याद दिलाते कि कायदे कानून से गड़बड़ी को रोकिये। उस वक्त उधर के भाइयों को बड़ा भारी गुस्सा था मुझे वह वक्त याद आया जब कि शिया सुन्नियों की गड़बड़ी हुई। फसाद इसीलिये होते हैं कि जब गुस्सा आता है उस वक्त लोग न जाने क्या कर बैठते हैं। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब जूता फेंका गया और हमारी तरफ गद्दियां आई थीं आखिर अपने को बचाने के लिये क्या हम उनसे कुश्ती लड़ते या किस तरह से अपने को बचाते। इस मौके पर तहजीब सिखाने के लिये पुलिस को बुलाया गया। (व्यवधान)।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तहजीब हमको पुलिस सिखायेगी।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इतनी सी बात और कहनी है कि हमारे गरीब वोटर्स जिनकी वजह से हम इस गद्दी पर बैठे हैं, उसने हमें यह इज्जत बख्शी है। हमारे गरीब वोटर्स अगर यह हरकत करते हैं तो बिना पूछे उनको जेल भेज दिया जाता है और हमें खबर तक नहीं होती। जब हम हाउस की इज्जत रखेंगे तभी उसकी इज्जत रहेगी। अगर हम उसकी इज्जत में बट्टा लगाते हैं तो हमें भी सजा मिलनी चाहिये जिस तरह से हमारे गरीब वोटर को मिलती है जिसकी वजह से हमें यह बड़ी इज्जत मिली है। और इसकी इज्जत को रखना हमारे सदस्यों का काम है। इसलिए मेरे भाई इसकी इज्जत रखेंगे तो पुलिस को बुलाने का सवाल नहीं उठता है। यदि विरोधी पार्टी के सदस्य कांस्टीट्यूशनल मेथडस से काम करेंगे तो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वे हरकतें जो २५ व २६ तारीख को हुई थी, हुई तो उनको रोकने का उनसे बचाने का आखिर क्या तरीका था? मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान २६ तारीख की घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जब सदन में पुलिस को आपने आमन्त्रित किया——(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं

कि जहां पर सदन के माननीय सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस सदन की गरिमा को कायम रखें और उसकी प्रतिष्ठा तथा गरिमा को किसी प्रकार का धब्बा न लगने पावे, चाहे कोई विरोधी पक्ष के लोग हों या शासक दल के लोग हों, वहां पर मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है, सबसे अधिक जिम्मेदार आप हैं। आप यदि नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही के संचालित करने में बाधा समझते हैं तो उस समय आपके अधिकार में कई चीजें हैं, जिसमें यह भी है कि अधिक अशान्ति के समय में इस सदन को आप स्थगित कर सकते हैं। वोट के समय आपने ऐसा ही करके सदन स्थगित किया भी.. (व्यवधान) मैं शोर करने से नहीं बैठ सकता। मेरा विषय आप से संबंधित है। आप से मैं आश्वासन चाहता हूं कि आपके द्वारा इस सदन में भविष्य में पुलिस नहीं बुलाई जाएगी, क्या आप इस बात का विश्वास दिलायेंगे आपकी शक्ति, आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है क्योंकि शासन आपका साथ देता रहेगा, लेकिन आप शासन का साथ दें यह प्रजातन्त्र के अनुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो यह आश्वासन दे दिया है कि एक कमेटी बैठेगी, रास्ता निकालेगी और ऐसी व्यवस्था करायेगी जिसमें पुलिस बुलानी न पड़े। उसे स्वीकार कर लेंगे इसमें क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है कि कोई कमेटी न बैठे, कोई विचार न हो और आप इस तरह से कहते रहें कि यह सदन नहीं चल सकता और सदन में उस प्रकार की अशोभनीय हरकतें होती रहें और फिर हमें यह सुनना पड़े यहां पर कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वह तो कल विरोधी दल के नेता ने सारे विरोध पक्ष के सदस्यों की तरफ से क्षमा मांग ली थी।

पुलिस कप्तान, एटा को श्री सतीशचन्द्र, सदस्य, विधान सभा को गोली लगने के सम्बन्ध में निलम्बित करने की मांग

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, हमारे दल के सदस्य श्री सतीश चन्द्र शर्मा के कायमगंज स्टेशन पर गोली लगी थी। उस पर हमारे नेता माधवप्रसाद त्रिपाठी ने नियम ५१ के अन्तर्गत नोटिस दिया था। माननीय मुख्य मंत्री जी अस्पताल भी गये थे, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं गये। अभी वह बेहोशी की दशा में हैं। तो हम लोग सब गये थे वह बार-बार यह कहते हैं कि पुलिस कप्तान को गिरफ्तार किया गया या नहीं, उसे सस्पेंड किया गया या नहीं? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य की हालत बड़ी खराब है,उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे।

एक सदस्य—

मेरे साथी कुछ विरोधी दल के लोगों के पास माईक नहीं है, अध्यक्ष महोदय क्या बताने का कष्ट करेंगे कि वह माईक कहां चले गए।

श्री अध्यक्ष—

माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो यह प्रश्न दिया था, उसके लिए उत्तर कल मंत्री जी बिल्कुल देने वाले थे। लेकिन सब सदन छोड़ कर चले गये थे, इसलिए वक्तव्य नहीं हुआ। उसका उत्तर कल मैं आपको दिलवा दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

पांच रोज से यह वादा कर रहे हैं। इसकी स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मंत्री के पास मैंने भी पत्र लिखा था कि ऐसी स्थिति होने वाली है कि वह मार डाले जायंगे। आई०जी०

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

के पास वह खुद गये मिलने के लिए। वह वचन दे दें कि वह सस्पेंड कर देंगे। जिसकी जान चली जाय, बात साबित हो गयी। एम० एल० ए० जो बात कहे वह न मानी जाय और अधिकारी जो बात कहे वह मानी जाय। यह कह दें कि हम सस्पेंड कर देंगे। एफ० आई० आर० में लिखा हुआ है, मान्यवर! हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री वचन दें। आप खड़े हैं, मैं बैठ जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं उठूंगा तो कोई सदस्य नहीं उठेगा। उनको रोक दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं तो खुद बैठ जाना चाहता था। मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसकी घोषणा करें कि उनको सस्पेंड कर देंगे। यह वही व्यक्ति है जिसने बांदा में और सीतापुर में कई आदमियों को जान से मरवा दिया। जब हम मिलते हैं तो वह बड़े गलत ढंग से बात करता है। कहता है कि आप लोग जनसंघ के हैं, हम फ़लां हैं। हमसे बात करो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक आदमी कहता है कि हमारी जान खतरे में है, दरोगा को हटा दीजिये, आई०जी० के पास जायं वह भी न मानें। जब गोली चल गयी तो बलरामपुर हास्पिटल में देखने जायं या कहीं जायं इससे कौन राहत मिलती है? पहला काम यह है कि जो कप्तान हैं और दरोगा हैं वह सस्पेंड हों और वहां से उनका ट्रांस्फ़र हो।

श्री अध्यक्ष---

मैंने वह आपका नियम ५१ में वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया था। बात यह है कि उस रोज भी आप नहीं थे और कल भी नहीं थे। कल आप कह देते तो माननीय मंत्री बता देते। फ़िर मैं बताता हूं कि वह वक्तव्य अपना मंगा लेंगे और शाम को वक्तव्य देंगे। उस वक्त आप पूंछ सकते हैं। अभी नहीं। इस समय सवाल का समय है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

वह घोषणा करें कि एस० पी० को सस्पेंड किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) आप फ़िर खड़े हो गये। जब मैं खड़ा हूं तो आप लोग बैठें।

माननीय मुख्य मंत्री आज वक्तव्य दे सकेंगे?

(मुख्य मंत्री ने सिर हिलाते हुए 'हां' कहा)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं इस प्रोटेस्ट में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जनसंघ दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ़्फ़रनगर)---

मान्यवर, नेता सदन से आपने पूछा कि आप नियम ५१ में बयान देंगे लेकिन माननीय नेता सदन ने आपके पूछने के बाद बगैर खड़े हुए, अपनी गर्दन हिला कर कह दिया कि मैं बयान दूंगा। इससे सारे सदन का अवमान है, माननीय अध्यक्ष का अवमान है। इसलिए इसके विरोध में चूंकि आपका और सारे सदन का अवमान है, हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(श्री वीरेन्द्र वर्मा ने भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

मुख्य मंत्री ने सस्पेंड करने की घोषणा नहीं की है, सस्पेंशन की घोषणा होनी चाहिए।

(श्री रामधारी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया। कुछ निर्दलीय सदस्यों को छोड़ कर अन्य विरोधी दल के सदस्य भी सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

जब इस तरफ़ से मुझे गाली मिली थी वह अवमान नहीं था। दूसरी तरफ़ मुख्य मंत्री बिला उठे मेरी बात मान गये तो सदन का अवमान हो गया। आश्चर्य है।

अच्छा, अब आगे कार्य चले। प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है।

इसके बाद कल के जो सवाल हैं अभी मैंने उसको देखा नहीं है उसके ऊपर मैं कल फ़ैसला दूंगा।

भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद पर श्री वी० वी० गिरि के निर्वाचन पर बधाई का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं अगर आप आज्ञा दें :

"उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा भारतीय गणतंत्र के महान् राष्ट्रपति पद पर महामहिम श्री वी० वी० गिरि के निर्वाचित होने पर अपनी हार्दिक बधाई देती है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान की मान्यताओं की रक्षा होगी तथा इस देश की जनता दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर प्रगति की ओर बढ़ती हुई राष्ट्र की एकता को अक्षुण बनाये रखने में सफ़ल होगी।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि :—

"उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा भारतीय गणतंत्र के महान् राष्ट्रपति पद पर महामहिम श्री वी० वी० गिरि के निर्वाचित होने पर अपनी हार्दिक बधाई देती है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान की मान्यताओं की रक्षा होगी तथा इस देश की जनता दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ती हुई राष्ट्र की एकता को अक्षुण बनाये रखने में सफ़ल होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नगर पालिकाओं और महापालिकाओं के कर्मचारियों के हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तगत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

२८ अगस्त, १९६६ को उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६ (U. P. Essential Service Maintenance Ordinance, 1966) प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश की जरूरत इसलिये पड़ी कि जुलाई, १९६६ में कुछ राज्य कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल से शासन के काम में बड़ी कठिनाइयां पैदा हुई थीं। अगस्त, १९६६ में सरकारी कर्मचारियों के एक हिस्से ने फ़िर हड़ताल की धमकी दी थी। इसलिये यह तय किया गया

[श्री अतीकुर्रहमान]

था कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं जैसे कि विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सेवाओं में हड़तालों को निषिद्ध (Proh.b.t) किया जा सके। उपर्युक्त अध्यादेश १९६६ की जगह पर दिसम्बर, १९६६ में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, १९६६ (U. P. Essent al Serv ces Ma ntenance Act, 1966) लागू किया गया।

२--उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी अत्यावश्यक सेवा में हड़ताल निषिद्ध कर सकती है। अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि कोई व्यक्ति जो ऐसी हड़ताल प्रारम्भ करता है जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा किसी ऐसी हड़ताल पर जाता है या रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है अथवा उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जायंगे।

३--उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत शासन ने समय-समय पर आवश्यकतानुसार आदेश जारी किया ह। २८ अगस्त, १९६६ को उक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद भी उक्त धारा ३(१) के अधीन एक आदेश जारी करके प्रदेश की पांच नगरमहापालिकाओं की समस्त सेवाओं में छः महीने की अवधि के लिये हड़तालें निषिद्ध कर दी गई। यह छः महीने की अवधि १९ मार्च, १९६७ को समाप्त हो गई। उसके बाद २२ जनवरी, १९६८ को एक आदेश जारी किया गया जिसमें केवल नगरमहापालिका, कानपुर में हड़तालों का निषेध किया गया। २० अप्रैल, १९६८ को आदेश जारी किये गये जिसमें कानपुर के सिवा अन्य चारों नगरमहापालिका तथा प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं में ६ माह के लिये हड़तालों का निषेध किया गय। १ नवम्बर, १९६८ को एक आदेश फिर जारी किया गया जिसके अन्तर्गत प्रदेश की सब नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में ६ महीने के लिये हड़तालें निषिद्ध की गईं।

४--३० अप्रैल, १९६९ को उक्त ६ महीने की अवधि बीतने के बाद पुनः इस प्रश्न पर विचार किया गया। जिन कारणों से पहले विज्ञप्तियां जारी की गई थीं वे उस समय भी मौजूद थे। यद्यपि पालिकाओं के सफ़ाई कर्मचारियों के वेतन व महंगाई भत्ते में वृद्धियां की जा चुकी थीं। उनकी ओर से हड़ताल के नोटिस प्राप्त होते रहते थ। उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ ने अनेक मांग-पत्र प्रस्तुत किये थे और १८ मई, १९६९ से प्रदर्शन व हड़ताल का नोटिस दे रखा था। कर्मचारी संघ की मुख्य मांग थी कि वेतन आयोग बिठाया जाय और जब तक आयोग की सिफ़ारिशें प्राप्त होकर मान ली जायं, ५० रुपया प्रति कर्मचारी को अन्तरिम रिलीफ़ दिया जाय, पालिका कर्मचारियों व वेतन क्रमों का पुनरीक्षण अभी २ वर्ष पूर्व १ अप्रैल, ६७ स किया जा चुका है और अन्तरिम रिलीफ़ का कोई औचित्य नहीं पाया गया। वेतन आयोग या एक पे-रेशनलाइजेशन कमेटी बिठाने पर विचार चल रहा है। नगर-पालिकाओं में चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं और इस बात की सम्भावना है कि इन कर्मचारियों को हड़ताल के लिये उकसाया जाय। अतएव यह विचार किया गया कि १६ मई, १९६९ में हड़ताल निषिद्ध करने के लिये पुनः विज्ञप्ति जारी की जाय। परन्तु बाद में उ० प्र० स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के हड़ताल वापस लेने पर प्रस्तावित विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी।

५--अब संयुक्त सफाई मजदूर मोर्चा, इलाहाबाद के संयोजक श्री जे० पी० भारती ने तार द्वारा सचना दी कि नगरमहापालिका में सफाई कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी १ अगस्त, १९६९ से आम हड़ताल करेंगे। चूंकि इलाहाबाद महापालिका में हड़ताल करने की नोटिस दी गयी और इसकी काफी सम्भावना महसूस की गई कि इसके बाद अन्य पालिकाओं में भी इस तरह का प्रयत्न कर्मचारी संघ द्वारा किया जा सकता है ऐसी हालत में यह आवश्यक समझा

गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत ६ महीने के लिये समस्त नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं में हड़ताल निषिद्ध की जाय। अतः ३१ जुलाई, १९६९ से ६ मास के लि हड़ताले निषिद्ध करने की विज्ञप्ति ३० जुलाई, १९६९ को जारी की गई।

६--सफाई मजदूर मोर्चा, इलाहाबाद ने हड़ताल की घोषणा वापस ले ली है और १ अप्रैल, १९६९ से इलाहाबाद में हड़ताल नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

इसमें प्रश्न नहीं होंगे, यह तो वक्तव्य के लिये था।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

श्रीमन्, यह वक्तव्य है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसे आपने सबको बांट दिया है ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

मुझे मिला नहीं है। मैंने आपको सीलिंग के संबंध में दिया है। भूमि पर सामन्तवादियों का कब्जा है, ऐसी लाखों एकड़ भूमि के बारे में इंक्वायरी करके हरिजनों और भूमिहीनों को बांट दी जाय, इस पर मंत्री जो वक्तव्य देंगे और इन्तजाम करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

(श्री चतुर्भुज शर्मा से) वक्तव्य आप शाम को दीजिये। इसकी कापियां बंटवा दीजिये, क्योंकि लोग इस पर थोड़े बहुत प्रश्न भी पूछेंगे, तो उसके लिये उत्तर देना होगा।

उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

इसमें कोई विशेष बात नहीं है। यह तो पारसाल गवर्नर रूल्स के अन्दर एक ऐक्ट था उसके विषय में यह विधेयक है। इसलिये प्रार्थना करूंगा आपके थ्रू सदन से कि इसको पारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ तथा ३

कुछ कालावधि के दौरान कतिपय पुलों पर पथ-कर के लगाये जाने का वैधीकरण

२--(१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इंडियन टोल्स ऐक्ट, १८५१ की धारा २ के अधीन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक २२ मार्च, १९६३ की विज्ञप्ति सं० २६६२-सी०-२३ पी० डब्लू० ए०-१३३ सी०-१९६० के अधीन, २२ मार्च, १९६३ को आरम्भ होने वाली और २ दिसम्बर, १८५१ का ८

१९६८ को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान उन पुलों के बारे में, जो उक्त अधिनियम की धारा २ के अधीन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक १ नवम्बर, १९५६ की विज्ञप्ति सं० ५४९५ (३) सी० २३ पी० डब्लू० ए०--२१७-सी०-१९५३ के पैरा २ के अधीन समय-समय पर विज्ञापित किये गये थे, उद्गृहित किये गये या उद्गृहीत किये गये तत्पर्यित सब पथ-कर विधिपूर्वक उद्गृहीत किये गये समझे जायंगे मानो उक्त पुल प्रथमोक्त विज्ञप्ति के पैरा २ के अधीन २२ मार्च, १९६३ को विज्ञपित किये गये हों और तदनुसार--

(क) किसी ऐसे पुल के बारे में किसी व्यक्ति से यथापूर्वोक्त उद्गृहीत या वसूल किये गये किसी पथ-कर को लौटाने के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही न चलेगी, न चालू रखी जायेगी तथा;

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे किसी पुल के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी पथ-कर को लौटाने का निदेश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को निष्पादित न करेगा।

(२) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे किसी पुल के बारे में उसके द्वारा दिये गये उतने पथ-कर लौटाये जाने का दावा करने से निवारित करती है जो उस रकम से आधिक्य में हो जो उसके द्वारा उस दशा में शोध्य होती जब कि पुल प्रथमोक्त विज्ञप्ति के अधीन २२ मार्च, १९६३ को सम्यक रूप से विज्ञापित कर दिया गया होता।

निरसन ३--उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण अधिनियम, १९६८, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। राष्ट्रपति अधिनियम, संख्या ३३, १९६८।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९

कतिपय पथ-कर लगाए जाने को वैध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण अधिनियम, १९६९ कहलायेगा संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चौधरी गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९

*वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय। मान्यवर, इसमें बातें तो बहुत सी आवश्यक हैं लेकिन यह सब बातें वह हैं जो कि सदन के समक्ष आ चुकी है किसी न किसी रूप में और मैं आम तौर पर दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो जैसा कि प्रारम्भ में बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कही थी कि ९५१ करोड़ रुपये हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये प्लानिंग कमीशन ने तय किया था और हमको १७५ करोड़ रुपये के नये संसाधन उपस्थित करने चाहिये। अब उसका एक हिस्सा एक वर्ष के लिये १०७ करोड़ रुपयें का स्वीकार किया गया है और उसके लिये जिस प्रकार से संसाधन एकत्रित करने के जो हमने उपाय किये उनमें से यह विधेयक श्रीमान् के समक्ष उपस्थित करता हूं। संसाधन एकत्रित करने के जो साधन हमने बनाये हैं यह उन्हीं की रूप-रेखा है। स्टाम्प ऐक्ट में, मान्यवर, यह संशोधन किया जा रहा है कि यह जो भूमि के हस्तान्तरण करते समय उनमें मनमानी कीमत लगा दी जाती है उसको ठीक करने के लिये सब रजिस्ट्रार और कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि उनका उचित मूल्यांकन करें और उन पर उचित स्टाम्प ड्यूटी दी जाय। और इसी प्रकार से, मान्यवर, दूसरा संसाधन है सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ऐन्ड डीजल आयल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ का संशोधन जिसके अनुसार यह जो मोटर स्प्रिट पर है ७ पैसे प्रति लीटर उसको १० पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की योजना है और इसी प्रकार से, मान्यवर, यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट में भी कुछ संशोधन किये गये हैं। एक में यह कहा गया है कि २ पैसे जो कि अनक्लासीफाइड गुड्स पर है उसको ३ पैसे कर दिया जाय और इसके अतिरिक्त, मान्यवर, एक हाई कोर्ट की रूलिंग हो गई थी जिसके अनुसार कि यह तय हुआ कि यह जो व्यापारी लोग सेल्स टैक्स लोगों से ले लेते हैं और यदि वह किसी न्यायालय के फैसले के अनुसार उनको करने की व्यवस्था हो तो उसमें भी हमने यह संशोधन किया है कि वह रुपया व्यापारियों को वापस न हो बल्कि जिस पर उन्होंने सेल्स टैक्स दिया हो वह वापस हो। धारा २ क और धारा ८ क में कुछ संशोधन किये हैं। इस तरह से हमने कुछ थोड़ा सा कहीं कर बढ़ाया है और कहीं कम किया है जिससे कुछ संशोधन प्रदेश में एकत्रित हो सकें। इसी तरह से मोटर व्हीकिल्स ऐक्ट में संशोधन किया गया है जिसका तजकिरा मैं सदन में कर चुका हूं और उसके द्वारा भी कुछ संसाधन एकत्रित करने की कोशिश की गई है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा इस सदन से कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह विधेयक तो इतने महत्व का है और इतना बड़ा है कि इसके सभी अंगों पर कुछ कहना बहुत कठिन है लेकिन इतना जरूर है कि इसका संबंध यहां के करोड़ों लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करने का है, अच्छे काम के लिये पैसा इकट्ठा किया जायगा और अच्छे काम में खर्च होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। श्रीमन्, अच्छा यह होता कि जिन विधियों का जिक्र किया गया उस पर कुछ पहले से हम लोगों को मालूम होता कि किस प्रकार का उनका विचार है, किस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

तरह से पैसा एकत्रित करना है, किस तरह से एकत्रित करना है। मैं समझता हूं कि इसको वह बुरा नहीं मानेंगे कि इधर उधर अपनी जानकारी के इधर उधर टटोलने और अनुमान से जो बात आवें कहूँ। मैं यह समझता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी तो नहीं थी माननीय मंत्री जी के पास, लेकिन किसी प्रकार से विचार विनिमय कर लिया गया होता तो अच्छा होता और फिर उस समय हम अन्धेरे में टटोलने नहीं जाते। जिन चीजों का उन्होंने जिक्र किया उनमें से दो, एक के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक तो स्टाम्प के सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी ने कुछ कहा। स्टाम्प के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि रजिस्ट्रार को उन्होंने यह अधिकार दिया है कि जो बैनामा होने के लिये आवे, जो कागज लिखने के लिये आवे, उस समय उसे यह मालूम हो कि जितने मूल्य की सम्पत्ति है उससे कम बतला कर यह दस्तावेज लिखा जा रहा है, तो उस से वह ज्यादा स्टाम्प ले ले। मैंने तो यही समझा, अगर और कोई बात हो तो आप मुझे बतला दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, इसके बिलकुल विपरीत बात है। यदि रजिस्ट्रार को यह लगे--इसके कुछ नियम बनाये जायेंगे और उस नियम के अन्तर्गत यदि रजिस्ट्रार को लगे कि इसकी कीमत कम लगायी गयी है तो वह उसको कलेक्टर के पास भेजेगा और स्टाम्प इंस्पेक्टर से अभिदेश पर कलेक्टर उसकी प्रक्रिया तय करेगा कि इस पर इतने का स्टाम्प लगना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--

मैं करीब-करीब यही समझे हुए था कि यह रजिस्ट्रार के विवेक पर होगा, अगर उसे यह मालूम हो कि यह सम्पत्ति ज्यादा की है और इसे कम का दिखलाया गया है तो उस समय वह अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। श्रीमन्, इन रजिस्ट्रारों के सम्बन्ध में क्या माननीय वित्त मंत्री जी को जानकारी नहीं है? अपने रजिस्ट्रार के लिये उन्होंने मथुरा में क्या किया है, मैं समझता हूं कि अगर उसे सारे सदन को बतला देते तो बड़ा उपकार होता। इन रजिस्ट्रारों की आमदनी आज क्या है? दो, ढाई या तीन सौ रुपये उनकी तनख्वाह है लेकिन उनकी आमदनी किसी-किसी की तो हजार-हजार रुपये महीने तक ही होती है। कई भाई कह रहे हैं कि इससे ज्यादा होती है। श्रीमन्, इन रजिस्ट्रारों के विवेक पर आप जो काम छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह बड़ा अनर्थ होगा। कलेक्टर के लिये आपने बतलाया कि जब रजिस्ट्रार चाहेगा तो उसके पास भेजेगा, जब कि होना यह चाहिये कि जब रजिस्ट्रार की समझ में यह बात आवे कि कीमत कम लिखी गयी है तो वह कलेक्टर को रेफर कर दे। अच्छा तो यह होगा कि इसके लिये एक अधिकारी होना चाहिये जिसके सामने हर बैनामा बिना लिहाज इसके कि कीमत कम लिखी गयी है या ज्यादा लिखी गयी है, भेज दिया जाय तो इस बात को स्वयं देखे कि क्या कीमत कम आंकी गयी है? रजिस्ट्रार के अलावा इस अधिकारी को अधिकार होना चाहिये कि उसे रेंफ्रेंस के लिये रेफर करें। इस बात को उनके ध्यान में लाते हुए मैं समझता हूं कि यह मौका है जिस मौके पर आप रजिस्ट्रारों की कारगुजारी को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज रजिस्ट्रार की जो कारगुजारी है वह पुराने जमाने की कारगुजारी नहीं है। आज उसकी कारगुजारी ऐसी है कि अगर रजिस्ट्रारों की ५ वर्ष की आमदनी को देखा जाय तो ये सारे जेलखानों में चले जायेंगे, मुझे पता है कि आज एक भी रजिस्ट्रार प्रदेश या देश के भीतर नहीं है जिसने ईमानदारी से काम किया हो। श्रीमन्, यह तो एक पुरानी प्रथा चली आ रही है उस पर आपको दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा, दूसरे ढंग से चल कर काम करना पड़ेगा।

श्रीमन्, इस अवसर पर मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के भी कि आज फर्जी बैनामे जो आदमी मौजूद नहीं है उसकी सम्पत्ति का बैनामा आज इतना प्रचलित हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसको रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं। इन रजिस्ट्रारों को अगर अधिक शक्ति देंगे तो मालूम नहीं किस-किस की सम्पत्ति को बेंच डालें। स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं कि मथुरा में रजिस्ट्रार

ने क्या किया है। चाहे मथुरा हो, चाहे झांसी हो, चाहे देवरिया हो, मुझे मालूम है कि कोई भी रजिस्ट्रार ऐसा नहीं है जिस रजिस्ट्रार के लिये मैं आज इस पवित्र सदन में कह सकूं कि वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। उनमें से एक-दो परसेंट ईमानदार हों तो उनके प्रति ज्यादती करने का हमारा इरादा नहीं है। एक बात तो यह थी जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता था।

दूसरी बात की ओर, श्रीमन्, आपका भी और मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक्साइज डिपार्टमेंट इस वक्त उनके पास है। यह स्प्रिट वाली बात कही। वह बनती किस चीज से है। वह बनती है मोलासेस से। मोलासेस, मैं बतला दूं, इस साल ५६ लाख टन पैदा हुआ है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

फिर मोलासेस की बात पर आ गये।

श्री अध्यक्ष—

मिठास उन्हें ज्यादा पसन्द है।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, मिठास तो है ही। वह तो मिठास ही नहीं उसमें पागल करने की भी ताकत है। उसकी चर्चा करें तो कैसे रहा जाय। मोलासेस के लिए यह है कि इस वर्ष ५६ लाख टन पैदा हुआ है। पिछली दफा तो पंजाब वाले ले गये। रुपया कहां गया, उसको मारिये गोली। लेकिन क्या मिल वालों को अधिकार दिया जायगा कि वह एक्साइज डिपार्टमेंट से इस बात की छूट ले ले कि वह खराब है इसलिए रिलीज कर दिया जाय और रिलीज कर दिया जाए तो दस रुपया कुंतल, पांच रुपया कुंतल बेच कर करोड़ों रुपया हासिल करें? श्रीमन्, कोई उम्मीद थी और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात को ध्यान में ले आना चाहिए कि सरकार ने एक मर्तबा करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपया मोलासेस से लेकर मजदूरों के घर बनवाये। आज भी आवश्यकता इस बात की है कि मोलासेस का भाव मंदा जरूर है लेकिन ऐसी सूरत नहीं है कि १५ पैसे पर कुंतल में बिके। जितनी जरूरत हो रिप्रट बनाने की, जितनी जरूरत हो कारखानों को देने की तो इक्नामिक कीमत पर देना चाहिए और उनको देकर बाकी मोलासेस की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मोलासेस के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनायी थी। उसकी कीमतों के बारे में फैसला करने के लिए सेन कमीशन बनाया था। सेन कमीशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मोलासेस को रखने की बहुत खराब व्यवस्था है। उसके लिए उचित जगह बना कर उसको रखना चाहिए। लेकिन मिल वालों ने नहीं किया। इस बात को ध्यान में रख कर जल्दी कार्यवाही करने की जरूरत है, जिससे सरकार का धन पानी की तरह बह रहा है उसको रोका जा सके और सरकार कोई ऐसा कदम न उठावे जिससे सरकार को बुरी बातें सुनने को मिलती हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है उसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने चौथी पंचवर्षीय योजना में साधन जुटाने हेतु कुछ करों में वृद्धि करने की घोषणा की है। मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की तरफ उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अपने प्रदेश में यात्री टैक्स लगा हुआ है। जो विधेयक हमारे सामने लाया गया है उसमें कहीं इस बात का समावेश नहीं किया गया है कि जो लोग यात्री-कर में चोरी कर रहे हैं उसका निस्तारण कैसे किया जायगा। इस पर मंत्री जी कह सकते हैं कि पहले से प्राविधान है। लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यात्री-कर में बहुत इवेजन हो रहा है और सरकार उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रही है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यात्री-कर को वसूल करने के लिए कोई नयी परम्परा अपनायें और कोई ऐसा संशोधन करें जैसे पहले गुड्स टैक्स लिया

[श्री भगवती सिंह विशारद]

जाता था अब ठेला मोटर वालों के रोड टैक्स में जोड़ दिया गया है। इसी तरह से यात्री मोटर गाड़ी में भी होना चाहिये। यात्री-कर उनके टैक्स में बढ़ा दें जिससे वह सही-सही वसूल हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा । मेरे जिले में उन्नाव मोहान एक रोड है। वहां लारियां चलती हैं। एक-एक लारी आपरेटर पर चालीस-चालीस हजार रुपया टैक्स पड़ा है और इस विभाग से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

दूसरा निवेदन यह है कि कुछ रोड्स हैं जिनका क्लासीफिकेशन किया गया है—क, ख, ग। ग पर कम टैक्स लिया जाता है, ख पर कुछ ज्यादा लिया जाता है और क पर और ज्यादा लिया जाता है। यह बहुत पुराना क्लासीफिकेशन है। इस बीच बहुत सी सड़कें पक्की हो गयी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क पर १७ लाख रुपया खर्च करके उसको पक्का कराया गया। लेकिन पुराने जमाने में जो यात्रियों से किराया लिया जाता था वही अब भी यात्रियों से लिया जा रहा है और वह इस नाम पर लिया जा रहा है चूंकि रोड का क्लासीफिकेशन ही ऐसे ढंग का है। तो मेरा निवेदन यह है कि यू० पी० मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट में कुछ ऐसे संशोधन होने चाहिए जिससे पैसा भी ज्यादा मिल सके और यात्रियों को भी सुविधा हो सके।

*श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में कुछ विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था उस समय इस बात का जिक्र किया था कि इस वर्ष का बजट बड़ा संतुलित है और सरकार किसी प्रकार के नये टैक्स बढ़ाने का विचार नहीं रखती है। इस पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की गयी थी। कल भी यहां जो एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत किया गया उस समय भी यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश को फाइनेन्स कमीशन ने काफी पैसा दिया है जिससे कि बजट का काफी संतुलन हो गया है और किसी प्रकार के टैक्स, आदि बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन आज यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस विधेयक के द्वारा कई प्रकार के नये कर बढ़ाये जा रहे हैं। मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि वित्त मंत्री जी ने जो प्रारम्भिक भाषण दिया था उसमें कम से कम यह बतायें कि यह जो नये कर लगाए जा रहे हैं इससे इस वर्ष में कितना रुपया प्राप्त करने का अनुमान है। यह बहुत आवश्यक है। लेकिन इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि इसके द्वारा वह कितना रुपया एकत्रित करना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यदि कुछ ऐसी प्रक्रिया इस बिल में होती जिससे कर देने वालों को राहत मिल सकती या उसके प्रोसीजर में किसी तरीके से कुछ आसानी पैदा की जाती और इसके साथ थोड़ा-बहुत कर में संशोधन किया जाता तो लोगों को प्रसन्नता होती। आज इस प्रदेश में जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसमें लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां बहुत सी चीजों पर बहुसूत्री कर लगा हुआ है। इसके संबंध में वित्त मंत्री के सामने अनेक ज्ञापन आये, कई बार यहां पर मिले, मांग-पत्र रखे गये और यह मांग की गयी कि अधिक से अधिक एकसूत्री-कर कर दिया जाय तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। बहुत सी चीजें जो हाथ बदलती जाती हैं उन पर टैक्स लगता चला जाता है और उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। छोटे-छोटे दुकानदार जो अपने यहां कोई हिसाब-किताब नहीं रख सकते हैं, जिनका इतना मुनाफ़ा नहीं है कि मुनीम और क्लर्क रख सकें, ऐसी स्थिति में उन लोगों को जब सेल्स टैक्स आफ़ीसर के सामने जाना पड़ता है और कई-कई तारीखें पड़ती हैं, वकील करना पड़ता है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष मैं यह मांग पेश करना चाहता हूं कि आपने कुछ चीजों के संबंध में अपने बजट भाषण में कहा था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकसूत्री बिक्री-कर कर देंगे लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं जिन पर एकसूत्री बिक्री-कर कर सकते हैं और लोगों को परेशानियों से बचाया जा सकता है तो मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप टैक्स बढ़ाने के बजाय जो तरीके लोग उस टैक्स से बचने के करते हैं, करोड़ों की तादाद में आपके टैक्स का इवेजन किया जाता है आप उसको रोक नहीं सकते, वे लोग आपके कर्मचारियों से मिल कर टैक्स की चोरी करते हैं। अगर उसको रोकने की आप कोई व्यवस्था कर दें तो उससे काफ़ी आमदनी आपकी बढ़ सकती है। आपके इस संशोधन से जो ईमानदार लोग हैं उन पर तो कर का भार बढ़ जायेगा, किन्तु जो टैक्स की चोरी करते हैं वे बराबर उससे बचते रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बजाय टैक्स को और बढाने के, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उसको रोकने की व्यवस्था करें। साथ ही खर्चों में भी कमी करें। इस तरह से आपको काफ़ी बचत हो सकती है, आपकी आय बढ़ सकती है।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मेरे मित्र माननीय गेंदा सिंह जी ने जिन चीजों का जिक्र किया वह मेरे ध्यान में हैं। माननीय प्रेम चन्द्र जी ने भी जो बातें उठाई हैं मैं उनका भी उत्तर दूंगा। जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, मैं सचमुच सब-रजिस्ट्रार्स की परिस्थितियों से परिचित हूं और उन्होंने ठीक ही कहा कि मैंने मथुरा में अचानक सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में, अपने क्षेत्र में, उस कार्य को प्रारम्भ किया। मैं जब यहां गया तो मुझे शिकायतें मिलीं। मैंने वहां कार्यवाही भी की जो उस समय सब रजिस्ट्रार थे उनको मुअत्तल भी किया। बाद में यहां से आदेश गये। इस प्रकार से और भी दूसरे स्थानों पर कार्य किया। मैं उस जनरलाइजेशन में तो नहीं पड़ता कि सब रजिस्ट्रार्स की इतनी आमदनी है, या उतनी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस संबंध में जितनी कठिनाइयां हैं उनसे यह सरकार परिचित है। जितना भ्रष्टाचार है उससे भी यह सरकार परिचित है। मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जितना संभव होगा उपाय करेगी और यह कभी बरदाश्त नहीं करेगी कि वह जारी रहे। इसमें जो नयी धारा ४७-ए बनायी गयी है उसमें इतना है कि यदि किसी चीज की कीमत कम लगायी गयी है, वह अन्डर वैल्यू हो, तो उसमें उसको यह अधिकार दिया है लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया होगी वह धारा ७५ के अनुसार सरकार तय करेगी। रजिस्ट्रार को केवल इतना हक होगा कि वह उसको कलेक्टर के यहां भेजें और उसकी कीमत को कलेक्टर तय करेगा।

अब मेरे मित्र प्रेमचन्द्र जी ने जिस चीज का जिक्र किया है, उस संबंध में मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था, हम इस सेल्स टैक्स के संबंध में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। और उसी में मैंने यह कहा था कि कोई इस प्रकार की प्रक्रिया चलानी चाहिये जिसमें कि कुछ काम्पोजीशन हो और छोटे व्यापारियों को राहत मिले और उसके संबंध में, मान्यवर, कागज यहां चल रहे हैं। उसमें यह तय किया जा रहा है कि किस प्रकार इस प्रक्रिया को ठीक किया जाय। उसमें बड़ी वैधानिक कठिनाइयां आई हैं। एक तो वैधानिक कठिनाई यह आई है कि १५ हजार टर्न-ओवर वाले से टैक्स न लिया जाय तो बारह हजार वाला क्यों दे, क्योंकि वह कह सकता है कि पंद्रह हजार वाला नहीं देता है तो बारह हजार वाला क्यों दे? एक प्रश्न उठाया गया सिंगल प्वाइंट और मल्टी-प्वाइंट टैक्जशेन का। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता था....

श्री अध्यक्ष—

यहां बहुत शोर हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह कहना चाहता था कि यह जो सेल्स-टैक्स वाली बात थी कि इसमें सिंगल प्वाइन्ट या मल्टी-प्वाइन्ट हो तो इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि ७० प्रतिशत सिंगल प्वाइंट है और अभी हमने १७ नये आइटम्स पर सिंगल प्वाइंट किया है। और इसके अतिरिक्त यह जरूर सरकार के विचार में है कि जितना कुछ भी हो सके सिंगल प्वाइन्ट किया जाय। वह फ़र्स्ट प्वाइंट पेड हो या लास्ट प्वाइन्ट पेड हो। इसके संबंध में जरूर बात विचारणीय है और कठिनाइयां जरूर हैं। मेरे मित्र माननीय प्रेमचन्द्र जी ने शिकायत की कि सरकार ने यह ऐलान किया था-कुछ टैक्स नहीं बढ़ाये जायेंगे। मुझे दुख है कि उनको यह ख्याल नहीं रहा कि लगभग ८ करोड़ रुपये कुछ चीजों में-मोटर वैहिकिल्स टैक्जेशन में-हेरफ़ेर करने के बाद, और जो हमारे अन्य संशोधन हैं, उनमें आठ करोड़ की वृद्धि इस प्रदेश में करेंगे। इस प्रकार का जिक्र उस भाषण में था। और जिस टैक्सेशन का जिक्र था वह और दूसरे प्रकार के टैक्सों की बात थी। जो नीति हमने प्रारम्भ में निर्धारित की थी कि हमारे टैक्स की यह प्रथा होनी चाहिये, उसका भार अपेक्षाकृत जो हमारा गरीब तबका है उस पर न पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए यह छोटा-सा संशोधन है और मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस पर विचार करे।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रश्न पर कुछ सूचना देना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी ने मोलेसेस के विषय में चर्चा की थी मैं उनकी भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं और वे भ्रांतियां इस प्रकार की हैं। मोलेसेस काफ़ी मात्रा में तैयार होता है और फ़ैक्टरियों को इजाजत दे दी जाती है कि वे मनमाने ढंग से उसे बेचें और लाखों करोड़ों रुपये मनमाने ढंग से बेचकर कमाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोलेसेस उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः डिस्टिलैरीज को दिया जाता है जो डिस्टिलैरीज एल्कोहल बनाती हैं। वे इसलिये बनाती हैं कि उसका प्रयोग औद्योगिक कार्यों में होता है। सबसे बड़ा संस्थान हमारे प्रदेश में यह जो रबर फ़ैक्टरी है वह है। और भी औद्योगिक संस्थान हैं जिन्हें अल्कोहल दिया जाता है और केंद्रीय सरकार बाहर के प्रदेशों में भी भिजवाती है निर्धारित कीमत पर। ये डिस्टिलरीज को मोलेसेस निर्धारित कीमत पर देते हैं और निर्धारित कीमत पर ही डिस्टिलरीज अल्कोहल देती हैं जो कि फ़ैक्टरीज को दिया जाता है। इसलिये यह कहना कि ये फ़ैक्टरियां मनमाने ढंग से मोलेसेस को बेंच लेती हैं यह नहीं है।

अभी थोड़े दिन हुए एक प्रश्न आया था जिसके उत्तर में मैंने बताया था कि जितनी पैदावार हुई थी। तीन फ़ैक्टरियां ऐसी थीं जिनकी कुछ मात्रा में मोलेसेस खराब हो गई थी। एक तो बिस्वां की थी और एक शायद मुरादाबाद की या महौली की थी, एक का शायद १४ हजार का था और दूसरी का कम था ६,००० था। मतलब यह है कि मोलेसेस डिस्टलरीज को दिया जाता है और बंधे हुए रेट पर दिया जाता है और वह प्रदेश में और प्रदेश के बाहर केंद्रीय सरकार की नीति के अनुसार अल्कोहल सप्लाई करती हैं। इसलिये यह भ्रांति के मोलासेस से फ़ैक्टरीज को अधिक मात्रा में पैसा कमाने की आज्ञा दी जाती है और मौका दिया जाता है यह उन का मत भ्रांतिपूर्ण है। मोलासेस काफ़ी मात्रा में पैदा होता है लेकिन बहुत-सी जगह टैक्स नहीं हैं जहां कि बरसात के दिनों में शीरा बचाया जा सके। फ़ैक्टरीज शीरे के बचाने के लिए पैसा इसलिये खर्च नहीं करतीं क्योंकि शीरे के दाम ६७ पैसे हैं। खंडसारी का शीरा बाहर बिकता है और उसकी बिकी ज्यादा होती है लेकिन यह फ़ैक्टरीज के मोलासेस नियंत्रित ढंग से बेचे जाते हैं और उससे बना एल्कोहल भी नियंत्रित ढंग से डिस्टीलरीज से दिया जाता है। इसीलिये यह विचार भ्रमात्मक है और गलतफ़हमी पैदा करता है। अगर माननीय सदस्य संबंधित आंकड़े मेरे कमरे में आकर देखना चाहें तो उन्हें देखकर वह सन्तुष्ट हो जायेंगे। इसलिये उनके दिल में जो इस संबंध में भ्रांति है वह निराधार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २ से २३ तथा अनसूची

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४७ के पश्चात निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

ऐक्ट संख्या २, १८९९, में नयी धारा ४७-क का रखा जाना

४७-क—अवमूल्यित हस्तांतरण-विलेख इत्यादि पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी—

(१) यदि हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबत, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी किसी विलेख की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति का उक्त विलेख में उल्लिखित बाजार-मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य से कम हो तो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के अधीन नियुक्त निबन्धन अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलेक्टर को अभिदिष्ट करेगा ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसे निबन्धन अधिकारी को, हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी किसी विलेख की रजिस्ट्री करते समय यह विश्वास करने का कारण हो कि हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य विलेख में ठीक-ठीक उल्लिखित नहीं किया गया है तो वह, ऐसे विलेख की रजिस्ट्री करने के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलेक्टर को अभिदिष्ट कर सकता है ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने और ऐसी रीति से जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत की जाये, जांच करने के पश्चात्, हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उपयुक्त शुल्क अवधारित करेगा । यदि शुल्क की धनराशि में कोई अन्तर हो तो उसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जो शुल्क का देनदार हो ।

(४) कलेक्टर, किसी ऐसे हस्तांतरण, विनिमय, दान बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास संबंधी विलेख के जो उपधारा (१) उपधारा (२) के अधीन उसे पहले से ही अभिदिष्ट न किया गया हो, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से दो वर्ष के भीतर स्व ं या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के अभिदेश पर हस्तांतरण, विनिमय, दान, बन्दोबस्त, अभिनिर्णय या न्यास की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय शुल्क की सत्यता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ विलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि विलेख में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से उल्लिखित नहीं किया गया है तो वह उपधारा (३) म व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उस पर

देय शुल्क अवधारित कर सकता है। यदि शुल्क की धनराशि में कोई अन्तर हो तो उसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जो शुल्क का देनदार हो।"

अनुसूची १-बी का संशोधन

३--मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में--

(१) आर्टिकिल १ में दी हुई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाये, अर्थात्:--

"४--शपथ-पत्र, जिसमें शपथ लेने की बजाय प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुमत व्यक्तियों की दशा में प्रतिज्ञान-पत्र तथा घोषणा-पत्र भी सम्मिलित है--

(क) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने या प्रयोग लिए जाने के तात्कालिक प्रयोजन के लिए .. एक रुपया

(ख) किसी अन्य मामले में .. चार रुपये पचास पैसे

विमुक्तियां

शपथ-पत्र या घोषणा-पत्र यदि वह:

(क) आर्मी ऐक्ट, १९५०, एअर फोर्स ऐक्ट, १९५० या नेवी ऐक्ट, १९५७, के अधीन भरती की शर्त के रूप में, या

(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पूर्त भत्ता पाने योग्य बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए,

निष्पादित किया जाये।"

(२) आर्टिकिल २३ में प्रथम स्तम्भ की प्रथम प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाये, अर्थात्--

"यदि ऐसे हस्तांतरण के लिए उसमें उल्लिखित प्रतिफल की धनराशि या उसका मूल्य, अथवा ऐसे हस्तांतरण की विषय-वस्तु किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इनमें जो भी अधिक हो, ५० रुपये से अधिक न हो।"

(३) आर्टिकिल ३० में प्रथम स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाये, और वह सदैव से ही रखी गयी समझी जाये, अर्थात्--

"एडवोकेट्स ऐक्ट, १९६१ की धारा २२ के अधीन स्टेट बार काउन्सिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया भरती का प्रमाण-पत्र।"

वैधीकरण

४--इस अधिनियम की धारा ३ द्वारा मूल अधिनियम की अनुसूची-१-बी के आर्टिकिल ३० में संशोधन के होते हुए भी, उक्त आर्टिकिल के अधीन जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व था, भारित या वसूल किया गया तात्पर्यित कोई भी स्टाम्प शुल्क, एतद्द्वारा यथासंशोधित उक्त आर्टिकिल के अधीन वैधतः भारित या वसूल किया गया समझा जायेगा, और मूल अधिनियम की धारा १३ से १७ तक की कोई बात, उक्त आर्टिकिल (एतद्द्वारा

यथा संशोधित) में अभिदिष्ट तथा उक्त दिनांक के पूर्व निष्पादित भरती के प्रमाण-पत्रों में संबंध में लागू न समझी जायेगी ।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९३९ की धारा ३ का संशोधन

५—यूनाइटेड प्रांविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ऐंड डीजल आयल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(१) मोटर स्प्रिट और डीजल आयल की फुटकर बिक्री के लिए प्रत्येक फुटकर व्यापारी पर मोटर स्प्रिट की दशा में १० पैसे प्रति लीटर से अनधिक तथा डीजल आयल की दशा में ७ पैसे प्रति लीटर से अनधिक ऐसी दर या दरों से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे, कर आरोपित किया जायेगा और उसे उससे ऐसी रीति से वसूल किया जायेगा जो नियत की जाये।"

यू० पी० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३ का संशोधन

६—यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन पैसे प्रति रुपया" रख दिया जाये,

(२) उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाये, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल अथवा माल के वर्ग के संबंध में विक्रय-धन पर कर की दर घटा सकती है और तदुपरान्त कर संगत विक्रय-धन पर इस प्रकार घटायी हुई दर से देय होगा ।"

धारा ४-क का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ४-क की उपधारा (१) में शब्द "तीन वर्ष से कम, और" निकाल दिये जायें ।

नई धारा ४-ख का बढ़ाया जाना ।

८—मूल अधिनियम की धारा ४-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात्—

कुछ निर्माताओं को विशेष छूट

"४—ख—(१) धारा ३, ३-क, ३-कक और ३-घ में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि धारा ३-घ के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाये जो उक्त धारा के अधीन अपने प्रथम क्रय के विक्रय धन पर कर का देनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके संबंध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो तो वह ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञापित किया जाये;

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को बेचा जाये और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये ।

(२) कोई व्यापारी, जिसे उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई माल उत्तर प्रदेश राज्य में कोई विज्ञापित माल निर्यात करने के प्रयोजनों से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे विज्ञापित माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बेंचने का अभिप्राय हो, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाये, उसके संबंध में मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कर निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि प्रार्थी उन अपेक्षाओं तथा शरतों को जो नियत की जायें, पूरा करता हो तो कर निर्धारक अधिकारी ऐसे माल के संबंध में व्यापारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शरतों पर जो नियत की जा ं, मान्यता का प्रमाण-पत्र देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) विज्ञापित माल के निर्माण में किसी व्यापारी द्वारा प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों को भी ऐसे विज्ञापित माल का कच्चा माल समझा जायेगा,

(ख) "विज्ञापित माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये ।

(३) यदि कर निर्धारक-अधिकारी को राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त के रूप में, या समय-समय पर, ऐसे मान्यता के प्रमाण-पत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए शर्त के रूप में, ऐसी अपेक्षा आरोपित कर सकता है कि व्यापारी मान्यता के प्रमाण-पत्र की शर्तों का उचित रूप से अनुपालन करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा जो वह निर्दिष्ट करे ।

(४) (१) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसे व्यापारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था—

(क) वह निर्माण-व्यापार जिसके प्रयोजन के लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था, बन्द कर दिया है; या

(ख) मान्यता के प्रमाण-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(ग) उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(घ) वह ऐसा फर्म, संघ का संयुक्त हिन्दू परिवार है,

धारा १८ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण के अर्थ में यह समझा जाए कि उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया है;

तो ऐसा अधिकारी, या तो स्वत: अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दि ` जाने पर, मान्यता का प्रमाण-पत्र ऐसे दिनांक से जो वह निर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है ।

(२) कर निर्धारक अधिकारी उपधारा (२) के अधीन दिए गए मान्यता के प्रमाण-पत्र को या तो स्वत: अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दिशा में जब व्यापारी ने अपने व्यापार के नाम या स्थान में परिवर्तन कर दिया हो अथवा किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नई शाखा खोल ली हो, अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से संशोधित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा स्वत: मान्यता का प्रमाण-पत्र न तो रद्द किया जाएगा और न संशोधित किया जाएगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाए ।

(५) यदि किसी व्यापारी ने जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या कर का भुगतान किए बिना, जैसी भी दशा हो, माल खरीदने के पश्चात् माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो अथवा उस माल का निस्तारण अन्य रूप से कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप उस धनराशि का देनदार होगा जो—

(क) यदि रियायती दर पर कर का भुगतान करके माल खरीदा जाए तो, ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि के और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर से कम न हों; और

(ख) यदि बिना कर दिए माल खरीदा जाए तो, धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि से कम न हो,

किन्तु ऐसे अन्तर के या कर की धनराशि के जैसी भी दशा हो तीन गुने से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई अर्थदंड आरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया जाए;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में, जिसके लिये इस उपधारा के अधीन आरोपित अर्थ दण्ड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया हो, धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

(६) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, उत्तर प्रदेश राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में विज्ञापित माल न बेच कर अथवा बेचा हो अथवा ऐसे माल को राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप न भेज कर अन्यथा भेजा हो, तो ऐसा व्यापारी उस धनराशि का देनदार होगा, जो यदि रियायती दर पर कर का भुगतान करके माल खरीदा जाए तो, ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर के बराबर हो, अथवा जो, यदि बिना कर दिए माल खरीदा जाए तो धारा ३, धारा—३क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर के बराबर हो।

(७) यह निर्धारण करने के लिए कि कोई विशिष्ट बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में हुई है या नहीं, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारायें ३, ४ और ५ लागू होंगी।" ऐक्ट ७४, १९५६

९—मूल अधिनियम की धारा ८—क में उपधारा (६) के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिन्धात्मक खण्ड रख दिए जाएं, अर्थात्— धारा ८—क का संशोधन

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा के विरुद्ध धारा ९ के अधीन अपील की जा सकेगी;

प्रतिबन्ध यह भी है कि अपील सुनने वाले अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध व्यक्ति, उस पर आज्ञा तामील किए जाने के तीस दिन के भीतर, किन्तु प्रतिभूति दे देने के पश्चात, पुनरीक्षण अधिकारी के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।"

धारा ९ का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा ९ में---

(क) उपधारा (१) में शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा १५--क के अधीन अर्थ--दण्ड लगाने वाली आज्ञा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए, अर्थात्:---

"धारा ४--ख की उपधारा (५) के अधीन या धारा १३--क के अधीन या धारा १५--क के अधीन अर्थ-दण्ड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ४--ख की उपधारा (३) के अधीन या धारा ८--क की उपधारा (६) क अधीन प्रतिभति मांगने की आज्ञा या धारा ४--ख की उपधारा (४) के अधीन मान्यता के प्रमाण-पत्र रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा";

(ख) उपधारा (३) में, खण्ड (घ) के उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्--

(१--क) धारा ४--ख की उपधारा (३) के अधीन या धारा ८--क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं, अथवा

(१--ख) धारा ४--ख की उपधारा (४) के अधीन किसी मान्यता के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं, अथवा;

(ग) उपधारा (६) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्--

(७) अपील सुनने वाला अधिकारी बिक्री-कर कमिश्नर के अधीक्षण और नियन्त्रण में रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधीक्षण और नियंत्रण के प्रयोग में बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा ऐसे कोई आदेश, अनुदेश या निदेश नहीं दिए जायंगे जिनसे अपील सुनने वाले अधिकारी के अपीली कृत्यों क प्रयोग विषयक विवक में हस्तक्षेप हो।"

धारा १० का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) निकाल दी जाए।

धारा १३ का संशोधन

१२---मूल अधिनियम की धारा १३ में---

(क) उपधारा (२) में शब्द "अधिकारियों द्वारा" के पश्चात् शब्द 'जो कर निर्धारक अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हो" रख दिए जाए;

(ख) उपधारा (३) में शब्द "जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant Sales Tax Officer) या उससे निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो" निकाल दिए जाए, और

(ग) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएं अर्थात्:—

"(४—क) उपधारा (२) के अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी—

(१) किसी ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी को, अथवा ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में पाए गए किसी सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र को, जिसके बारे में उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख्य या माल रखे जाते हैं या हैं, मुहरबन्द करने का अधिकार रखेगा, यदि ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी अथवा सन्दूक, अलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दें या उपबन्ध न हो या जब उससे खोलने को कहा जाय तो उसे न खोले या खोलने से इंकार करे;

(२) यदि ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति, जिसके अध्यासन या प्रभार में कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी, अथवा कार्यालय, दुकान, गोदाम यान-पात्र या गाड़ी में पाए गए सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र हों, उपस्थित हो किन्तु उस स्थान से चला जाए या ऐसा करने के लिए अवसर दिए जाने के पश्चात् वह, जैसी भी दशा हो, ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र, गाड़ी अथवा सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को न खोले तो, उसे तोड़ कर खोल सकता है और उसमें पाए गए माल तथा लेख्यों की एक सूची तैयार कर सकता है।

(४—ख) उपधारा (४—क) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है।

(४-ग) कोई भी व्यक्ति उपधारा (४-क) के अधीन लगाई गई किसी मुहर से अन्तः क्षेप नहीं करेगा।"

नयी धारा १३—क का बढ़ाया जाना

१३—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

अभिग्रहण तथा जब्त करने का अधिकार।

"१३—क (१) धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा—

(१) जो किसी व्यापारी के कार्यालय, दुकान, गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र या किसी अन्य भवन या स्थान पर पाया जाए; या

(२) जिसके सम्बन्ध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यापारी का है और जो किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र अथवा भवन में या स्थान पर पाया जाए;

किन्तु जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के दौरान में रखे गए लेखों, रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में न रखा गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन अभिगृहीत सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और उस पर उक्त अधिकारी तथा कम से कम दो सम्मानीय साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(२) व्यापारी, जिसका माल उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत किया गया हो, उक्त माल के संबंध में कर के रूप में देय धनराशि के तीन गुने से अनधिक ऐसे अर्थ-दण्ड का देनदार होगा जो कर निर्धारक अधिकारी द्वारा आरोपित किया जाए;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अर्थ-दंड तब तक आरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाए;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हीं तथ्यों के संबंध में जिनके लिए इस उपधारा के अधीन आरोपित अर्थ-दंड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया हो, धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत माल उक्त उपधारा के अधीन उसका अभिगृहण करने वाले अधिकारी द्वारा या कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उस अर्थ-दंड का भुगतान करने के लिए, जो उपधारा (२) के अधीन आरोपित किया जाए, ऐसी प्रतिभूति देने पर जो, ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, छोड़ दिया जाएगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत माल कर निर्धारक अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है यदि व्यापारी नियत अवधि के भीतर उसके सम्बन्ध में आरोपित अर्थ-दंड का भुगतान न कर दे।"

धारा १४ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा १४ में--

(क) उपधारा (१) में--

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए, अर्थात्:--

"(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए, धारा ८-क के अधीन और उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे, अथवा",

(२) शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार रुपये" रख दिए जाएं; और

(३) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि उप धारा के खंड (क) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्धदोष ठहराए जाने पर न्यूनतम दंड जो दिया जाएगा, वह पांच सौ रुपये की धनराशि का या अपराध में अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का, जो भी कम हो, अर्थदन्ड हो या";

(ख) उपधारा (२) में--

(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्:--

"(ककक) धारा ४-ख के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान कर के या बिना कर दिए खरीदे गए किसी माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए करे अथवा ऐसे माल का अन्यथा निस्तारण करे; या

(ककक) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए भी अधिनियम या तद्धीन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने विक्रय धन का विवरण-पत्र बिना पर्याप्त कारण के प्रस्तुत न करे अथवा विवरण-पत्र के पूर्व या साथ, जैसा कि धारा ७ की उपधारा (१-क) में व्यवस्थित है, कर जमा न करे, या";

(२) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए, अर्थात्:--

"(च) धारा १३ के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को, धारा १३ की उपधारा (२), (३), (४), (४-क) और उपधारा (५) के खंड (क) में और धारा १३-क की उपधारा (१) में उल्लिखित किन्हीं कृत्यों को करने से रोकें या उसमें बाधा डाले, अथवा";

(३) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्:--

"(चच) धारा १३ की उपधारा (४-क) के अधीन लगाई गई किसी मुहर से अन्तःक्षेप करे; अथवा";

(४) शब्द "छः (६) मास" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जाएं, और

(५) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्ध दोष ठहराए जाने पर न्यूनतम दंड जो दिया जाएगा वह तीन माह की अवधि के लिए साधारण कारावास होगा।"

धारा १५-क का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा १५-क की उपधारा (५) निकाल दी जाय।

धारा २४ का संशोधन

१६--मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खंड (छ) के अन्त में आया हुआ शब्द 'और' निकाल दिया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएं, अर्थात्:--

"(छछ) धारा १३ की उपधारा (४-क) के अधीन मुहर लगाने की रीति और वह रीति जिसमें और वह व्यक्ति जिसके द्वारा उसे हटाया जाएगा और उक्त उपधारा में अभिदिष्ट मुहरबन्द सम्पत्ति और अन्य माल तथा लेखों की अभिरक्षा के लिए;

(छछछ) धारा १३-क के अधीन अभिगृहीत माल की अभिरक्षा; और"।

नयी धारा २९-क का बढ़ाया जाना

१७—मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

"२९-क-इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा ८-क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन किसी व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय अथवा उसका भुगतान किया जाए तो ऐसे धनराशि या उसके किसी भाग का, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाए, तदर्थ दावा किए जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को जिससे ऐसे व्यापारी या अन्य व्यक्ति ने उस धनराशि या उसके भाग को वास्तव में वसूल किया था, और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, वापस कर दी जाएगी।"

विशेष मामले में रुपये की वापसी

राष्ट्रपति अधिनियम सं० ११, १९६८ का निरसन

१८—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६८ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

यू० पी० ऐक्ट सं० ५, १९३५ की धारा २ का संशोधन

१९—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स, टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में:—

(१) खंड (ए), (डी), (ई), (एफएफ), (जी) तथा (के) निकाल दिए जाएं;

(२) खंड (जे) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाए, अर्थात्:—

"(जेजे) अन्य शब्दों तथा पदावलियों के वही अर्थ हैं जो क्रमशः उन्हें समय-समय पर यथा-संशोधित, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में दिए गए हैं।"

धारा ४ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाए,

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा ५-ए में "प्रथम अनुसूची" का तात्पर्य—

(ए) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६२, जिसे आगे १९६२ का अधिनियम कहा गया है, के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए १९६२ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व की प्रथम अनुसूची से है,

(बी) १९६२ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके पश्चात् ,किन्तु उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये १९६२ के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गयी प्रथम अनुसूची से है, तथा

(सी) उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम,१९६९ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से तथा उसके पश्चात् किसी भी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित प्रथम अनुसूची से है।"

धारा ५ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाए, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा ४ के अधीन किसी अवधि के लिए देय कर और उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ द्वारा संशोधित किए जाने के पूर्व के इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस अवधि के लिए पहले ही भुगतान किए गए कर की धनराशि के अन्तर का भुगतान उक्त अधिनियम के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से चार महीने के भीतर किया जाएगा।"

धारा २० का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा २० में उपधारा (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जाएंगे और जब तक की कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाए, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु ऐसा कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

प्रथम अनुसूची के स्थान पर नयी अनुसूची की प्रति-स्थापन

२३—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाए, अर्थात्:—

प्रथम अनुसूची
(धारा ४ देखिये)

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
१	२	३
	भाग 'क'	॥
	परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां	
१	भारविहीन ४०६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसमें स्कूटर तथा आटो साइकिलें सम्मिलित हैं)—	६०
	(क) मोटर बाइसिकिलें—	
	(१) ९१ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार विहीन ..	२५
	(२) ९१ किलोग्राम से अधिक वजनवाली, भारविहीन ..	४०
	(ख) तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें	४०
	(ग) किसी ट्रेलर या पार्श्व गाड़ी (साइड कार) के खींचने के लिये प्रयोग की जाने वाली मोटर बाइसिकिलें या तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें—उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त	४
२	केवल यात्रियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनायी गयी और प्रयोग में लायी गयी गाड़ियां, जिनमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो (मोटर साइकिलों सहित) और जिनका भारविहीन वजन ४०६ किलोग्राम से अधिक हो—	
	(१) (क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भारविहीन	९०
	(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु १,२७० किलो ग्राम से अनधिक वजन वाली, भारविहीन	१२०
	(ग) १,२७० किलोग्राम से अधिक किन्तु १,७७८ किलो ग्राम से अनधिक वजन वाली, भारविहीन ..	१५०
	(घ) १,७७८ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भारविहीन..	१८०
	(२) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आनेवाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	२०
३	ड्राइवर को छोड़ कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले के लिए बनाई गई या प्रयोग के लिए अपनायी गई ४०६ किलोग्राम से अधिक वजन (भारविहीन) वाली गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं—	
	(१) यदि उसमें पूर्णरूप से वायवीय (न्यूमैटिक) टायर लगाये गये हों, और	
	(क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली	१३८

१	२	३
	(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु १,७७८ किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली	रु० २२८
	(ग) १,७७८ किलोग्राम से अधिक किन्तु २,५४० किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली	३००
	(घ) २,५४० किलोग्राम से अधिक किन्तु ३,५५६ किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली	४३८
	(ङ) ३,५५६ किलोग्राम से अधिक किन्तु ५,०८० किलोग्राम से अनधिक वजन (भारविहीन) वाली	५६४
	(च) (भारविहीन) ५,०८० किलोग्राम वजन से अधिक, ५,०८० किलोग्राम से अधिक प्रत्येक १,०१६ किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिए	२३४
	(छ) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर—	
	क—१,०१६ किलोग्राम से अनधिक भार ले जाने के लिए ..	१५६
	ख—१,०१६ किलोग्राम से अधिक भार ले जाने वाले के लिए ..	३००
	(२) यदि लचकीले टायर (रेजीलियेन्ट टायर) लगाए गए हों—वायवीय टायर सहित उसी वजन (भारविहीन) की गाड़ी के लिए देय समुपयुक्त कर तथा उस पर ३३१/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर,	
	(३) यदि लचकीले टायर न लगाए गए हों—वायवीय टायर सहित उसी वजन (भारविहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर तथा उस पर ६६२/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर।	
	भाग "ख"	
	परिवहन गाड़ियां	
	यात्रियों तथा यात्रियों के हलके वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए किराये पर चलने वाली गाड़ियां—	
	(१) ड्राइवर को छोड़ कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	२००
	(२) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली ..	३००
	(३) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	४००
	(४) ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	प्रथम छः स्थानों के लिए	४५२

१	२	३
		रु०
	छः से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए और बीस स्थानों तक इसके अतिरिक्त—	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	३६
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	२४
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	२०
(५)	ड्राइवर को छोड़ कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	१,०३२
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	४४
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	८२८
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	३६
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	७०८
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	२४
(६)	ड्राइवर को छोड़ कर ३२ से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली, अन्तिम पूर्वोक्त खण्ड के अधीन प्रथम २० स्थानों के लिए देय कर तथा ३२ से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए इसके अतिरिक्त—	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	८४
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर योग के लिए अभिप्रेत हो ..	६०
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	३६
५	सीमित संख्या में यात्रियों को ले जाने तथा सीमित परिमाण में माल के परिवहन के लिए किराए पर चलने वाली गाड़ियां—	
	प्राधिकृत संख्या में यात्रियों के बैठने के स्थानों के संबंध में अनुच्छेद ४ के अधीन देय कर, तथा माल के प्राधिकृत भार के प्रत्येक ५१ किलोग्राम के लिए अतिरिक्त कर—	
	(क) यदि क–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	१२
	(ख) यदि ख–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	८
	(ग) यदि ग–श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	४
६	केवल माल के परिवहन के लिए चलने वाली गाड़ियां—	
	(ए) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय टायर लगाए गए हों, और—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	(१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए	२८०
	(२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए	१०

१	२	३
		रु०
	(ख) यदि ख-श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	(१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिये..	२५२
	(२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए	ब
	(ग) यदि ग-श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए ..	२२८
	(२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए	
(बी)	यदि लचकीले टायर लगाए गए हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिए देय कर और साथ ही उस पर ३३ १/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर।	६
(सी)	यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों—इस अनुच्छेद की अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिए देय कर, और साथ ही उस पर ६६ २/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर।	
६	क-मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अध्याय ४ के अधीन चार या अधिक रीजनों में चलाई जाने के लिए अनुज्ञेय माल गाड़ियां— अनुच्छेद ६ तथा ७ के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस पर ४०० रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर।	
७	किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत गाड़ियां—क-श्रेणी के मार्ग के संबंध में अनुच्छेद ४, ५ या ६ के अधीन देय समुपयुक्त कर, और साथ ही ऐसे समुपयुक्त कर के ५० प्रतिशत से अनधिक का ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत किया जाये।	
८	किराये पर चलने वाली गाड़ियां, जिनके संबंध में अनुच्छेद ४, ५, ६ तथा ७ में से किसी के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, जब विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिए उन मार्गों, जिन पर वे अन्यथा चलती हैं, से भिन्न अन्य मार्ग या मार्गों पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—पूर्वोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधीन भुगतान किए गए किसी कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन या उसके किसी भाग के लिए, जिसमें किसी ऐसी गाड़ी को ऐसी विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में प्रयोग करने का अभिप्राय हो—३ पये की दर से कर :	
	प्रतिबन्ध यह है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात किसी ऐसी मोटर गाड़ी पर लागू नहीं होगी जो किसी विशेष यात्रा के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से किसी निजी किराया करार के अधीन हो।	
	प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई मोटर गाड़ी उस अवधि में जब उसे उन मार्गों के अतिरिक्त, जिनके संबंध में उसे स्थायी लाइसेंस दिया गया है, अन्य मार्ग या मार्गों पर अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी गई हो, उन सड़कों का प्रयोग न करें जिसके लिए उसे अस्थायी लाइसेंस दिया गया है, तो अतिरिक्त कर देय न होगा।	

१	२	३
९	(निकाल दिया गया)	६०
१०	ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रैक्टर खींचा जाता हो और जो कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाता हो जब तक कि उसकी संयुक्त इकाई से कोई सन्धिबद्ध (आर्टिकुलेटेड) गाड़ी न बने--- उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त १०० पया प्रतिवर्ष की समान दर से कर ।	

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड २३ तक तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९

ऐक्ट संख्या २, १८९९ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९३९ संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८, यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, नार्दर्न प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट ऐण्ड डीजल आयल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ तथा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ कहलाएगा ।

(२) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे प्रवृत्त होगा, और विभिन्न उपबन्धों के संबंध में भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मन्त्रियों, उपमंत्रियों, सभासचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर विचर किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर विवार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३—१०

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात :—

"(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा ।"

धारा ४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान के संबंध में 'रख-रखाव' के अन्तर्गत स्थानीय-कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और १०० रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत विद्युत ड्यूटी भी है) विद्युत् की व्यवस्था करना भी है ।"

धारा ४-क का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४-क के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—राज्य सरकार विद्युत् उपभोग के व्ययों का ७५ रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा (जिसके अन्तर्गत विद्युत ड्यूटी भी है) के अधीन रहते हुए वहन करेगी, चाहे सरकारी निवास-स्थान की व्यवस्था की गयी हो अथवा नहीं ।"

धारा ८ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक 'धारा २ में उल्लिखित करों' के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर 'धारा २ से ४—क तक में उल्लिखित करों' रख दिये जायं ।

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष,

जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५२ की धारा २ का संशोधन

७--उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात :--

"(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।"

धारा ३ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात--

"स्पष्टीकरण--(क) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, किसी निवास-स्थान के संबंध में 'रखरखाव' के अन्तर्गत स्थानीय कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और १०० रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत विद्युत ड्यूटी भी है) बिद्युत की व्यवस्था करना भी है।"

(ख) किसी उप-मंत्री की दशा में राज्य सरकार विद्युत उपभोग के व्ययों का, ७५ रुप प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये (जिसके अन्तर्गत विद्युत ड्यूटी भी है) वहन करेगी, चाहे सरकारी निवास-स्थान की व्यवस्था की गयी हो अथवा नहीं।"

धारा ६ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा ६ में--

(१) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "धारा २ में उल्लिखित करों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ और ३ में उल्लिखित करों" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाय, अर्थात--

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

१०--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ की धारा ३ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना। सभा सचिवों के वेतन तथा भत्ते

"३--(१) प्रत्येक सभा सचिव को छः सौ रुपये मासिक वेतन तथा एक सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायगा ।

(२) उक्त वेतन, तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा ।"

श्री गंगा प्रसाद—

श्रीमन्, मैं अपने संशोधन को उपस्थित नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ से १० तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११, १२ तथा १३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ का संशोधन

११--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में--

(१) उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"और निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन या पास भी दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा उच्चतर श्रेणी, यदि कोई हो, से यात्रा करने का अधिकारी होगा ।"

(२) उपधारा (२) में--

(क) खण्ड (१) में शब्द "जो रेल द्वारा संयोजित न हों" के स्थान पर शब्द "जो रेल या उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा संयोजित न हों" रख दिये जायं;

(ख) खंड (२) में, शब्द "पंद्रह रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस रुपये" रख दिये जायं; तथा

(३) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी सदस्य को उपरोक्त के अनुसार रेल के निःशुल्क कूपन अथवा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के निःशुल्क कूपन या पास नहीं दिये जाते तब तक वह अपनी पूर्वोक्त उपस्थिति के निमित्त दैनिक भत्ता तथा आनुषंगिक व्यय के अतिरिक्त विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये रेल का प्रथम श्रेणी का किराया अथवा, यथास्थिति, ऐसे स्थानों के बीच जो रेल द्वारा संयोजित न हों की गयीं सड़क यात्रा के लिए थम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता (माइलेज) पाने का अधिकारी होगा ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि नेता विरोधी दल को कोई भी दैनिक भत्ता देय न होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम में पदावधि 'नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो ।"

नयी धारा २-क का बढ़ाया जाना

१२--मूल अधिनियम की धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"२-क--(१) नेता विरोधी दल प्रतिमाह एक हजार रुपये वेतन और प्रतिमाह एक सौ पचास रुपये परिवहन भत्ता पाने का हकदार होगा ।

नेता विरोधी दल के संबंध में विशेष उपबन्ध

(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देयकर के अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा ।

(३) वह अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में बिना किराये के ऐसे निवास-स्थान के उपयोग करने का हकदर होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में नियत मान के अनुसार सुसज्जित तथा रख-रखाव किया जायगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी निवास-स्थान के के संबंध में "रखरखाव" के अन्तर्गत स्थानीय कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और प्रति माह १०० रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत विद्युत् ड्यूटी भी है) विद्युत् की व्यवस्था करना भी है ।

(४) उसके लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जायगी, अर्थात् :--

(क) वैयक्तिक सहायक;
(ख) आशुलिपिक;
(ग) जमादार;
(घ) चपरासी ।

धारा २-ख का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा २-ख में--

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् शब्द "जिसमें नेता विरोधी दल सम्मिलित नहीं है, किन्तु प्रत्येक सभा सचिव सम्मिलित हैं" रख दिये जायें तथा उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "७५ रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "९० रु०" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) में शब्द, "विद्युत उपयोग के व्ययों की दशा में, सदस्यों द्वारा, और व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले किन्हीं अन्य व्ययों की दशा में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"आवास के प्रयोग के कारण होने वाले समस्त व्ययों को, जिसमें विद्युत् उपयोग के व्यय भी सम्मिलित हैं, राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने"

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

माननीय, मेरा संशोधन है कि खंड ११(१)—मूल अधिनियम की धारा २ (१) के अन्त में बढ़ाये जाने वाले शब्दों से पहले निम्नलिखित रख दिया जाय :

"और उत्तर प्रदेश के बाहर एक वर्ष में ५,००० किलोमीटर की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए किसी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा ।"

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

यह स्वीकार नहीं है । वे वापस ले रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह—

हम वापस लेते हैं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, खंड ११ के बारे में जो मैंने संशोधन दिया है मैं उसे पेश नहीं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११, १२ तथा १३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १४

१४—मूल अधिनियम की धारा २-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्— नई धारा २—ग का बढ़ाया जाना

"२—ग—मेता विरोधी दल को छोड़ कर धारा २ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य एक सौ रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा ।"

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १४ द्वारा बढ़ाई गई धारा २(ग) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "डेढ़ सौ रुपये" रख दिये जायं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ द्वारा बढ़ाई गई धारा २ (ग) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर "डेढ़ सौ रुपये" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १५

धारा ३ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में शब्द "या सभा सचिव" के पश्चात् शब्द "या नेता विरोधी दल" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिनियम के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

यह रास्ते में अटक जायगा कहां जोड़ा जायगा ?

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

यह नयी धारा बढ़ा दी जाय । "प्रतिबन्ध यह है कि धारा ११, धारा १३ की उपधारा (१) व धारा १४ के उपबन्ध केवल उन्हीं सदस्यों को उपलब्ध होंगे जो इस अधिनियम के लागू होने के तीस दिन के भीतर बढ़ी हुई सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये अपनी लिखित स्वीकृति निर्धारित फार्म पर सचिव, विधान मंडल, को दे देंगे, अन्यथा उन्हें पुराने अधिनियम में प्रदत्त सुविधायें ही उपलब्ध रहेंगी" ।

श्री अध्यक्ष---

अगर मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं तो यह ठीक से ड्राफ्ट होना चाहिये नहीं तो गड़बड़ हो जायगा । यह बीच में लटक जायगा कहीं ।

एक सदस्य---

अन्त में १६ कर के जोड़ दिया जाय । अधिनियम के अन्त में निम्नलिखित खंड १६ जोड़ दिया जाय:---

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा ११, धारा १३ की उपधारा (१) व धारा १४ द्वारा बढ़ाई हुई उपलब्धियां केवल उन्हीं सदस्यों को उपलब्ध होंगी जो इस अधिनियम के लागू होने के तीस दिन क भीतर बढ़ी हुई सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये अपनी लिखित स्वीकृति निर्धारित फ़ार्म पर सचिव, विधान मंडल, को दे देंगे, अन्यथा उन्हें पुराने अधिनियम में प्रदत्त सुविधायें ही उपलब्ध रहेंगी ।"

श्री अध्यक्ष---

प्रतिबन्ध से कोई खंड शुरू नहीं होता । विधेयक के ड्राफ्ट करने वाले को बुला लीजिये । मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करें तो मैं समय दे देता हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

यह जो कानून बन रहा है अगर आप चाहते हैं कि इसका रूप ठीक बने तो जो नहीं लेना चाहता है वह खुद भी नहीं ले सकता, लेकिन कानून में इसको शक्ल देना मेरी समझ में यह बात नहीं आती । सैलरी और भत्ते में भेदभाव करना कहां तक उचित है अगर आप या इसके जो रचयिता हैं वह मुझे समझा दें तो सम्भव है कि मेरे मन में जो भ्रम है वह साफ़ हो जाय । सैलरी तो व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिये । मुझको उदाहरण मालूम है । माननीय बल्लभ भाई पटेल जी स्पीकर थे तो बहुत सी रकम इधर-उधर से ....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं आपकी बात को मंजूर करते हुये प्रस्तुतकर्त्ता से अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

तो फ़िर आप इसको पेश नहीं करते ?

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

जी हां।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

कोई एक ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें यह था कि यह सब चीजें १ अप्रैल, १९६९ से लागू होंगी। वह कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष—

वह क्लाज १ में आयेगा।

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियो, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई०, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा-सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के अध्याय १ के खंड १ के अन्त में "१९६९ कहलायेगा" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"यह अधिनियम वित्तीय वर्ष १९६९–७० के प्रारम्भ अर्थात् १ अप्रैल, १९६९ से लागू माना जायगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के अध्याय १ के खंड १ के अन्त में "१९६९ कहलायेगा" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"यह अधिनियम वित्तीय वर्ष १९६९–७० के प्रारम्भ अर्थात् १ अप्रैल, १९६९ से लागू माना जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक ऐसा संशोधन है कि जिसके विषय में मेरे ख्याल से दो राय नहीं हो सकतीं। सरकार को स्थानों की जरूरत होती है इसलिये उनको रिक्वीजीशन कर लिया जाता है। इसकी म्याद को सके द्वारा ३ वर्ष के लिये बढ़ाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उ०प्र० विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

आगे तीन साल की अवधि के लिये और यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को जारी रखने के लिए उपबन्ध करने के लिए ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ ।

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा १ का संशोधन ।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "१९६९" के स्थान पर संख्या "१९७२" रख दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आपात उदघोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान में इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३ (१९५३ का ३४) कुछ अधिनियमों में संशोधन का संकल्प

श्री अध्यक्ष—

आइटम नम्बर १५ में माननीय वीरेन्द्र वर्मा आदि ने यह आपत्ति की है कि यह संकल्प आज प्रस्तुत न किया जाय बल्कि ८ सितम्बर के बाद किसी अन्य तिथि को प्रस्तुत किया जाय क्योंकि आज की विधान सभा की कार्य सूची में आइटम नम्बर १५ पर राजस्व मंत्री द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया जाना है कि यह संकल्प आठ अधिनियमों से संबंधित है जिनकी प्रतिलिपि हमको नहीं दी गई है । संकल्प बहुत लम्बा है । संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है । उपरोक्त कारणों से इस संकल्प पर अकस्मात् तुरन्त बिना तैयारी के और आवश्यक सामग्री तथा जानकारी के सदन में विवाद करना सम्भव नहीं है । अतः निवेदन है कि यह संकल्प आज प्रस्तुत कर दिया जाय और इस पर विवाद ८ सितम्बर, १९६९ के बाद किसी अन्य तिथि को निश्चित कर दिया जाय ।

इसको कब लिया जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)---

सको कल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

कल दो विधेयक पहले से निश्चित हैं । अगर कल इसको लेते हैं तो वह भी नहीं हो पायेगा और यह भी नहीं हो पायेगा ।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

श्रीमन, अगर नहीं हो सकेगा तो वैसे ही टल जायेगा । आप कल के लिये रख दें ।

(माननीय राजस्व मंत्री जी के सदन में आने पर ।)

श्री अध्यक्ष---

सको कल लेना आप पसन्द करेंगे । पहले आप सुन लीजिये । माननीय बीरेन्द्र वर्मा आदि ने इसके बारे में विरोध किया है कि इसको आज उपस्थित न किया जाय क्योंकि वह कहते हैं कि ८ अधिनियमों से यह संबंधित है जिसकी तिलिपि उनको नहीं दी गई है, संकल्प बहुत लम्बा है, संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी भाषा क्लिष्ट है । इसलिये इसको ८ तारीख के बाद किसी अन्य तिथि को लिया जाय । यदि बहुत आवश्यक हो तो मैं आज ही ले लूंगा । आप क्या चाहते है ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

श्रीमन्, यह आवश्यक तो है और यह देखने में ही लम्बा लगता है ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:---

"आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान में इस्टेट डयूटी ऐक्ट, १९५३ (१९५३ का ३४) संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों से संशोधित किया जा चुका है, अर्थात्:---

(१) दि सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू ऐक्ट, १९६३ (१९६३ का ५४),

(२) दि फिनैंस ऐक्ट, १९६४ (१९६४ का ५),

(३) दि टैक्सेशन लाज (कांटिनुयोशन ऐन्ड वैलीडेशन आफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स) ऐक्ट, १९६४ (१९६४ का ११),

(४) दि डाइरेक्ट टैक्सेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६४ (१९६४ का ३१),

(५) दि फिनैंस ऐक्ट, १९६५ (१९६५ का १०),

(६) दि फिनैंस (नं० २) ऐक्ट, १९६५ (१९६५ का १५),

(७) दि टैक्सेशन लाज (अमेन्डमेंट ऐंड मिसलेनियस प्राविजन्स) ऐक्ट, १९६५ (१९६५ का ४१) तथा

(८) दि फिनैंस ऐक्ट, १९६६ (१९६६ का १३) ।

तथा संविधान के अनुच्छेद २५० के खंड (२) के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम जहां तक उनका सम्बन्ध कृषिय भूमि पर संपदा शुल्क (इस्टेट डयूटी) से है, उक्त उद्घोषणा का प्रवर्तन समाप्त होने के छः महीन की अवधि के अवसान पर अर्थात १० जुलाई, १९६८ से प्रभावशील न रहे तथा अब संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ में की गयी व्यवस्था के सिवाय, राज्यों के लिये विधियां बनाने का अधिकार उपर्युक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में जहां तक उनका सम्बन्ध कृषिय भूमि विषय संपदा शुल्क से है, नहीं है;

तथा विधान सभा को यह उचित प्रतीत होता है कि उपर्युक्त अधिनियमो में विनिर्दिष्ट विषय इस राज्य में उक्त उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के उपरान्त छः महीने की अवधि के अवसान पर भी संसद से विधि द्वारा विनियमित किये जायं;

अतएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के अनुसरण में एतद्द्वारा संकल्प करती है कि उपर्युक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट विषय जहां तक उनका सम्बन्ध कृषिय भूमि के संपदा शुल्क से है इस राज्य में संसद से विधि द्वारा पूर्वगामी रूप में विनियमित किये जायं।"

श्रीमन्, पहले इसको हमको पारित करना पड़ेगा तब कांस्टीट्यूशन के मुताबिक तब संसद का अधिकार होगा इसलिये यह जरूरी है कि यह संकल्प पारित किया जाय"।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया जाय:--

"आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि की दौरान में इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट, १९५३ (१९५३ का ३४) संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों से संशोधित किया जा चुका है, अर्थात्:

(१) दि सेंट्रल बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ऐक्ट, १९६३ (१९६३ का ५४)
(२) दि फिनैंस ऐक्ट, १९६४ (१९६४ का ५),
(३) दि टैक्सेशनलाज (कांट्रिनुयोशन ऐंड वैलीडेशन आफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स) ऐक्ट, १९६४(१९६४ का ११),
(४) दि डाइरेक्ट टैक्सेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६४ (१९६४ का ३१),
(५) दि फ़िनैंस ऐक्ट, १९६५(१९६५ का १०),
(६) दि फ़िनैंस (नं०२) ऐक्ट, १९६५(१९६५ का १५),
(७) दि टैक्जेशन लाज (अमेंडमेंट ऐंड मिसलेनियस प्रावीजन्स) ऐक्ट, १९६५ (१९६५ का ४१) तथा
(८) दि फिनैंस ऐक्ट, १९६६(१९६६ का १३)।

तथा संविधान के अनुच्छेद २५० के खंड (२) के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम जहां तक उनका संबंध कृषिय भूमि पर संपदा शुल्क(इस्टेट ड्यूटी) से है, उक्त उद्घोषणा का प्रवर्तन समाप्त होने के छः महीने की अवधि के अवसान पर अर्थात् १० जुलाई, १९६८ से प्रभावशील न रहे तथा अब संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ में की गयी व्यवस्था के सिवाय राज्यों के लिए विधियां बनाने का अधिकार उपर्युक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में जहां तक उनका संबंध कृषिय भूमि विषय संपदा शुल्क से है, नहीं है:

तथा विधान सभा को यह उचित प्रतीत होता है कि उपर्युक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट विषय इस राज्य में उक्त उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के उपरान्त छः महीने की अवधि के अवसान पर भी संसद से विधि द्वारा विनियमित किये जायं,

अतएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के अनुसरण में एतद्द्वारा संकल्प करती है कि उपर्युक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट विषय जहां तक उनका संबंध कृषिय भूमि के संपदा शुल्क से है, इस राज्य में संसद से विधि द्वारा पूर्वगामी रूप में विनियमित किये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य की समाप्ति

अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत मऊनाथ भंजन के बारे में यह दिया गया था।
श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री नगीनासिंह, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री शिवकैलाश- यह कोई भी नहीं हैं। तो नियम ५१ में यह लिया नहीं जाता।

राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा बिजनौर के डाकू रामानन्द को आश्रय देने क सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

कार्यस्थगन का प्रस्ताव मैंने कोई स्वीकृत नहीं किया । नियम ५१ के अन्तर्गत एक स्वीकृत किया है । वह यह है कि बिजनौर के कुख्यात डाकू श्री रामानन्द को राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा आश्रय दिया जाता । इसकी सूचना को मैंने नियम ५१ में स्वीकार किया है । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ९ सितम्बर, १९६९ को वक्तव्य देंगे । बाकी जितने ह स्वीकार नहीं किये हैं ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

दो दफ़ा मैं नियम ५१ में नोटिस दे चुका हूं । आपने कहा था कि आज के लिए स्वीकार कर लेंगे । आपके आश्वासन के बाद पुनः मैंने नोटिस दे दिया । उसमें एक चिट भी लगा दी थी कि आपने वादा किया था ।

श्री अध्यक्ष---

सबसे ज्यादा आवश्यक मुझे यह मालूम हुआ ।

श्री शिव कुमार---

आपने हमें आश्वासन दिया था । आप देखें कि ४५ अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---

इसके ऊपर कल सवेरे शिक्षा मंत्री वक्तव्य दे देंगे । मैं भेज देता हूं । अगर कल बक्तव्य दे दें तो ठीक है ।

समितियों के निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

कमेटियों के एलेक्शन के संबंध में यह शांतिप्रपन्न जी और वीरेंद्र वर्मा जी ने, सभी ने दिया है—"लोक लेखा, प्राक्कलन, स्थायी समितियों तथा निकायों के नाम निर्देशन पत्रों की अंतिम तिथि ३० अगस्त, १९६९ है ।] हम अभी आपस में विचार-विमर्श कर रहे हैं । आपसे निवेदन है कि उक्त समितियों की नामजदगी की तिथि बढ़ा कर सितम्बर के द्वितीय सप्ताह में कर देने की कृपा करें" ।

द्वितीय सप्ताह में किस तारीख को ?

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

१४ कर दीजिये । मैं अपने साथियों से पूछ कर बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

कहीं इतवार तो नहीं है १४ को, देखिये । इतवार है १४ तारीख को, १५ को करें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जी, १५ को कर दीजिये या ऐसा कीजिये कल मैं आपको सोच कर बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, कल के लिए मैं स्थगित करता हूं और कल आप लिख कर भेजियेगा कि कब लिया जाए ।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

अब जो आप बाढ़ के ऊपर वक्तव्य देने वाले थे, वह आज देंगे वक्तव्य आप ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने वक्तव्य की कापी सभी सदस्यों को बंटवा दी है और आपके आफ़िस में भी मैंने कापी भिजवा दी है। वक्तव्य की कापियां माननीय सदस्यों के मेज पर रखी हुई हैं। तो इसे यहां पर पढ़ा मान लिया जाए और आगे इस पर विचार हो।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर हम कोई दिन इसके लिए फ़िक्स कर दें तो ठीक ही है। अब कल का ही दिन रह गया है, इसलिये आज ही इसे कर लेना उचित होगा क्योंकि बाढ़ रुक तो सकती नहीं है और इसके लिए सरकार को सूचना और सुझाव देना है। यह आज ही हो सकता है कल तो बहुत काम है। अब यह पढ़ा हुआ मान लिया जाये और सदन आगे चलें।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]--

मानसून इस वर्ष देर से आया। बाढ़ सुरक्षा कार्यों की तैयारी के आदेश शासन ने ९ मई, १९६९ को ही जारी कर दिये थे। जिला बाढ़ समितियों की बैठकें मई-जून में हो चुकी थीं और जिला प्रशासन सम्भावित बाढों से लोगों को राहत देने के लिए तैयारी जून के आखीर तक कर चुका था। प्रत्येक जिले की बाढ़ सुरक्षा योजना में आवश्यक संशोधन हो चुके हैं और बाढ़ चौकियों के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां भी पहले से कर ली गई थीं। उत्तर प्रदेश की जून की सामान्य वर्षा ५,२३८ मिलीमीटर है। वास्तविक वर्षा केवल २,७८६.८७ मिलीमीटर हुई। जुलाई तथा अगस्त महीनों में वर्षा आमतौर से अच्छी हुई है परन्तु कुछ जिलों में अति वृष्टि हो गई है। १४ तथा २६अगस्त को सदन में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से प्रभावित कुछ जिलों के बारे में मैं वक्तव्य दे चुका हूं। राज्य के २१ जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। आगरा जिले के कुछ गांवों म राजस्थान के भरतपुर जिल की गम्भीरी नदी पर ने बांधों का अतिरिक्त पानी आने के कारण१४ अगस्त से कुछ दिनों के लिएपानी भर गया था। किरौली तथा खेरागढ़ के ६९ गांव प्रभावित हुए थे। ३५ हजार एकड़ भूमि जलमग्न हुई थी। झांसी जिले में बाढ़ की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। केवल १५ अगस्त को ललितपुर के पास गोबिन्दसागर डैम से पानी निकालने के कारण थोड़े समय के लिए सहजाद नदी में पानी बढ़ गया था और २९ कच्चे मकानों को कुछ नुक्सान पहुंचा था। इसका उल्लेख २६ अगस्त के वक्तव्य में हो चुका है। देहरादून, अलीगढ़, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रामपुर, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर, बांदा, उत्तर काशी, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद तथा चमोली के जिलों में या तो कुछ समय के लिए निम्न व मध्यम स्तर की बाढ़ आई या अति वृष्टि से कहीं-कहीं नुक्सान हुआ। क्षति का ब्योरा संलग्नक में दिया गया है। इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया तथा आजमगढ़ में अब तक मध्यम स्तर की बाढ़ आई है। बलिया म अति वृष्टि से भी नुक्सान हुआ है। बलिया-बेरिया बंध की स्थिति का विस्तार से उल्लेख २६ अगस्त के वक्तव्य में आ चुका है। इन जिलों म बाढ़ तथा अति वृष्टि से जो क्षति हुई है उसका ब्योरा भी संलग्नक में दिया गया है। गोंडा, बहराइच तथा बस्ती में राप्ती, सरजू, घाघरा तथा अन्य नदियों की विकराल बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। गोरखपुर और देवरिया में बाढ़ की स्थिति २७ अगस्त तक असाधारण नहीं थी परन्तु बस्ती, गोंडा और बहराइच का जो पानी राप्ती नदी में आ रहा है उससे इन दोनों जिलों में भी बड़ी बाढ़ आने की संभावना है। मैंने मुख्य मंत्री जी के साथ २७ अगस्त को गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा आजमगढ़ जिलों की बाढ़ स्थिति का निरीक्षण किया और गोरखपुर तथा वाराणसी में सम्बन्धित अधिकारियों को सहायता कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। गोंडा, बस्ती और बहराइच में बाढ़ से बहुत नुकसान हो चुका है। गोंडा और बहराइच में पानी उतार पर है, लेकिन अब भी स्थिति संकटपूर्ण है। गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी एवम् सभी प्रकार की तकाबी की वसूली स्थगित कर दी गई है। सितम्बर से दिसम्बर, १९६९ तक बाढ़ पीड़ित निर्धन विद्यार्थियों की फीस सरकार की ओर से देने का निश्चय किया गया है।

[पढ़ा हुआ माना गया।]

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

जिलाधिकारियों तथा मंडलायुक्तों को बाढ़ सहायता कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि दे दी गई है। २८ अगस्त तक राज्य में बाढ़ सहायता कार्य के लिए सरकार ने १५,७८,५०० रु० आपदा तकाबी तथा १४,६७,००० रु० नि:शुल्क सहायता और प्रकीर्ण व्यय के रूप में विभिन्न जिलों तथा मंडलायुक्तों को आबंटित किया है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का आबंटन होता रहेगा। रबी की बोवाई क लिए बीज का अभाव उत्पन्न होने की संभावना है। इसकी व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जिन लोगों के मकान गिर गये ह उनको अनुदान दिया जा रहा है और वन विभाग से लकड़ी देने की व्यवस्था भी कराई जायगी। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। इससे बचाव के आवश्यक काम किये जा रहे है। गोंडा और बस्ती में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए तथा उनको राहत पहुंचाने के लिए सेना की भी सहायता ली गई है। फसल तथा मकान को व्यापक क्षति पहुंची है इसके नुकसान का सही अन्दाज लगाना अभी संभव नहीं है फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि गोंडा, बस्ती और बहराइच में ६ करोड़ से कुछ अधिक की क्षति हुई है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ के कारण १२,०४६ ग्राम प्रभावित हुए, १९,९८,०६७ एकड़ की फसल प्रभावित हुई, ४०,६७२ मकानों को क्षति हुई। मुझ सदन को सूचित करते हुए दुख है कि प्राप्त सूचना के अनुसार ३२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और ११४६ पशु भी मर गये हैं। खाद्य एवं रसद विभाग बाढ़ पीड़ित जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानों का प्रबन्ध कर रहा है। चारे का अभाव दूर करने के लिए सरकारी ठेकेदार की नियुक्ति कर दी गई जो ११.४५ रु० प्रति कुंतल की दर से अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में जिलाधिकारियों के आदेश पर भूसे की पूर्ति करेगा।

कुछ जिलों की बाढ़ की स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों ने सूचनायें भेजी हैं। इनमें से कई का समावेश २६ अगस्त के मेरे वक्तव्य में हो चुका है। बहुतों का निराकरण संलग्नक से हो जाता है। बाकी सूचनाओं के बारे में स्थिति इस प्रकार है कि इलाहाबाद जिला सूखापीड़ित था। अगस्त के महीने में कुछ दिनों के लिए गंगा और यमुना में मध्यम स्तर की बाढ़ भी आई। इलाहाबाद जिले में इस समय बाढ़ की स्थिति नही है। गंगा और यमुना का स्तर खतरे के बिन्दु से ४ फीट नीचे है। वसूली के बारे में जिलाधिकारियों को यह आदेश जारी कर दिया गया है कि मालगुजारी तथा तकाबी क वसूली उन सभी गांवों में स्थगित रहे जहां रबी १३७६ फ० को सूखा से नुक्सान २५ प्रतिशत से अधिक हुआ है। करछना तहसील के महेवा पट्टी गांव में बाढ़ से किसी-किसी मकान को क्षति नहीं पहुंची है। संग्राम पट्टी भड़कर, बिझौली तथा धूलको गांवों में बाढ़ का असर नहीं था। चायल तहसील के मऊसराय, नेवादा, छोटा बघारा, बेली तथा धरहरिया गांवों में गंगा की बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। नवादा गांव में १५ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अन्य गांवों म मकानों को क्षति नहीं हुई है। यमुना की बाढ़ से कटघर मुहल्ले के ५ तथा बलुआघाट मुहल्ले के ३ मकानों को क्षति पहुंची है। मझिआरी गांव में २८ मकान कटान से क्षतिग्रस्त हुए हैं। २५ अगस्त को जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राप्ती के अलावा घाघरा नदी की बाढ़ से भी बस्ती जिले में नुकसान हुआ है। हरैया तहसील के ९ गांवों में आंशिक रूप से घाघरा नदी से कटान हुआ है तथा जारी है। २७८ आदमी इन गांवों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये जा चुके हैं। हाकिम परगना तथा सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वहां के लोग गांव खाली करने को तैयार नहीं थे। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और उन्हें हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। खलीलाबाद तहसील के ५५ गांव घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तहसील खलीलाबाद के चकिया गांव में बाढ़ सुरक्षा केंद्र है और यह गांव सुरक्षित है। खलीलाबाद तहसील के किसी गांव की आबादी में कटान नहीं है। पकड़ी संग्रामपुर हरैया तहसील के ९ गांवों में से एक है जहां आंशिक कटान हुआ है। हरदोई, बुलन्दशहर तथा मेरठ जिलों में बाढ़ या जलप्लावन से हानि की सूचना नहीं है।

मिर्जापुर में गंगा नदी खतरे के स्तर तक नहीं पहुंची। चुनार में २२ अगस्त को खतरे के बिन्दु से केवल एक इंच ऊपर पहुंची थी। मिर्जापुर के कोन ब्लाक में सेमरा,

खोलवा, तिरथी, हरसिंहपुर, जगदीशपुर, मवैया, चील्ह, कमासिन तथा बल्लीपार गांवों का कुल १८६९ एकड़ क्षेत्र फल बाढ़ से प्रभावित हुआ था। कोन ब्लाक के मझौरा गांव तथा सीखड़ ब्लाक के बसारतपुर गांव के कुछ भाग में नदी से कटान हुई है। बरनी केवटवीर, वजहा, सवेसर, कछवा, मितई, जलालपुर, अनन्तपुर तथा पसियाही गांवों में भी बाढ़ का प्रभाव बहुत कम रहा है। सीखड़ ब्लाक के केवल मंगराहा गांव से १४ आदमी तथा २२४ मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर हटाना पड़ा। मिर्जापुर शहर में घाटों का कटान नहीं हो रहा है। यहां मकानों के गिरने का खतरा भी नहीं है। जिलाधिकारी ने ३०९ देशी नावें तथा एक मोटरलांच बाढ़ सुरक्षा कार्य में लगाकर सहायता का उचित प्रबन्ध किया था। २८ अगस्त को प्राप्त सूचना के अनुसार गंगा का स्तर चुनार में खतरे के बिन्दु से १० फ़ीट तथा मिर्जापुर में १६.२५ फ़ीट नीचे आ गया है। वाराणसी जिले में कोई बड़ी बाढ़ नहीं आई और न ही लोगों में भय फ़ैला। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पास मलहिया, मलरा, गाड़ीवानपुर तथा नगवां गांव के लोग जिलाधिकारी द्वारा बहुत समझाने-बुझाने पर गांव छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए थे। ज्ञानपुर तहसील के कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाना पड़ा था। वाराणसी जिले में इस समय बाढ़ हट रही है। मथुरा जिले में कोई बाढ़ नहीं आई। इस जिले की माठ तहसील के १० गांवों में कुछ पानी इकट्ठा हुआ जिसमें १,५०० एकड़ की फ़सल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। १५ मकानों को भी आंशिक रूप से क्षति हुई है। अलीगढ़ में कोई बाढ़ नहीं आई। जलप्लावन से हाथरस तथा इगलास तहसीलों के ३० गांवों में फ़सल को नाममात्र को नुकसान पहुंचा है जो २५ प्रतिशत से कम है। अतरौला तहसील के हरनपुर, किरतौली तथा फ़तेहपुर गंज गांवों के २९ परिवार गंगा की कटान से बेघर हो गये हैं। इनको बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। मुरादाबाद जिले के कुछ गांवों में रामगंगा तथा ढेला नदी में बाढ़ से खरीफ़ फ़सल को नुक्सान पहुंचा है। अभी मौजूदा खरीफ़ की मालगुजारी की वसूली नहीं हो रही है। नुकसान की पड़ताल करने के बाद नियमानुसार वसूली में स्थगन अथवा छूट जो भी मुनासिब होगा दिया जायगा।

देवरिया जिले में तुरतीपार रेलवे स्टेशन को कोई खतरा नहीं है। पिंडी, चुरिया, नदौली, बरहज तथा कपरवार गांवों को महान खतरा नहीं है। बरहज कस्बा सुरक्षित है। देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र में बिहार की तरफ़ से कई नाले खनुवा नाले में गिरते हैं। इन नालों के पानी को नियंत्रित करने के लिए बहुत समय पहले चार रेगुलेटर बनाये गये थे जो इस समय बेकार हो गये हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि इनके बेकार हो जाने से पूरा भाटपार रानी क्षत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। बुलहवा ग्राम बड़ी गंडक से कट गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। छितौनी रेलवे स्टेशन के कट जाने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। इस स्थान पर रिटायर बांध भी मौजूद है। यह आशंका सही नहीं है कि बड़ी गंडक बांध को काटकर पडरौना तहसील पहुंच जायेगी। बलरामपुर कस्बे से किसी आदमी के मरने की रिपोर्ट नहीं है। यहां की चीनी मिल की शक्कर पानी भरने से बरबाद नहीं हुई है। सड़कें जहां कटी थीं वहां ठीक की जा रही हैं। माननीय विजयपाल सिंह विधायक का जीवन बाढ़ के कारण खतरे में नहीं है। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी में बाढ़ घट रही है। ७०३ आदमी तथा १,२१४ मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ४६ नावें बाढ़ सहायता कार्य में लगी हैं। २,००० रु० का सामान बाढ़ पीड़ितों को बांटा जा चुका है। यह कहना सही नहीं है कि बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। टिहरी गढ़वाल जिले के खरक गांव के लोगों को २०,००० रु० की तकाबी और १६०० रु० का अनुदान दिया गया। उनके पास बसने के लिए अपनी जमीन मौजूद है। सिरसेट गांव में खेतों का कटान हुआ है। आबादी को खतरा नहीं है। सिंचाई विभाग को इस गांव का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। बढ़ियार गांव की आबादी को खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं है। टिहरी गढ़वाल में बाढ़ अथवा अतिवृष्टि से न कोई हानि हुई है और न किसी मौत की सूचना है।

बाढ़, अतिवृष्टि तथा जलप्लावन से क्षति

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्षा के आंकड़े			
		जुलाई, ६९		अगस्त, ६९	
		सामान्य	वास्तविक (प्रथम ३ सप्ताह की)	सामान्य	वास्तविक
१	२	३	४	५	६
१	देहरादून ..	६५५.८०	५९०.३०	७१०.१०	८८३.४०
२	एटा ..	२०४.००	२७६.००	२१२.१०	२७४.४०
३	बरेली ..	३२६.३०	२९९.४०	३१२.००	१८०.५८
४	बिजनौर ..	३१७.५०	३२५.२०	३१०.९०	३५९.९०
५	बदायूं ..	२५०.३०	२८३.६०	२३५.३०	२६२.१२
६	मुरादाबाद ..	२७४.५०	३९१.८०	२७१.६०	१९७.२०
७	शाहजहांपुर ..	३००.००	३४७.०६	२८४.१०	२३८.५०
८	रामपुर ..	निर्धारित नहीं	४५७.१८	निर्धारित नहीं	२५४.६४
९	फर्रुखाबाद ..	२३७.९०	३०९.४०	२४२.१०	३००.३०
१०	इटावा ..	२२१.८०	२५९.८७	२४५.७०	२१०.००
११	कानपुर ..	२३६.००	३५०.६०	२५४.६०	१८४.६०
१२	इलाहाबाद ..	२०३.४०	४४२.६६	३००.२०	१४१.५६
१३	बांदा ..	३००.७०	४०५.००	३०९.००	२६२.३७
१४	हमीरपुर ..	२७५.८०	४०१.८०	२७७.४०	१६३.००
१५	झांसी ..	२९६.४०	५०७.३०	२७८.६०	४३२.६०
१६	वाराणसी ..	३०७.३०	३८६.६०	३२६.३०	१८५.१०
१७	मिर्जापुर ..	३३४.००	४८५.६०	३६०.००	२६३.१०
१८	गाजीपुर ..	२९२.२०	२८६.८०	३१४.१०	१६४.०८
१९	बलिया ..	२७९.३०	४२८.९०	२९४.५०	१२७.१०
२०	गोरखपुर ..	३९८.६०	४४६.२०	३६४.७०	३५९.७०
२१	बस्ती ..	३८०.१०	३७२.१०	३२५.३०	३७४.००
२२	आजमगढ़ ..	२९८.२०	३३७.४०	२९५.४०	२६७.७०
२३	देवरिया ..	३०८.२०	५०४.६०	२९९.२०	३०१.८०
२४	सीतापुर ..	२९५.१०	३२८.८०	२६७.७०	२७०.२०
२५	खीरी ..	२९७.५०	४२४.६०	२८९.७०	२९८.६०
२६	फैजाबाद ..	३०६.१०	२९८.९६	२८२.००	३१६.०२
२७	गोंडा ..	३३९.५०	३०९.७०	३१५.४०	३८९.००
२८	बहराइच ..	३१४.५०	२४०.२०	३०९.५०	४३९.२०
२९	प्रतापगढ़ ..	३०३.६०	५३२.४३	२९८.००	२७४.४३
३०	बाराबंकी ..	२९९.७०	३४९.४०	२८१.००	२६२.५०
३१	चमोली ..	३५८.२०	५६०.५२	३८०.४०	४२२.५०
				योग ..	

बाढ़ अतिवृष्टि तथा जलप्लावन से क्षति

प्रभावित गांवों की संख्या	मौतें		फ़सलों की क्षति		घरों को क्षति	
	मनुष्य	पशु	क्षेत्रफ़ल (एकड़ में)	मूल्यांकन (रु० में)	संख्या	मूल्यांकन (रु० में)
७	८	९	१०	११	१२	१३
१६	७	—	५७	५७,०००	५	७,४००
१२६	—	—	१४,४७७	५६१,२००	७६	३५,५००
अप्राप्त	—	—	५८९	२२१००	९७	१८,२५०
४७	१	११	२२९१	३,२२,५६०	३५१	३१,५६५
१९६	—	—	१३६५२	३,५९,०००	१४४	५५,९९०
४०८	—	—	७२९८८	९५७१०००	६४६	३५,५००
२८२	—	—	३९४२८	५०००००	२१३	४४,०००
२१	—	—	३०००	अप्राप्त	२७	अप्राप्त
१९८	—	—	११,३२२	९५,५७३	२०७	९८,११०
८५	—	—	२,४२४	५,०६,३१०	—	—
५५	—	—	२,४४०	अप्राप्त	—	—
४१३	—	—	३४,१५८	५०,६३,२२०	६४	३७,०००
१०४७	—	—	१९०,५२४	५४,३०,६५०	६९०	२०६,२८३
७९	—	—	४,३७७	७७,६४०	७१	३३,५५८
१३	—	—	१,२१९	अप्राप्त	२९	३,०९५
३३७	—	—	३१,४६५	२९,८३,३७०	१,७२५	२,४५,०००
३६२	—	—	४४,०००	१८,००,०००	१६	२,४७५
३०७	३	—	३४,५७४	२५,४२,८५०	४५	१२,६००
९९०	—	—	१,१६,०००	अप्राप्त	२५०	२,५०,०००
८३१	—	—	४४,२०१	१९,००,०००	३९०	५९,८००
२,८८५	—	—	४,१६,०५५	२,५०,००,४०३	३,७०३	१७,४५०२३
२३३	—	—	८७,१९२	२,०१,९८३	४८	३०,३५७
४३२	१	—	३६,७०१	४५,७२,३५०	३६५	८३,०००
४५७	—	—	१,४३,२२८	७,२८,०००	५,०७८	अप्राप्त
२०	—	—	२,४२६	३९,०००	२०७	२०,७००
९९	—	—	२१,८४३	२५,७०,६००	३५२	१४,३५०
८७८	५	८४	२,९७,५४१	२,९५,२२,५००	१३,८७२	९,४५,०००
६३६	१५	१०४४	२,०७,४४०	१,३०,००,०००	११,०००	२०,००,०००
३५५	—	५	५४,५०६	१,११,४५०	१४९	२९,८७५
२३५	—	—	६७,९४५	१७,११,०००	३५०	८८,९९०
३	—	२	४	४,७००	२	२,६७०
१२,०४६	३२	११४६	१९,९८,०६७	११,०७,५४,४५९	४०,६७२	६१,३६,०९१

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष प्रदेश के अन्दर बहुत से इलाकों में बहुत से जिलों में जो बाढ़ आई है, उसके सन्दर्भ में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया सदन में और लिखित रूप से भी। मैं इतना केवल कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ की वजह से जो दरिया के किनारे के रहने वाले लोग होते हैं, हर वर्ष देखा जाता है, उनके रहने के स्थान-मकान वगैरह बह जाते हैं और वे बेघरबार के हो जाते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सूखा और बाढ़ दो स्थितियों का सामना करने के लिए अभी हमारी सरकार, न तो केन्द्र की सरकार और न प्रदेश की सरकार, कोई योजना बना सकी है जिससे बाढ़ का सामना किया जा सके। दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं उनके मकान जब गिर जाते हैं, तो चूंकि उनके पास कोई दूसरी जमीन नहीं रहती है, पुनः उसी स्थान पर मकान बनवाने के लिए मजबूर होते हैं। परिणाम यह होता है कि पुनः जब बाढ़ आती है उनको उस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में एक स्थायी योजना बनावें, जिससे जिनक मकान गिर जाते हैं उनको रोकें कि वे वहां पर पुनः अपने मकान न बनवाएं और उन्हें अन्य कोई जमीन जिला अधिकारी, जिला परिषद् व म्युनिसिपल अधिकारियों की राय से अन्यत्र स्थान पर प्रदान करने की सुविधायें दें। यह स्थान उनको मुफ़्त देने की कृपा की जाए क्योंकि उन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अन्य स्थान पर जमीन खरीद कर मकान बनवाएं। इसलिए सरकार को पहला सुझाव यह है कि जिनके मकान गिर जाते हैं उनको दूसरे स्थान पर व्यवस्थापित करने के लिये अलग मुफ़्त जमीन दी जाए तथा साथ ही उनको अपना-अपना मकान बनवाने के लिए अनुदान भी दिया जाए।

अब मैं फ़सल के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। दरिया के किनारे जिनकी खेती होती है बाढ़ से उनकी खेती नष्ट हो जाती है। इन दरियाओं की वजह से फ़सलों का धन और जनशक्ति का जो ह्रास होता है, उसको रोकने के लिए सरकार इस प्रकार का इंतजाम करे कि जिनकी फ़सल नष्ट हो जाती है उनको सुविधा देने के लिए क्षति पूर्ति करने के लिये सरकार योजना बनावे।

मैं इस विषय में इतना ही कह कर बैठ जाना चाहता हूं कि बाढ़ से पीड़ित अधिकांश पिछड़े हुए और हरिजन लोग होते हैं और जो दरिया के किनारे रहते हैं वे छोटी-मोटी खेती पर अपनी गुजर बसर करते हैं। इसलिये सरकार इस पर ध्यान दे कि जिनके घर दरिया के किनारे हैं और उनके पास छोटी-मोटी खेती है उसके लिए स्थायी योजना बनाई जाए। सरकार के सामने ऐसी योजना है भी। जो केन्द्र की सरकार से मदद लेकर प्रान्तीय सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि इनके बारे में कोई योजना बनायें कि जिनके मकान गिरते हैं या फ़सल नष्ट हो जाती है उनको सहायता देने के लिये पूर्ण रूप से कोई प्रबन्ध कर सकें।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ के संबंध में मुझे आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान दिलाना है। २० तारीख को रात को बस्ती जिले में नदियों की बाढ़ से, जो काफ़ी मात्रा में वहां पर बहती हैं, उनकी बाढ़ से पानी गांवों के अन्दर घुस गया। पानी इतना भर गया कि किसान अपने मकानों के सामान निकाल नहीं पाये। गल्ला, कपड़ा आदि जितना भी उनका सामान था वह घरों के अन्दर ही रह गया और वह सब पानी में चला गया। २३ तारीख को जब मैं बस्ती पहुंचा तो मुझे सूचना मिली कि जिले की उत्तरी भाग की तीन तहसीलों बांसी, नौगढ़ और डुमरिया गंज में काफी मात्रा में बाढ़ आ गई है। वहाँ पर राप्ती, बूढ़ी राप्ती और बहुत सी नदियां बहती हैं। तो जब मैं बांसी पहुंचा तो बांसी से आगे मार्ग पर मैंने देखा कि सड़क के ऊपर नाव चल रही है। जो मोटर जाती थी वह नहीं जा सकती है। मैं एक डिग्री कालेज का प्रबन्धक हूं। मैंने उस स्कूल में जाना चाहा तो वहां पर अपनी गाड़ी को रोककर किसी प्रकार से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़क पर पहुंचा तो देखा कि सड़क पर अध्यापक इकट्ठा हुये हैं। मुझे वहां पर यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सरकार की तरफ़ से वहां पर एक भी साधन नहीं पहुंचा था। २० को रात म बाढ़ आई। २१ तारीख को अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। २२ को भी कुछ नहीं किया गया। २३ तारीख को जब मैं वहां पर था तो शाम को कुछ गल्ला और रुपये का इन्त जाम करके नंगे भूखे लोगों को बंटवाया। शाम को ६ बजे मैं जिलाधीश के पास डाक बंगले पर गया और उनसे निवेदन किया कि हजारों आदमी सड़क पर भूखे पड़े हुए हैं उनको कुछ मात्रा में आप गल्ला दिलाइये लकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसको सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि आप खरीद लें और पैसा मैं दे दूंगा। आपके द्वारा म माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राजस्व मन्त्री और उपमुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश से इस प्रकार का जवाब सुनकर मैं अवाक् रह गया कि उन्होंने मुझे कहा कि आप गल्ला खरीद लें और मैं पैसा दे दूंगा।

श्रीमन्, मैंने अपने अध्यापकों से जो लगभग ९० थे दोनों कालेजों को मिलाकर, उनसे निवेदन किया कि आप लोग गांवों में निकल जायं और जिस प्रकार से भी हो गल्ला इकट्ठा करें। घर-घर जाकर गल्ला मांगें और जहां पर बाढ़ आई है वहां पर उसको बटवायें। कल एक अध्यापक मेरे पास आया तो उसने बताया कि वे वैसा ही कर रहे हैं जैसा मैंने उनको कहा था। मन्त्री जी वहां पर जाकर देख सकते हैं कि खेती की किस प्रकार की दशा है। मैं अपनी आंखों से देख आया हूं कि वहां पर प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया है। मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां पर सब गांव के घर धराशायी हो गये हैं। जिलाधीश से कहा गया कि उन गरीब काश्तकारों के रहने के लिये कोई व्यवस्था करने का कष्ट करें तो वे कहते हैं कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने राजस्व मन्त्री से निवेदन किया और मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि आप किसी मन्त्री को वहां पर भेजकर तत्काल जांच करा लें और ५,७ जिलों में किसी मन्त्री जी को भेज ताकि जिलाधिकारी सावधान हो जायं लेकिन मुख्य मन्त्री जी हवाई जहाज से गये और उस इलाके को देखने का कष्ट किया।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कोई मैं विपरीत बात नहीं कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्य मंत्री जी के पास गया तो मेरे लिय ४२० शब्दों का प्रयोग किया गया। जिससे मुझे बहुत कष्ट है। अगर मैंने प्रधान मन्त्री की आज्ञा का पालन किया तो कोई पाप नहीं किया। मेरी अन्तरात्मा की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलत कदम उठाया। मेरे सामने यह आया कि तुम बिरादरीवाद फ़लाते हो, यह बिल्कुल गलत है। मेरे सामने न हरिजनवाद था न मुसलिमवाद, मैं तो दर्द लेकर गया था उन बाढ़ पीड़ितों का जहां माताएं बच्चों को गोदी में लकर भूखी पड़ी हैं, उनके बच्चे और वे स्वयं खाना नहीं खाये हुये हैं और कई दिन से उपवास किय हुए हैं। इस दर्द को लेकर गया था। किसानों के घर डूबे हुए हैं पेड़ के ऊपर आदमी लटके हैं। उनको निकालने के लिये मैंने जिलाधीश से कहा और वहां किसी व्यवस्था का पता नहीं है। उन्होंने कहा कि म क्या करूं, मेरे पास साधन नहीं है। मैंने कहा कि साधन के लिए स कार ने आपको आदेश दिये हैं, आपको सूचना पहले मिलती है जून के महीने में। आपको नाव का, गल्ले का प्रबन्ध पहले से करना चाहिये था, मिट्टी का तेल, लकड़ी, ईंधन ये आप भिजवा दें और बाजार स खरीद कर गल्ला मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष---

आप संक्षेप में रखें। एक एक जिले को हम ले लें और उसका उत्तर मंत्री जी देते जायं तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। सब जिलों का अगर इकट्ठा लेंगे तो यह पता नहीं लगेगा कि क्या कार्यवाही मन्त्री जी ने की है। इसलिए संक्षेप में कहेंगे तो और लोगों को भी मौका मिलेगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

आपने आदेश दिया कि एक एक जिला ले लिया जाय और उत्तर मंत्री जी देते रहें, यह बात सही है, लेकिन इतने जिलों में बाढ़ आयी है, सभी के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और सब अवलोकन करके आये हैं और उस पर कहना चाहेंगे। तो उसके लिये कितना समय होना चाहिए? एक दिन? दो दिन? तभी तो हो सकेगा, वरना बहुत से लोग रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुख्यमंत्री जी बतायें कि क्या व्यवस्था उचित समझते हैं बाढ़ के बारे में, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मैं समझता हूं कि जिन साथियों को अपने यहां की स्थिति पर प्रकाश डालना है वह डाल दें, जिलेवार प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री जी के पास जितनी सूचना है, जो कुछ बात है उसकी बुनियाद पर बता देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

१०-१० मिनट में एक-एक माननीय सदस्य के लिए निर्धारित करता हूं बोलने के लिए ।

श्री धनुषधारी पांडेय—

आपसे निवेदन करना है कि १ महीने से बजट चल रहा है और एक क्षण का भी समय मुझे नहीं दिया गया, मुझे उसके लिए दुख है और आश्चर्य है । आपसे भी मिला था और आपने ध्यान नहीं दिया । आज बाढ़ की समस्या बड़ी जटिल है, बड़ी कठिन हो गयी है । मैं निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले की लम्बी-चौड़ी जनसंख्या की बात है, आप मुझे समय दें, वरना आप कहें तो मैं बन्द कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह शास्त्री जी बैठे हुए हैं, वह भी बोलना चाहेंगे और २० सदस्य हैं बस्ती के कुल ।

श्री धनुषधारी पांडेय—

१५ सदस्य हैं हुजूरवाला । तो मैं जब मेंहदावल के क्षेत्र में पहुंचा और वहां राप्ती का तूफ़ान देखा तो वहां की हालत बड़ी खराब है। श्रीमन् उस क्षेत्र में लालसा प्रसाद जी का मकान है । वह २५ तारीख को यहां आये और लौट कर घर गये तो पाया कि पानी ही पानी भरा है । उनके घर में पानी घुस गया और वह अपने घर का एक भी समान नहीं निकाल पाये । कई एक छोटी नदियां हैं जिनमें बाढ़ है जिसके कारण तीन हजार गांवों में किसानों के घरों में पानी घुस गया है । श्रीमन, वहां कच्चे मकान होते हैं । पक्के मकान बहुत कम होते हैं । लेकिन श्रीमन, कोई भी मकान बचा नहीं जिसमें पानी न भरा हो । लोग कोई सामान नहीं निकाल पाये । आज वहां की दशा हवाई जहाज से नहीं देखी जा सकती । उपमुख्य मंत्री जी जो आज सिंचाई मंत्री भी हैं उनके समय में एक बार गांवों को ऊंचा करने की योजना बनी थी, लेकिन अभाग्यवश वह रुक गई । जिन गांवों में, मकानों में पानी घुस गया है वहां के लिये ऊंचा किए जाने की योजना चलाई जाय इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा । साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए तत्काल कोई काम चालू कराया जाना चाहिये जिससे किसान और मजदूर अपनी जीविका पा सके । इन शब्दों के साथ मैं अपने जिले की दर्द भरी कहानी माननीय राजस्व मंत्री के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री निर्भय नारायनसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बलिया जिले की बाढ़ की विभीषिका उपस्थित करना चाहता हूं । दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश हम दो बड़ी नदियों, जो प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं गंगा और घाघरा के बीच में बसे हुये हैं । और इन दोनों नदियों में भयंकर बाढ़ आई है । हमारे राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है कि दोनों नदियों में मध्यम स्तर से ऊपर की बाढ़ आई थी लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से सौतेली मां का व्यवहार होता है उस तरह से इस सरकार का व्यवहार हमारे जिले के साथ हो रहा है जिससे हम सभी को बड़ी परेशानी हो रही है । मिसाल के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि घाघरा, राप्ती और छोटी सरजू की बाढ़ से आपने मान लिया कि बहराइच, गोंडा और देवरिया में बाढ़ आई है । मैं बहुत ही नम्रता

से पूछना चाहता हूं कि इन तीनों नदियों का पानी जब बलिया में प्रवेश करता है तो आपने वहां की बाढ़ की विभीषिका को स्वीकार नहीं किया। इसी तरह से आपने बनारस और गाजीपुर में मध्यम श्रेणी की बाढ़ मानी और वही पानी जब बलिया में प्रवेश करता है और लाखों रुपये की लागत के बांध को, खतरा पैदा करता है उस वक्त अपनी रिपोर्ट में आपने गम्भीरता नहीं दर्शायी है। यह बात हमारे लिए बहुत ही दुःख की है। इसके पूर्व भी हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया गया है। सूखे के समय आजमगढ़ और गाजीपुर की तहसीलों को आपने सूखाग्रस्त घोषित किया लेकिन उसी तरह की जलवायु की और उसी स्थिति की तथा उन तहसीलों से लगी हुई हमारे यहां की रसड़ा तहसील जो सूखे से ग्रसित थी उसको सूखाग्रस्त नहीं माना गया।

मान्यवर, आपके माध्यम से एक चीज और बतला दूं जहां बाढ़ की बहुत बड़ी विभीषिका है। मनियर कस्बा जिसकी आबादी १५,००० की है पानी भरा है ७०, ७५ फिट बलिया जिले का लेविल अन्य जिलों से नीचा है वहां पानी भरा हुआ है। घाघरा नदी के किनारे के दर्जनों गांव कटान की स्थिति में है और कम से कम तीन सौ एकड़ भूमि घाघरा के पेट में विलीन हो चुकी है। मैं अपने राजस्व मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का सौतेला व्यवहार छोड़ें और आज हमारे जिले पर जो आपत्ति आयी है उसके निवारण के लिये समुचित उपाय करें। आपके वक्तव्य को देखने से मालूम होता है कि जिन-जिन लोगों को आपने ज्यादा से ज्यादा सहायता देने का आदेश दिया है उसमें बलिया जिले को छोड़ दिया है। बलिया जिले के संबंध में पहले चर्चा हो चुकी है और पिछली दो चर्चाओं में जब आपने वहां की विभीषिका को, वहां की भीषण परिस्थिति को स्वीकार किया है तो आज भी अपनी रिपोर्ट में उसको स्वीकार न करने का क्या कारण है ? बलिया जिले में फीस माफी के सवाल को आपने छोड़ दिया है, यह बड़े दुख की बात है। साथ ही राजस्व मंत्री और माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिले के बारे में आप स्थायी रूप से सोचें। हमारे जिले के लिये बाढ़ कोई नयी बात नहीं है। बाढ़ से हमारा फायदा भी होता है, नयी सिल्ट मिलती है, इससे मैं इन्कार नहीं करता। हमारी फसलों को लाभ अच्छा होता है, इससे भी मैं इंकार नहीं करता। लेकिन वह समय चला गया जब हम केवल प्रकृति के ऊपर निर्भर करते थे। अब हमारे बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत दियारे में ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, और आज हम रबी और खरीफ की अधिकतम पैदावार लेने की स्थिति में है। ऐसी सूरत में हम निवेदन करते हैं कि हमारे यहां बाढ़ को रोकने के लिये स्थायी रूप से कोई स्थायी कार्य कीजिये और उसके लिये रुपये का या अन्य चीजों का मुंह देखना निश्चित रूप से हमारे प्रति अन्याय होगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे बलिया जिले में एक नयी समस्या और खड़ी हो गयी है। हमारे बाढ़ क्षेत्र में नदी और बांधों के बीच में सैकड़ों निजी ट्यूबवेल्स लगे हैं और स्टेट ट्यूबवेल्स लगकर तैयार हैं। उन ट्यूबवेल्स के लिये आपने बिजली लेने के लिये एक मिनिमम तय कर दिया है कि महीनों में कम से कम इतनी बिजली लेनी होगी जिसका रुपया देना पड़ेगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बाढ़ की वजह से ४ महीने तक ट्यूबवेल्स के लिये बिजली लेना बन्द रहता है, तो इस पर आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करना है कि ४ महीने के लिये बिजली की मिनिमम गारंटी की बात जो आपने कर रखी है उससे उसे छुटकारा दिलाने की कृपा करें।

तीसरी बात यह है कि जिस तरह से अन्य जिलों में बच्चों की फीस माफी की बात की गयी है उसी तरह से बलिया जिले के बच्चों की भी फीस माफ की जाय तथा तरह-तरह की अन्य सुविधायें दी जायं।

मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से बार-बार निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में बाढ़ से बचाव के लिये स्थायी प्रबन्ध किया जाय। अब तक वहां पर सिंचाई के लिये तथा बाढ़ से बचाव के लिये जो प्रबन्ध किया गया है, निस्सन्देह उस प्रबन्ध से हमारे जिले को लाभ हुआ है लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो गयी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखलायी पड़ती हैं। हमारे सिंचाई मंत्री जी ने पूर्वी जिलों में बड़ी तेजी से बाढ़ को रोकने का काम किया लेकिन जल्दी बाजी में इंजीनियरों

[श्री निर्भय नारायन सिंह]

ने एक ही डिजाइन के ४ रेगुलेटर तुर्तीपार बांध र लगा दिये जिससे उनका इनकैचमेंट एरिया कम हो गया जिससे सही ढंग से पानी की निकासी नहीं हो पाती जिससे वाटर लागिंग हो जाती है और ५-६ दिन तक पानी लगे रहने से धान की फसल खतम हो जाती है। इससे वहां बहुत निराशा का वातावरण है। रेगुलेटर डिफेक्टिव होने की वहज से खरीफ की फसल भी खराब हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अक्टूबर–नवम्बर तक पानी निकल जाय तो उसमे रबी की बुआई हो जायेगी लेकिन इससे धान की फसल समाप्त हो जाती है। इसलिये माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर वे गम्भीरता से विचार करगे और इसकी दुरुस्ती करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ताकि और माननीय सदस्य भी बोल सकें।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, घाघरा से सबसे ज्यादा नुकसना आजमगढ़ जनपद को होता है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री त्रिवेणी को बुला रखा है। आपको भी समय मिलेगा।

श्री त्रिवेणी—

इस घाघरा नदी के पानी से सगड़ी तहसील, घोसी तहसील और मोहमदाबाद तहसील का क्षेत्र बहुत क्षतिग्रस्त होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस क्षेत्र को देख कर आये हैं और उन्होंने रिपोर्ट दी कि हमारे जिले में भी बाढ़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने खुद नहीं देखा ?

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, हमने भी देखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनको खत्म कर लेने दें।

श्री त्रिवेणी—

यह जो बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है तो उससे यह तीनों तहसील के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। यही नहीं पानी के बढ़ते बढ़ते कटाव भी शुरू हो जाता है और घोसी तथा सगड़ी का इलाका बर्बाद हो जाता है। जिस तरह गोंडा, बस्ती और बहराइच का इलाका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है उसी तरह आजमगढ़ को भी शामिल किया जाय। तो श्रीमन, मुझे यही निवेदन करना है कि घाघरा आजमगढ़ की सीमा से होकर बलिया में जाती है और इससे आजमगढ़ का बहुत नुकसान ही होता है।

श्री लालसा प्रसाद (जिला बस्ती)—

श्रीमन, आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील का नत्थूपुर क्षेत्र में मेरा क्षेत्र है। यह घाघरा नदी से हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है। ग्राम बरोड़ के सकल धोबी, परमा सुकुल और राम नाथ सिंह के मकान कटाव से गिर गये हैं और अन्य मकान वहां पूरे गांव को खतरा है। मैं १५ अगस्त को वहां गया था। वहां की हालत बहुत खराब है। लोगों को रहने की जगह नहीं है। दूसरे

मकानों में रह रह हैं। मवेशियों के लिए चारा नहीं है। बरोल, गजियापुर, चौहानपुर, परसिया, मूसाडोही, मोलनापुर में हर साल बाढ़ आती है। वहां की स्थिति दयनीय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां के क्षेत्र को बाढपीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय। वहां पर घोसी के तहसीलदार तकावी व लगान की वसूली में बहुत सख्ती कर रहें हैं। मैंने जिलाधीश को भी पत्र लिखा था और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिख कर दिया है। माननीय राजस्व मंत्री को भी सूचना दी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बाढ़ पीड़ित हैं वहां की लगान और तकावी की वसूली बन्द की जाय, लगान माफी की घोषणा की जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय और बाढ़ पीड़ितों व गरीबों को मुफ्त गल्ला वितरित किया जाय।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बाढ़ का प्रश्न इस समय चल रहा है इसमें मैं समझता हूं कि मेरे जिले बहराइच का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि राप्ती, कुआनो, सरजू, घाघरा आदि जो नैपाल से निकलने वाली नदियां हैं वह जब उत्तर प्रदेश में आती है तो पहले बहराइच में प्रवेश करती हैं और जब वहां बाढ़ का प्रकोप होता है तब उसके बाद गोंडा, देवरिया, बस्ती व आजमगढ़ आदि में होता है। हमारे जिले में जो बाढ़ आयी है उसके दो मुख्य कारण है। घाघरा म मेरे जिले के अन्दर बाढ़ नहीं है। जहां मेरे जिल में सरजू घाघरा में मिलती है और राप्ती जाकर जहां मिलती है वहां बाढ़ का अधिक प्रकोप हुआ है। सरजू, भकला और राप्ती से कैसरगंज, बहराइच और नानपारा ये तीनों तहसीलें पूरी तरह से प्रभावित हैं। एक तो इन नदियों की बाढ़ और दूसरे जो शिवपुर ब्लाक में बन्धा है वह एक जगह २०० फीट और दूसरी जगह ४० फीट कटा है जो अधिकारियों की अकर्मण्यता का सबूत है। ओवरसीयर और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ पड़ा रहा, सब तमाशा देखते रहे, और बन्धा कट गया। किस तरह से वह बंधा कटा माननीय मुख्य मंत्री जी उसकी जांच करायें। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं। वह बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं। सन् ६०-६१ में दोनों पैरों में पट्टी बांधे गोमती की बाढ़ में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज भी हवाई जहाज से उन्होंने बहराइच, गोन्डा, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जगहों का दौरा किया है और देखा है।

मान्यवर, यह जो आंकड़े दिये गये हैं, इनके सम्बन्ध में मैं क्या कहूं। मैं यही कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी पूर्ण रूप से इसकी जांच करायेंग तो इनमें सत्यता से परे दूसरा ही रूप पायेंगे। अधिकारियों के सम्बन्ध में मैं क्या कहूं। ऐसी अदूरदर्शिता से काम लिया गया है कि मेरे जिले के अन्दर बाढ़ आने से पहले मई-जून में मीटिंग होती थी, सुझाव मांगे जाते थे, नावों का प्रबन्ध किया जाता था, लेकिन तीन-चार वर्ष से बाढ़ का प्रकोप अधिक न होने के कारण वह नहीं हुआ और न कोई प्रबन्ध हुआ, न कोई फ्लड पोस्ट का ही इन्तजाम हुआ। जिस समय बाढ़ आई बन्धा कटा, एक ही आदमी की मिसाल मैं देता हूं, श्री कैलाश नाथ तिवारी ने कहा कि लगभग ११ हजार का गल्ला बह गया, एक दाना भी नहीं बचा। श्रीमन, यह जो आंकड़े हैं वह कवल सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास है। जिले का आधा भाग डूब गया है, प्रलयंकारी दृष्य है, और लिखते हैं कि ६३६ गांव प्रभावित हुए हैं और एक हजार घर प्रभावित हुए हैं। आज एक-एक गांव में २००-२०० और २५०-२५० घर हैं। लिखते हैं कि ६३६ गांव प्रभावित हुए और घरों की संख्या कुल एक हजार दी है। इसको देख कर लज्जा आती है। यह मतलब नहीं है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो सरकार उसका चेक काट देगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सत्य सामने लाया जाय तो सरकार पूरा प्रयास करेगी। वैसे रिपोर्ट के बारे में माननीय मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने आवश्यक सहायता के बारे में काफी संकेत किया है। किन्तु फिर भी, जैसे आप सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उन दूकानों से जो भी गल्ला आप बिकवायें वह सब्सीडाइज्ड रेट्स पर बिकवायें क्योंकि लोगों में इतनी ताकत नहीं रह गयी है कि वे १२-१४ छटांक का गेहूं खरीद सकें। उनके पास आज खाने को पैसा नहीं रह गया है। उनका सारा सामान नष्ट हो गया है।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बच्चों की फीस भी माफ होनी चाहिये तथा और भी सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि बाढ़ का संकट अभी समाप्त नहीं हो रहा है। हमारे

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

य आधा जिला बाढ़ डूबा हुआ है। एक एक नाव वाले ने संकटकाल में ८ आना फी सवारी लिया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और वहां की पीड़ित जनता को अधिक अधिक राहत पहुंचाने की व्यवस्था करें।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री और उन माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने बाढ़ पीड़ित इलाकों को देखने की कृपा की। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री का जो बयान निकला तथा जो अखबारों में खबरें निकलीं तथा रेडियो पर जो सुनने को मिला उससे मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री वहां गये हों उनके सामने सही वस्तुस्थिति को नहीं रखा गया। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं उसी इलाके से चुन कर आया हूं। वहां राप्ती और घाघरा दोनों का संगम है। जिन-जिन नदियों का वर्णन माननीय सदस्यों ने किया है व प्रायः सभी नदियां मेरे यहां राप्ती में मिलती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर पानी की क्या स्थिति होगी ? उस क्षेत्र की स्थिति की सही जानकारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि किसी को भेज कर वहां की सही सही जानकारी न करायी जाय। मैं २४ तारीख को स्वयं वहां पर था। २५ को मुझे अपने एक सहयोगी कार्यकर्ता श्री दबी मिश्र का एक टेलीग्राम मिला। उसके बाद टेलीग्राम मिला। आज भी चिट्ठी मिली ह जिसमें लिखा है कि वहां पर व्यवस्था ज्यों की त्यों ही बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने अपने यहां की स्थिति देखी है, इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वहां लोग बहुत परेशानी में हैं। वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम लोगों का शरीर और मन यहां जरूर है, किन्तु दिमाग वहीं लगा हुआ है कि जाने वहां का क्या हाल होगा। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन को बन्द किया जाय ताकि माननीय सदस्य अपने इलाकों को जाकर देख सकें। माननीय मुख्य मंत्री को अगर समय न हो तो कैबिनट के किसी अन्य सदस्य को वहां भेज कर सही जानकारी प्राप्त करने की कृपा करनी चाहिये। मैं इसलिये कह रहा हूं यह बात कि आप देखें जो रिपोर्ट बंटी है उस रिपोर्ट में गांव लिखे हैं ८३१ और एकड़ दी है ४४,२०१ और मकानों की क्षति ३९० और उससे अनुमानित जो नुकसान हुआ वह ५९,८०० रुपये। १५० रुपये या इससे कुछ ऊपर एक मकान के नुकसान का मूल्यांकन है।

श्रीमन्, अगर इसको सही मान लें, कि छप्पर का भी था तो भी १५० रुपये में छप्पर नहीं बनता रहा है। न मैं इसको कोई ऐसा सवाल मानता हूं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं इतनी बात जरूर समझता हूं कि सरकार के साधन सीमित होने के बावजूद भी वे असीमित हैं और जो मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिये उस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को जो दो ही हालत में बड़े मुसीबतजदा होते हैं, या आग लग जाय या बाढ़ आ जाय, सहायता करनी चाहिये। जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि अगहनी फसल तक या नवम्बर तक, जैसा कि रिपोर्ट में है, स्कूल के विद्यार्थियों की फीस तब तक की माफ रहेगी। मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा, और हमारी खुशकिस्मती है कि माननीय मुख्य मंत्री भी हैं। आज जो फसल मारी गई वह फसल कुवार अथवा अगहन में ही पैदा होती। कोई फसल ऐसी नहीं है जो फसल उस समय पैदा हो जाय जिससे उन विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके और उससे वे अपनी फीस दे सकें। श्रीमन, मेरा निवेदन यह है कि आप रबी की फसल तक, रबी की फसल बोने के बाद तो इनको फसल मिलती है, खरीफ की फसल नष्ट होने से उन विद्यार्थियों की फीस ३१ मार्च तक माफ करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री अविलम्ब घोषणा करें यह मेरी प्रार्थना है।

दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि जो मकान गिर गये हैं उनके लिये सस्ते रेट पर लकड़ी पहुंचाने की व्यवस्था करें। तीसरी बात यह है कि मनुष्य का चारा तो मिल सकता है गोरखपुर, आजमगढ़ या दूसरे जिलों में मजदूरी करने पर, लेकिन पशुओं का चारा मिलना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुश्किल हो जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार मनुष्य और पशुओं के चारे का इन्तजाम करे। साथ ही और बातें भी हैं जैसे दवा के बारे में या अन्य दूसरी बातों के बारे में सरकार ने ध्यान दिया है। उस पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस सम्बन्ध में जो दूसरों ने प्रयास किये हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। जो काम कर रहे हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन फिर भी मैं इसकी आवश्यकता समझता हूं कि इसे पुनः मानव य दृष्टिकोण से देखा जाय।

*श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान गोंडा जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोंडा जिले में घाघरा, सरयू और राप्ती की भयंकर बाढ़ से इस साल जो दृश्य उपस्थित है वह सैकड़ों वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ है। पानी बरसने से बाढ़ ही आया करती थी लेकिन वहां के निवासी सतर्क होकर अपने सामान को, अपने जानवरों को, अपने परिवार के लोगों को इधर-उधर कर दिया करते थे लेकिन इस साल दो-चार घंटों के अन्दर इस कदर पानी बढ़ा कि आठ-नौ फीट पानी ऊंचा हो गया। तमाम घर डूब गये हैं, लाखों जानवर लापता हो गये, सैकड़ों आदमी मर गये और संख्या नहीं गिनी जा सकती कि कितने मकान गिर गये। किसी का एक दाना भी संचित नहीं बचा है, सारा अनाज सड़ गया है और वहां की ऐसी भयावह परिस्थिति है कि लोग असहाय हो गये हैं और जो अच्छे सम्पन्न लोग थे वह तक आज वहां एक एक दाने के लिये मोहताज है। हमारे बड़े प्रतिनिधि नेता श्री गुप्ता जी भी वहां गये थे और दौरा किया था उन्होंने कलक्टर को आदेश भी दे रखा है कि वह जाकर देखें और उचित सहायता पहुंचायें। वहां ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि इस बहस का मौका पहले ही मिलना चाहिये था लेकिन विरोधी दल के लोगों ने तो वही कहावत चरितार्थ कर दी कि रोम जल रहा था और नीरो बन्सी बजा रहा था.....

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरों के बारे में न कहें, अपनी बात बाढ़ पर कहें।

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

ऐसी परिस्थिति में इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये और जो सहायता वहां के लिये हो सके वह जल्द से जल्द पहुंचाई जाय। वहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते। उनके जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था होना चाहिये, फीस माफी होना चाहिये। जो खेतिहर मजदूर आज वहां दाने-दाने के लिये मोहताज हैं और जिनको मजदूरी नहीं मिलती है उनकी हर तरह की सहायता होनी चाहिये। हमारे किसानों के पास खाने को तो क्या बीज तक के लिये अनाज नहीं है। बीज के लिये तो अवश्य ही प्रबन्ध होना चाहिये। जो मिट्टी के लोगों के मकान थे वह सब पानी से तहसनहस हो गये हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिये लकड़ी की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह जाड़े में अपने जीवन की रक्षा कर सकें।

(श्री रामकुमार शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, निवेदन है कि नये लोगों को अवसर नहीं मिलता, या तो आप नाम नहीं जानते हैं या पहचानते नहीं हैं या शायद ऐसी ही कोई दिक्कत है जिससे हमें मौका नहीं दिया जाता है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप सब जितने लोग बोलना चाहेंगे उनको अवसर न मिल जायगा। मैं आज भोजन करके, छक कर और डट कर आया हूं और जब तक माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे मैं बैठा रहूंगा और सुनता रहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ अपने प्रदेश में पहली बार नहीं आई है। जब इतने माननीय मित्र उस क्षेत्र की करुणाजनक स्थिति के संबंध में यहां वर्णन कर चुके हैं तो ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन इसलिये आप को आज कष्ट देना पड़ा कि कहीं हम लोग जो वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में कोई यह न कहे कि वहां की ऐसी परिस्थिति के बारे में इन्होंने एक कल्मय खेर भी न कहा। श्री बसन्त लाल जी पहले ही यह कह चुके हैं कि घाघरा और राप्ती और वहां की जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं वे पूर्वी अंचल के दस-बारह जिलों में से होकर बहती हैं। जो दशा बहराइच, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया यानी गोरखपुर कमिश्नरी के इन जिलों की है वह सब जगह एक-सी ही है।

कई मित्रों ने वहां के लिये अस्थायी व्यवस्था के बारे में सुझाव दिये हैं। मैं भी वहां काफ़ी दिनों से बाढ़ में काम कर चुका हूं, इस बार भी वहां बाढ़ आई और यहां बजट चल रहा था, जी चाहता था कि यहां से जाकर उनकी तकलीफ़ में सहायता करते और उनको बताते कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अवसर मिल रहा है, हम वहां जायेंगे लेकिन अगर स्थायी योजना बन जाय तो बहुत अच्छा है। इस समय किन-किन तात्कालिक चीजों की आवश्यकता है, इस ओर हमारी सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये। मुझे तो रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त हो पायी है हालांकि हमारे मित्र को मिल गयी है लेकिन मैं अपने पुराने तजुर्बे के अनुसार कह सकता हूं। हमारे जिले बस्ती में ६ तहसीलें हैं डुमरिया गंज, नौगढ़, बांसी, बस्ती, खलीलाबाद और हरैया। ये सब बाढ़ से प्रभावित हैं। वहां पर घाघरा, राप्ती, कुवानों, आमी, बूढ़ी राप्ती और बान गंगा नदियां बहती हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां और नाले भी हैं जो अकस्मात उमड़ गये हैं। मेरे पास तार और पत्र भी आये हैं। बस्ती के माननीय सदस्य ने वर्णन किया कि वे मौके पर गये, उन्होंने स्थिति को देखा और इस थोड़े से समय में उन्होंने व्यवस्था के प्रयत्न भी किये लेकिन यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका।

पुराने जमाने में जब बाढ़ आया करती थी तो सेवा समितियों और फ्रेंड्स आफ़िस्ट होते थे, दयावान व्यक्ति होते थे वे पुराने कपड़ों और जिनके घरों में स्थान होते थे उनको (बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को) अपने घरों में रखते थे और सहायता करते थे। यह परिपाटी, इन दिनों बिल्कुल विलुप्त हो गयी है और लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, उसका कर्त्तव्य है कि वह उनकी रक्षा करे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने इस व्यस्त समय में कुछ समय निकाल कर पूर्वी अंचल के जिलों का हवाई जहाज द्वारा निरीक्षण किया लेकिन केवल इससे तो काम नहीं चलेगा। स्थानीय स्थिति को देख कर अगर इस कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं तो जो हमारे माननीय सदस्य हैं वे हो सकते हैं। वे प्रत्येक गांवों की स्थिति को देखें क्योंकि वे ही इन बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सुविधा पहुंचा सकते हैं।]

बाढ़ एक संक्रामक और निर्दयी प्रकोप है। बाढ़ के बाद एक चक्कर आता है। जिस प्रकार लड़ाई होने के उपरान्त ही पता लगता है कि कहां से हथियार लिए गये और किस को कितना देना है। तो बाढ़ से क्या चीज होगी, संक्रामक रोग है। हमारे इलाके में एक सड़क बढ़नी और इटवा से तुलसीपुर, बांसी, खिसराह जो सड़क बनी थी, उसका एक पुल मुहचरवा में है जो ११ लाख ५४ हजार रुपये में तैयार हुआ था, उसके आस-पास की सड़क कई स्थानों पर टूट गयी है। वह कांक्रीट का है। रुपया न होने के कारण वह सीमेंटेड रोड नहीं हो पायी है और जब धारा प्रवाह होता है तो वह जगह-जगह पर उखड़ जाती है। माना कि आपकी ८ अरब की योजना है लेकिन इस ओर कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है। श्रीमन्, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह नेपाल की तराई में है। जिला स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं, साधन न होने के कारण, वे पर्याप्त नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल गल्ला भी दिया जाय, उनके बच्चों की फ़ीस भी माफ़ करने की व्यवस्था की जाय और उस क्षेत्र के जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलाधिकारी हैं, उनको यह आदेश दिया जाय कि वे ऐसा प्रबन्ध करें कि प्रभावित व्यक्तियों की तत्काल मांग पूरी हो सके । मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत पिछड़े हुए इलाके से मैं आया हूं । हमारे यहां न कोई कल-कारखाने हैं, न कोई मजदूरी के साधन हैं । केवल छोटी-मोटी खेती है । तो कृपा करके मेरे ऊपर और वहां के निवासियों के ऊपर अपना अनुग्रह रखिए ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं देवरिया जिले से चुन कर आया हूं । वह ऐसा जिला है जहां नारायणी नदी अपने पैर फैलाने में हिन्दुस्तान में काफ़ी प्रसिद्ध है । हिन्दुस्तान में तीन नदियां थीं सिन्ध, ब्रह्मपुत्र तथा बड़ी नारायणी । सिन्ध तो पाकिस्तान में चली गयी । अब ब्रह्मपुत्र तथा नारायणी अपने-अपने इलाकों में काफ़ी बड़े क्षेत्र को बाढ़ के समय अपने में लिप्त करने में काफ़ी मशहूर हैं । १५ वर्ष से जो छितौनी फ़ैक्टरी बनी हुई है वह नदी के पेटे में चली न जाय इसका अन्देशा बढ़ गया है । खड्डा से छितौनी तक जो रेलवे लाइन जाती है पारसाल १५ दिन तक पानी में डूब जाने के कारण उस पर ट्रेनें नहीं चल सकी थी । इस साल भी वह खतरे में है । १०० फुट की दूरी पर नदी बह रही थी और अन्देशा यह था कि कहीं सारे का सारा इलाका हमेशा के लिये नारायणी नदी के पेटे में न समा जाय लेकिन किसी न किसी तरह से वह बचाया गया । छितौनी से ११५ फ़ुट की दूरी पर नारायणी नदी की मुख्य धारा इस समय बह रही है । अगर कोई प्रभावकारी इन्तजाम उसे रोकने के लिये न किया गया तो यह दुर्भाग्य की बात होगी । बहुत-सी योजनाएं बाढ़ नियंत्रण के लिये बनाई गयीं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इसके लिये कोई योजना नहीं बन सकी और समय के रहते इस बाढ़ की समस्या का हमेशा के लिये हम कोई समाधान नहीं निकाल सके । मैं तो यह चाहूंगा कि कोई पर्मानेन्ट बोर्ड ऐसा बनाया जाय जो बाढ़ से सम्बन्धित सभी स्कीमों को प्रायरिटी के हिसाब से कार्यान्वित कराये । नारायणी नदी की बाढ़ को रोकने के लिये ३ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट रुड़की इंजीनियरिंग से बन कर आया था लेकिन कई सालों में भी वह प्लान पूरा नहीं हो सका । अगर पूरे ३ करोड़ रुपये खर्च हो गये होते और सारा प्लान कार्यान्वित हो गया होता तो फ़िर यह समस्या उत्पन्न न होती । लकिन जहां ३ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी वहां ९० लाख, ९५ लाख रुपया खर्च किये गये और इसमें से ४५ लाख रुपये का काम ऐसा है जो नदी के पेटे में समा गया । मेरा निवेदन है कि जो उपाय किये जायं, जो भी स्कीम्स हैं जिन पर अमल किया जाय वे ऐसी प्रभावकारी हों जिनसे नदी की समस्या का समाधान हो सके । जितना रुपया हम व्यय करते हैं उसमें से आधा रुपया अपव्यय हो जाता है ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे इर्रीगेशन विभाग के बहुत से इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बाढ़ को रोकने के लिये प्रभावकारी कदम उठाने के बहाने पैसे का अपव्यय कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक बोर्ड टेक्निकल एडवाइजर्स का ऐसा होना चाहिये जिस में एक्सपर्ट हों और जो बाढ़ों को रोकने की समस्या का हल बतला सकें और वह बोर्ड इस बात की भी जांच करे कि जो रुपया इन कामों के लिये व्यय किया गया उसकी वास्तव में आवश्यकता थी । लेकिन शिकायत यह है कि जब बाढ़ हमारे यहां आती है तो पैसे का दुरुपयोग होता है और लाखों रुपये का काम नदी के पेट में चला जाता है । पत्थर डालने की स्कीम के अन्तर्गत या ठेकेदारों की जेब में जाकर और ठेकेदार उस में से कुछ हिस्सा इंजीनियर्स की जेब में भरते हैं जो इस अपव्यय में सहायक होते हैं । लिहाजा मुख्य मंत्री एक पर्मानेन्ट बोर्ड बनायें जो एक तरफ़ तो उत्तर प्रदेश की नदियों द्वारा जो विनाश लीला की जाती है उसको खत्म करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये और दूसरी तरफ़ जो हमारे धन का अपव्यय हो रहा है और जो इंजीनियरों के द्वारा अकर्मण्यता हो रही है उसे समाप्त करें ।

दूसरी चीज मैं यह भी चाहूंगा कि उन बाढ़ क्षेत्रों में लड़कों की फ़ीस माफ़ी वगैरह की समस्या तो है ही, वह तो निश्चित रूप से माफ़ होनी चाहिये लेकिन वहां के लोगों को घर बनाने के लिये ब्याज रहित धन, मुफ्त भोजन दिया जाय, कपड़ा दिया जाय, मिट्टी का तेल और माचिस दी जाय और तमाम जरूरत की चीजें दी जायं जब तक वह बाढ़ के प्रकोप से घिरे हुये हैं । अगर

[श्री राज मंगल पांडेय]

हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा कल्याणकारी राज्य का नारा निरर्थक सिद्ध होगा। आज हर मनुष्य में अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता है। वह अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये तैयार है। लेकिन आज जब वह बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित है तो हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनकी सहायता करे। मैं आपके माध्यम से अपने मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से काफ़ी समय निकाल कर २७ तारीख को जब सब लोग रक्षाबन्धन की छुट्टी मना रहे थे तो उन्होंने पूर्वी जिलों का दौरा करके काफ़ी कदम उठाये। लेकिन वह कदम अपर्याप्त है क्योंकि वह भी उन इंजीनियरों से घिरे हुये हैं जो गलत राय दिया करते हैं। इसलिये टाप प्रायोरिटी पर एक एक्सपर्ट स का बोर्ड बना दिया जाय जो इस समस्या का परमानेन्ट साल्यूशन निकाल सके वरना इस सरकार का आधा पैसा अपव्यय हो रहा है, और अगर यह अपव्यय नहीं रोका गया तो उसके लिये हम और आप उत्तरदायी होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है अपनी सरकार से और मुख्य मंत्री जी से कि एक प्रभावकारी कदम उठा कर हमेशा के लिये एक सल्यूशन निकालें ताकि हम और आप सब उस विनाशकारी लीला से बच सकें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, उन्नाव जिले के अन्दर न तो घाघरा और राप्ती की बाढ़ जैसी विभीषिका है और न मुख्य मंत्री जी का हवाई जहाज ही वहां पर उड़ा है। एक बात और निवेदन करूं कि मुझ में वह कमी है जिस प्रकार से भाई त्रिवेणी राय जी अपनी बात कह लेने की कला रखते हैं और उसी का फ़ल है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यहां पर जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें उन्नाव जिले का कहीं नामोनिशान नहीं है। वहां पर जो समस्या है वह अपने स्थान पर है और वह यह है कि उन्नाव जिले में गंगा के किनारे-किनारे ८ मील की पूरी में एक पट्टी है जहां हर वर्ष ऐसी बाढ़ आया करती है जिससे सारा जिला प्रभावित रहता है और वही नुकसान होता है जो दूसरे जिलों में होता है। लेकिन इसकी तरफ़ न तो सरकारी कर्मचारियों का ध्यान जाता है और न सरकार की तरफ़ से ऐसी कोई कार्यवाही होती है कि उस समस्या का कोई समाधान हो सके। पिछले वर्षों में जब बाढ़ नियंत्रण योजना लागू की गयी और उस समय वहां पर बाढ़ रोकने की एक योजना बनायी गयी थी जो सरकार के पास उसकी स्वीकृति के लिये भेजी गयी थी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के पास आने के बाद वह ज्यों की त्यों खटाई में पड़ी हुई है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

हमारे जिले में एक लोनी नदी है। वह सारे जिले में सांप की तरह रेंगती हुई, आवागमन के सारे साधनों को नष्ट करती हुई और क्षतिग्रस्त करती हुई रायबरेली जिले में चली जाती है। उसमें हर वर्ष एक मील इधर और एक मील उधर पानी भर जाता है और परिणाम यह होता है कि किसानों की सारी फ़सलें नष्ट हो जाती हैं और वह एक ही फ़सल ले पाते हैं। इस बाढ़ को रोकने के लिये सिंचाई विभाग की तरफ़ से एक लोनी प्रोजेक्ट बना कर भेजा गया। जब वह प्रोजेक्ट यहां आया तो यह कहा गया कि यह इतना छोटा है कि बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत नहीं आ सकता लिहाजा बड़ा प्रोजेक्ट बना कर भेजिये। जब बड़ा प्रोजेक्ट भेजा गया तो यह कह कर इन्कार कर दिया गया कि इतना पसा नहीं ह कि इसको पूरा किया जा सके। अगर छोटा प्रोजक्ट आता है तो सरकार कहती है कि यह बाढ़ नियंत्रण योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता और अगर बड़ी योजना बन कर आती हैं तो कहते हैं कि इसके लिये पैसा नहीं है, इसलिये इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां से जो योजना बन कर आयी है उसको सिचाई विभागके हवाल करें ताकि लोनी प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया जा सके। इसके अलावा गंगा पर बांध बनाने की योजना को भी कार्यान्वित किया जाय। उन्नाव जिले में इस समय जो तकावी और लगान की वसूली बड़ी तेजी से हो रही है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी तुरन्त आदेश दें कि वहां के किसानों से लगान और तकावी तुरन्त स्थगित कर दी जाय। इसके अतिरिक्त उन लोगों को जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, उनको वहां तत्काल सप्लाई करने की कार्यवाही करना चाहिये। अगर इन

बातों को वहां पूरा नहीं किया गया तो वहां के लोगों में असंतोष बढ़ेगा और लोगों की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी ।

श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला हरदोई में जबकि रामगंगा, गंगा, कुंडा, गोमती, सई, लिलपय, गर्रा, गभीरी, सुखता, भैसेटा, गौरइया, बेतवा आदि नदियां बहती हैं, तथा हथौड़ा और सहिजना ड्रेन हैं । इतनी नदियों के होते हुए भी और हजारों एकड़ जमीन के नष्ट हो जाने पर भी जो रिपोर्ट पेश की गयी है, उसमें हमारे जिले का नाम तक नहीं है । इसके अलावा दफ़ा ५१ में श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल ने नोटिस दिया था, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । गंगा और गर्रा के कटान से और बाढ़ से सारी जमीन नष्ट हो चुकी है, गांव के गांव प्रभावित हुए हैं लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । ३ दिन तक शाहजहांपुर--हरदोई मार्ग बंद रहा और बधोली--सीतापुर मार्ग आज भी बन्द है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर जल्द ध्यान दे । हजारों बीघा काश्त का नुकसान हो रहा है और किसान लोग बड़ी मुसीबत में हैं। हथौड़ा ड्रेन जो सरकार के २९ वर्षों से विचाराधीन है लेकिन उसके बनने की आज तक नौबत नहीं आयी । यह ड्रेन हरदोई और उन्नाव क बीच में है और बड़ी भयानक है । कृपया इसको जल्द से जल्द बनवाने पर ध्यान दिया जाय ।

श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ के विषा में राजस्व मंत्री जी का ध्यान जिला बलिया की ओर दिलाना चाहता हूं । मैंने आज से एक महीने पहले २६ जुलाई को माननीय राजस्व मंत्री जी को एक पत्रक दिया था कि हमारे जिले के अधिकांश हिस्से अधिक वर्षा से तबाह हो चुके हैं । उसके ऊपर राजस्व मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया कि उस क्षेत्र में कुछ वर्षा हुई है लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हुई । लेकिन जब इस समय बाढ़ का समय आया और हमारा जिला ऐसे स्थान पर है जहां घाघरा और गंगा दोनों नदियों का संगम पड़ता है परन्तु जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि बलिया जिले के प्रति सरकार की उपेक्षा दृष्टि ही रही है, यह आज के माननीय राजस्व मंत्री जी के वक्तव्य से भी साबित हो गया । जब-जब विकास की योजनायें बनी हैं, बलिया को सदा ही छोड़ दिया गया है । जब पटेल आयोग की स्थापना हुई थी, तब भी बलिया को छोड़ दिया गया था । जिस समय पटेल आयोग में इस जिले को सम्मिलित करने का अवसर आया उस समय इस योजना को ही बन्द कर दिया गया और बलिया को उसमें नहीं लिया गया । राजस्व मंत्री जी के वक्तव्य से मालूम होता है कि बलिया जिले का नाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं है । जबकि मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को अपने घर से दूरी जगह जाने के लिये नावों का प्रयोग करना पड़ता है । मवेशियों के जाने के लिये कोई सुविधा नहीं है । घाघरा नदी के किनारे जो बांध है उसके पास गोपालनगर गांव है वहां जाने के लिये नाव का प्रयोग करना पड़ता है । ऐसे अवसर पर जो राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य हुआ है उसमें बाढ़ग्रस्त जिलों में बलिया का कहीं नाम नहीं है । बलिया-बैरिया बांध के बारे में माननीय सदस्यों ने कई बार सदन में मंत्री जी का ध्यान दिलाया है फ़िर भी राजस्व मंत्री जी हमारे जिले का नाम नहीं लते हैं । मैं २६ अगस्त को अपने जिले में गया था और मैंने अपने जिले के कई गांवों का दौरा किया जैसे रामपुर नम्बरी, चितविशाल कलां, चितविशाल खुर्द, चांदपुर, महाराजपुर, कमालपुर, भकवन, रामपुर मसरिफ, रामपुर मगरि आदि । ये गांव बाढ़ से घिरे हुये हैं । लेकिन राजस्व मंत्री जी का ध्यान इधर नहीं गया है ।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ़ तो हमारे यहां के लोग बाढ़ से परेशान हैं और दूसरी तरफ़ वहां मालगुजारी तथा तकावी वसूल की जा रही है । हमारे यहां श्रीनगर बांध जो चांदपुर के पास टूट गया है जिससे बहुत से गांव पानी से घिर गये हैं । हमारा सुझाव है कि इन गांव के लोगों को किसी ऊंचे स्थान पर बसाया जाय । मिट्टी भरवा कर गांवों को ऊंचा कर दिया जाय । इन गांवों में जो तकावी वसूल की जा रही है उसको बन्द कर दिया जाय । मालगुजारी वसूली भी बन्द की जाय । विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ की जाय । सरकारी अनुदान दिया जाय और वहां के बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता दी जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के वक्तव्य से मुझे चोट पहुंची है। मैं जानता हूं कि अधिकारीगण द्वारा दी गयी रिपोर्ट को हमारे मंत्री लोग यहां प्रस्तुत कर दिया करते हैं। हमारे राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया तो मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि हमारे जिले की गंभीर स्थिति और बाढ़ की भयंकरता से सरकार अवगत हो गई होगी। लेकिन प्रस्तुत वक्तव्य से मुझे दुख हुआ। श्रीमन्, आप उत्तर प्रदेश का नकशा देखें तो आप पायेंगे कि गंगा अपनी सहायक जमुना तथा अन्य छोटी नदियों का भी जल लेकर बलिया जिले की सरहद से बहती हुई घाघरा के संगम पर पहुंचती है। घाघरा छोटी-छोटी नदियों को जिनका बहराइच, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के माननीय सदस्यों ने जिक्र किया इन सारी नदियों का पानी लेकर आगे बढ़ती है और गंगा और घाघरा का बलिया के पूर्वी छोर पर संगम होता है। पश्चिम की सारी नदियों का पानी बलिया के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर जमा होता है और बिहार की सोन नदी और जिस नारायणी का जिक्र पांडेय जी ने किया, उसका पानी बढ़ता है और उन नदियों का दबाव पश्चिम की ओर बढ़ता है तो बलिया में पानी का स्तर और भी ऊंचा हो जाता है। वह स्थिति नहीं रह जाती जो गंगा और घाघरा का स्तर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के हिसाब से रहता है। इस साल आपने देखा कि जिस समय गंगा और घाघरा में बाढ़ आयी उस समय नारायणी और सोन में भी काफ़ी भयंकर बाढ़ आयी। आपने देखा कि पटना में स्टीमर सर्विस बन्द हो गयी थी। उसका असर बलिया पर भी पड़ा और पानी का बहाव रुक गया। फ़लतः १९६७ की बाढ़ में जो नुकसान हुआ था उससे अधिक नुकसान इस बाढ़ में हुआ है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहता था। क्या कारण है कि सारा पानी बलिया में जा कर गिर जाता है?

श्री मैनेजर सिंह—

आप सम्बन्धी हैं। पानी दीजिये, कुछ भी दीजिये, हम ग्रहण करते हैं।

बलिया जनपद का पूर्वांचल क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। जिस रोज माननीय मुख्य मंत्री विमान से दौरा कर रहे थे, मैं मधुबनी रेलवे लाइन पर खड़ा था। मुझे मालूम नहीं था कि माननीय मुख्य मंत्री जी का दौरा होने वाला है। लेकिन मुझे संदेह हुआ, जिस स्तर से हवाई जहाज उड़ रहा था कि किसी अधिकारी विशेष का बाढ़ सम्बन्धी निरीक्षण हो रहा है। रानीगंज बाजार से ११ मील की दूरी पर बिहार की सरहद है दोनों तरफ़ छः-छः मील की दूरी पर गंगा और घाघरा हैं। इस तरह से सवा सौ वर्ग मील में बिलकुल पानी है। एक भी गांव नहीं है जो बिलकुल घिर न गया हो, जिसका आवागमन ठप न पड़ गया हो। आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बलिया जन पद में कोई मृत्यु नहीं हुई है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि करणछपरा एक गांव है। एक संत जी गांव के बाहर रहते थे। नाव के अभाव के कारण जब कोई कई दिनों तक खाना देने के लिये नहीं आया तो स्वयं वे बस्ती में जा रहे थे। इसी बीच वह डूब कर मर गये, वे नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। दया छपरा के श्री शुभनारायण पांडेय जी सरपंच हैं उनका लड़का डूब गया। इब्राहीमाबाद, नौबरा, बूरीटोला के लोग जब पानी से परेशान हुये तो नावों पर मवेशी ले कर चले कि मार्ग में बिजली के तार से लग कर दो आदमियों की मौत हुई और तीन आदमी अस्पताल में भरती थे। मैंने स्वयं देखा, सैकड़ों मवेशी मरे हैं। हमें पानी में तैरती हुई मवेशियों की लाशें मिली हैं। फ़िर भी कहा जाय कि कोई मनुष्य और पशु नहीं मरा है तो मैं समझता हूं हमारे जन पद के साथ अधिकारियों ने विश्वासघात किया है, और सरकार को भी धोखा दिया है और सरकार को कलंकित करने की कोशिश की है। आप सरकारी आंकड़ों को न मानें। आप जांच करवायें। आपके आंकड़े के अनुसार हमारे जिले में माह जुलाई के अन्दर ड्योढ़ा पानी बरसा है तो उसकी हालत कितनी शोचनीय होगी। सामान्य रूप से कोई बाढ़ ग्रस्त जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर ड्योढ़ा पानी बरसा हो।

इस वर्ष भीषण बाढ़ से बलिया जन पथ को नुकसान हुआ है वह शोचनीय है। खरीफ़ की फसल ८० फ़ीसदी से ज्यादा मारी गई है जहां पर बाढ़ के पानी न प्रवेश नहीं किया और जहां पर पानी प्रवेश किया है वहां की सारी फ़सल मारी गई। हमारे यहां के सारे राजस्व अधिकारी, एस० डी० ओ०, तहसीलदार आदि सारे अधिकारी नये हैं। उनको कोई अनुभव नहीं था। जब पानी आया तो मैं उनके यहां दौड़ने लगा और बार-बार आता-जाता रहा। लेकिन उन्होंने कोई कारगर कार्यवाही नहीं की, उन्होंने अपने अनुभव का कोई परिचय नहीं दिया। वह हमें फ़ेमीन कोड ही बताते रहे कि इसमें यह लिखा है। सन ४८ की भयंकर बाढ़ आई, ५६ की आई ६० और ६३ की आई वहां पर तमाम बाढ़ें आई सब में वहां भीषण प्रकृति का प्रकोप हुआ था किन्तु उसका सामना सरकारी व गैर-सरकारी माध्यम से मिल कर किया गया। वहां का इतना बड़ा इलाका पानी से डूबता रहा और हमें फ़ेमीन कोड दिखाते रहे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आपकी कुदृष्टि बलिया के ऊपर क्यों है। क्या जो नालायक लोग होंगे उनको बलिया जिले में ही आप भेजेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि आपके अफ़सर जो बलिया जिला में हैं वे वहां पर हिन्दू मुस्लिम फ़साद कराना चाहते हैं। जब हजारों लोग पानी में डूबे हुये हैं, सैकड़ों लोगों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है, वहां के अधिकारी हिन्दू मुसलमान दंगा कराने की योजना बना रहे हैं और कहते हैं कि वह हिन्दू मुसलमान की झगड़े की आशंका से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहां हिन्दू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बाढ़ में जो हमारा नुकसान हुआ है उसके सही आंकड़े मंगवा कर सहायता के बारे में कोई निश्चित आदेश अधिकारियों को दिया जाय।

मैंने राजस्व मंत्री जी के पास बाढ़ में वितरित अन्न का नमूना भेजा है। यह अन्न कोड-रहा नौबरार मौजा में बांटा गया है। यह अखाद्य अन्न उन गांव में बांटा गया है जो क्रान्तिकारी नेता जयप्रकाश नारायण जी की पवित्र जन्म भूमि है। यहां के एक बड़े बाबू साहब को अधिकारियों ने ५०० रुपया दिया कि वे अपना खराब अन्न बांट दें, जिसे उन्होंने स्वयं बांटा। यह सरकारी सहायता में बांटा गया है। मैं मुख्य मंत्री जी की सेवा में इसे भेज रहा हूं वे उसकी जांच करायें। आपने एक नया डिप्टी कलेक्टर धर्मेन्द्र देव आर्य को भेजा है? वह उस अन्न को चना समझे। जो अफ़सर चना और गेहूं में फ़र्क नहीं समझता, जौ चना और लतरी अकरी में फ़र्क नहीं समझता ऐसे नालायक अफ़सर को वहां क्यों भेज दिया गया है, उस नालायक अफ़सर को किसी दफ्तर के पिंजरे में बन्द करें। जो गरीबों के साथ खिलवाड़ करता है, अनुभव नहीं रखता है, शाही आराम फ़रमाया करता है उसको रखने की क्या जरूरत है?

मैं आपसे इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों जो मकान बाढ़ के पानी से घिरे हैं उनके लिये आप मुस्तैदी से सहायता करें और बाढ़ पीड़ित किसानों के बच्चों को फ़ीस की सुविधा तुरन्त दें तथा तकावी और मालगुजारी जो वसूल हो रही है उसे तुरन्त बन्द करें। हमारे साथी बच्चा पाठक जी, जो अभी बोल रहे थे, उनके पड़ोसी सज्जन जगुनन्दन जी गिरि की वसूली न होने पर आपके अधिकारियों ने उनके पशुओं की कुर्की कर ली। जबकि मंत्री जी ने इस बात का स्पष्ट आश्वासन हमें दिया था सदन में कि सरकार किसी भी वसूलयाबी के लिये किसी के प्रति कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं अख्तियार होगी, इसकी अधिकारियों को हिदायत कर दी गई है। लेकिन मंत्री महोदय के इस आश्वासन के बावजूद श्री गिरि के मवेशी कुर्क किये गये। श्री बच्चा पाठक जी इस बारे में जब हाकिम परगना से बात करने गये तो उन्होंने उनसे ठीक से बात नहीं की वे जब लखनऊ आये तो यह काम मेरे सुपुर्द कर आये....

श्री बसन्त लाल शर्मा—

अभी मंत्री जी को भी उत्तर देना है। यद्यपि नियम ५१ में समय की कोई सीमा नहीं है। फ़िर भी इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है इसलिए आप इसे समाप्त करवाएं। माननीय सदस्य काफ़ी बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यहां पर बैठा हुआ हूं। मैं स्वयं इसे देखूंगा।

श्री महरम सिंह (जिला फ़र्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का जो हमारा फ़र्रुखाबाद का जिला है, उसमें गंगा और रामगंगा के बीच का जो क्षेत्र है वह बाढ़ पीड़ितों में किसी से भी कम नहीं है। जब चर्चा होती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की होती है और मैं तब यह सोचा करता हूं कि काश पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या शीघ्र समाप्त हो जाती और उनकी कठिनाइयां दूर हो जातीं तो हम छोटे-मोटे इलाके वाले भी उन इलाकों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते और सरकार उस ओर भी कुछ कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फ़र्रुखाबाद में रामगंगा और गंगा के बीच का क्षेत्र जिसमें लगभग दो सौ गांव हैं वहां माननीय गुप्त जी सन् १९५४ में जब बाढ़ आयी थी और तब वे प्लानिंग मिनिस्टर थे, फ़र्रुखाबाद गये थे और वहां की स्थिति देखी थी और जानकारी की थी तो उन्होंने वहीं पर यह आश्वासन दिया था कि इस इलाके के लड़कों की फ़ीस माफ़ की जायगी और किसानों का लगान माफ़ किया जायगा और उस समय आपकी ही मदद से यह सब हुआ भी था।

यह श्रीमन, एक छोटा सा क्षेत्र है और इसलिये वहां अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं होता और इसलिये उसकी मदद नहीं हो पाती। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेशीय सरकार से निवेदन करूंगा कि जब भी वह बाढ़ के सिलसिले में विचार विमर्श करें और रिपोर्ट मंगायें और कोई सहायता करने की बात सोचें तब ऐसे जो छोट-छोटे इलाके हैं चाहे वे छोटे हों या बड़े हों उन सब की रिपोर्ट मंगावें क्योंकि उन सब की समस्यायें एक सी हैं। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि इस वर्ष जब ६ से १० तारीख के बीच की बाढ़ आयी तब मैं ९ और १० तारीख को वहां गया था और वहां मैंने देखा कि गांव के गांव ऐसे डूबे हुये थे कि लोग छप्परों पर बैठे हुये थे, पक्की सड़कों पर हजारों की संख्या में जानवर खड़े हुये थे किन्तु यहां पर जो रिपोर्ट आपने मंगायी है उसको मैंने देखा है उसमें यह कहा गया है कि यह साधारण सी बाढ़ है जो फ़र्रुखाबाद में आयी है वह पानी ज्यादा एकट्ठा हो जाने की वजह से बाढ़ हो गयी है। वहां पर अधिकारी गये नहीं और उनको पता नहीं है कि इतने गांव वहां इस हालत में डूब गये थे। १८०–१९० गांव डूबे हुये हैं, ६–६ मील तक नावों से ही जाया जा सकता है। गांव डूब पड़े हैं, लोग छप्परों पर पड़े हैं और खरीफ़ की फ़सल समाप्त हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारी फ़सल उनकी चली जाय और जब लोग अपने मकानों के दरवाजों से निकल कर सूखे में न निकल सकें तो उससे ज्यादा बाढ़ क्या हो सकती है और नुकसान क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति उस इलाके की थी। लेकिन मैंने इस रिपोर्ट में देखा। इसमें कहीं इन बातों का जिक्र तक नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जांच करावें और उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा वह सहायता दें। वहां के लोगों को तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। रबी और खरीफ़ की दोनों फ़सलों की लगान माफ़ी की जानी चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ अगली फ़सल के लिए बीज समय से देने की व्यवस्था के लिए अभी से आदेश हों। दूसरी जरूरत यह पड़ेगी कि उनसे लगान और तकावी जो वसूल की जा रही है वह इस समय स्थगित हो और फ़िर उसे माफ़ होना चाहिये। तीसरी जरूरत यह है कि पढ़ने वाले लड़के जो इस इलाके में हैं वे ऐसी हालत में हैं जिनके पास कोई साधन यहां तक कि खाने पीने तक का साधन नहीं है और पहले भी उस क्षेत्र के विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ हुई है उनकी फ़ीस माफ़ की जाय। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, सदन के कई जिलों के साथियों ने जो बाढ़ से परेशान जगहों से उपस्थित हुये हैं उन्होंने अपने अपने यहां के विवरण यहां पर उपस्थित किये हैं और वे विवरण बहुत मात्रा में सही हैं, न तो राजस्व मंत्री जी और न मैं इस विवरणों के अन्दर जाऊंगा। बाढ़ प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए कोई नई चीज नहीं हैं। समय-समय पर हमारे प्रदेश में बाढ़ें आई हैं और प्रदेश की सरकार ने उन बाढ़ों का मुकाबला किया है और बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में जहां तक बन सका है, सहायता की है। बाढ़ें यदि कहीं भी आती हैं तो वह तकलीफ़ें लेकर ही आती हैं लेकिन कभी-कभी बाढ़ें लोगों को कुछ देकर भी जाती हैं इस माने में कि बाढ़ के बाद जब फ़सल होती हैं तो वह कभी-कभी बहुत अच्छी हो जाती है। जिनके पास खेती होती है जो समय पर बीज और सिंचाई की व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो वह उन खेतों से अच्छी फ़सल उस नुकसान के बावजूद भी उपलब्ध कर लेते हैं। कुछ बाढ़ के इलाकों में रहने वाले लोग बाढ़ के सिलसिले में कुछ आदी भी हो गये हैं। जहां से अधिकारी उनको निकालना चाहते हैं या ऊंचे स्थान पर बसाना चाहते हैं जहां पर वह बाढ़ के प्रकोप से बच सकें, उन अधिकारियों को अधिकांश में सफलता नहीं मिलती है। यह स्वतः सन् १९६० में जब बाढ़ का प्रकोप बहुत से जिलों में हुआ था उसका मुझे अनुभव है। अब भी जब म कुछ जिलों में गया, वसे तो मैं हवाई जहाज से गया लकिन जिन विभिन्न इलाकों को देखने की चेष्टा की और जिन इलाकों को हवाई जहाज से मैंने देखा उन जिलों के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां भारी नुक्सान वहां के गांवों के निवासियों को उठाना पड़ा है। उनकी काफ़ी एकड़ जमीन खतम हो गई है। उनकी फ़सल खतम हो गई है और हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों में मकान नष्ट हो गये हैं। देखा कि बहुत से स्थानों पर लोग मकानों से महरूम थे।

सरकार की जो हमेशा से नीति रही है उसक अनुसार वह सब की सहायता के लिए आदेश जारी कर चुकी है। पहले से हमारे यहां एक फ्लड योजना बनी हुई है उसके मातहत राजस्व मंत्री जी ने और उनके विभाग ने जिलों के लिए धनराशि निर्धारित कर कर दी है। उस आदेश के द्वारा कुछ कार्य के लिए, जिनसे गांवों के निवासियों की सहायता हो सके, उनसे कहा गया है। राजस्व मंत्री जी और उनके विभाग ने पूरी मात्रा में तकलीफ़जदा लोगों को राहत देने के लिए उचित कार्यवाही की है। ग्रेचुइट्स रिलीफ़ या अन्य सहायता के रूप में बांटने के लिये आदेश दिये हैं। मुख्तलिफ़ जिलों का ब्योरेवार आंकड़े तो वह बतायेंगे कि कितनी बटी हैं और कितनी तकावी का व्यवस्था की गई है और कितना नुकसान भी हुआ है। आंकड़ों से अन्दाजा लगेगा कि कहां पर कितना नुक्सान है। लेकिन जिन जिलों में मैं गया और केंद्रीय स्थान पर जिले के अधिकारियों को बुलाया उन सब आंकड़ों का अ ययन करने से सही पता होगा लेकिन अन्दाजा ३,४ करोड़ के बीच में फ़सलों का नुक्सान होगा यह भारी रकम है और यह काफ़ी भारी किसानों के कंधों पर बोझा है। तो सरकार उस तकलीफ़ में संभव सहायता पहुचा रही है। अभी जब मैं दौरे पर गया तो राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, और उपसचिव भी साथ थे। सब ने वहां पर जिलों में अपनी-अपनी मांग की और कुछ फ़ैसले हमने लिये भी और जिन्होंने अन्न की मांग की उसकी भी हमने व्यवस्था की। जहां पर भूसे की व्यवस्था करने के लिए इन्तजाम करना था उसके भी आदेश दिये गये और जहां तक सरकारी डयूज को इकट्ठा करने का विषय था उसके सिलसिले में भी उसी वक्त हमने आदेश दे दिये। वे नयी फ़सल के आने तक वसूल नहीं होंगे और विद्यार्थियों के संबंध में भी जो हमने सन् ६०-६१ में आदेश दिये थे उनको जारी करने के लिए कह दिया कि वहां लड़कों से जब तक कि नयी फ़सल न आ जाय, फ़ीस इत्यादि न ली जाय और यह भी प्रबन्ध किया जाय कि वन विभाग से प्रबन्ध करके राजस्व विभाग लकड़ी इत्यादि, बांस, फ़ूंस इत्यादि का प्रबन्ध करे और वन विभाग के नियमों के अन्तर्गत गांव के निवासियों को ये तमाम चीजें मुसीबत के समय में दी जाती हैं और वन विभाग राजस्व विभाग से बातचीत करके अपना हिसाब-किताब एंट्रीज कर लेता है, उस सिलसिले में भी हमने आदेश दे दिये हैं और इस सुभीते की मात्रा भी बढ़ा दी है वह ६५ रुपये से जो उस वक्त अन्दाजा लगाया गया था अब, जैसा राजस्व मंत्री भी बतायेंगे, सौ रुपये तक पहुंच गया।

तो हम समुचित प्रबन्ध कर रहे हैं। बहिया कोई नयी चीज नहीं है। वर्षों से बहिया आती रही हैं और वर्षों से राजस्व विभाग उनका मुकाबला करता रहा है और इस प्रदेश के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गरीब आदमियों की सेवा करने में तत्पर रहा है और आज भी है। तो सभी सदस्यों ने जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों, जिलों की चर्चा की और इधर हमारा ध्यान खींचा है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान उन तमाम चीजों की तरफ़ है। जिलाधीशों ने अपने दौरों के जरिये से, अधिकारियों के दौरों के जरिये से तमाम सूचनायें दे रखी हैं और हमें भी गोरखपुर और बनारस में इन जिलों के अधिकारियों ने तमाम सूचनायें दी हैं। उनके अनुसार हमने जो फ़ैसले लिये हैं उन पर कार्य करने के आदेश दे दिये हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस परेशानी और तकलीफ़ का मुकाबला कर सकेंगे और लोगों की परेशानी मिटाने में समर्थ हो सकेंगे। केवल इतना ही निवेदन करके फ़िर से मैं आपको आश्वासन सरकार की ओर से देना चाहता हूं कि जितना उससे बन सकेगा इन परेशान व्यक्तियों की सहायता करेगी। जहां तक बांध इत्यादि का विषय है, उसके विषय में उप-मुख्य मंत्री जी बतायेंगे। मैं भी बांध इत्यादि के सिलसिले में इंजीनियर इत्यादि से बात कर चुका हूं, परन्तु वे अधिकारपूर्ण ढंग से उस विषय में सदन को जानकारी करा सकेंगे। मैं समझता हूं राजस्व मंत्री और उपमुख्यमंत्री जो जानकारी देंगे और जो कुछ मैंने निवेदन किया उनको नजर के सामने रखते हुए माननीय सदस्य यह समझकर अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे कि सरकार सोई हुई नहीं है। इन समस्याओं के समाधान में पूरी मात्रा में जुटी हुई है और हर क्षेत्र में जहां तक उससे बन सकेगा वह लोगों की तकलीफ़ों को रफ़ा करने की चेष्टा करेगी।

(श्री मैनजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब काफ़ी हो चुका।

श्री मैनेजर सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि उनकी जो भावनायें हैं और सदन की भावनाओं के साथ जो अधिकारी सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे उनके विरुद्ध क्या आप आश्वासन देंगे कि कठोर से कठोर कार्यवाही की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अधिकारी यदि हमारी भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा और जिसके बारे में शिकायत आयेगी उसके विरुद्ध हम कठोर बरताब करेंगे और कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे, क्योंकि मुसीबत के वक्त तो केवल अधिकारियों का ही कर्त्तव्य नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। अब जब यह प्रश्न उठा है तो मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि केवल सरकार के प्रयास से यह समस्यायें हल नहीं होती है। गैर सरकारी संस्थायें और दूसरे लोगों का भी यह कर्त्तव्य होता है कि इस तरह की मुसीबत को दूर करने में पूरी मात्रा में सहयोग दें। जो हमारी मदद धनराशियों से कर सकते हैं, कपड़ों से कर सकते हैं और कम्बलों से कर सकते हैं वह इस कार्य में हमें पूरी मात्रा में सहयोग दें। हम सभी ऐसे व्यक्तियों से मांग करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इस कार्य में हमें पूरी मात्रा में सहयोग प्रदान करें। हमारे अधिकारियों को और हमारे अधिकारीगण जो कमेटी बनावें उन्हें पूरी मात्रा में सहयोग दें।

श्री मैनेजर सिंह--

मुझे खेद है कि आप यह कह रहे हैं।

श्री गिरजाशंकर (जिला बाराबंकी)--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। पिछले साल काफ़ी सहायता प्राप्त हुई थी लेकिन उसका वितरण ठीक नहीं हुआ और जो सहायता प्राप्त हुई थी उसका दुरुपयोग हुआ था। तो इस बार वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६९

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सूचना दे दूं । सचिव जी सूचना देंगे ।

सहायक सचिव–

मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६९ जो विधान सभा द्वारा २० अगस्त, १९६९ को पारित हुआ था आज विधान परिषद् से बिना सिफ़ारिश के प्राप्त हो गया है।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

इलाहाबाद वाले नहीं बोले, बांदा वाले नहीं बोले और सीतापुर वाले नहीं बोले । तो यह लोग बोलेंगे ।

*श्री कृष्ण कांत (जिला सीतापुर)—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं जो आपने मुझे अपने जिले की स्थिति को रखने के लिए अवसर दिया । सीतापुर जिले की तहसील बिस्वां और सिधौली के गांव बाढ़ग्रस्त रहे हैं। पचीस, तीस गांव तो मैंने स्वयं जाकर देखे हैं और जो मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग ४०० गांव बाढ़ग्रस्त हैं और ये गांव विकास खंड मेहता, हेलसा, रामपुर और मथुरा में आते हैं और यह महमूदाबाद में पड़ते हैं । इन विकास खंडों के कुछ गांवों को छोड़कर बाकी सभी बाढ़ग्रस्त हैं लेकिन अभी तक वहां कोई भी सहायता नहीं पहुंच पाई है । उस क्षेत्र में सदैव यह स्थिति रही है। वहां बहावर और शारदा के अतिरिक्त दूसरे जो छोटे छोटे नाले हैं इनसे प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आया करती है और शारदा से प्रति प्रतिवर्ष पांच, सात गांव ऐसे हैं जो कट जाया करते हैं । गांव सेतुही नदी रावर से पूरा कट गया लेकिन अभी तक लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई । लोग पड़ोस के गांव में पड़े हैं। माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान मैं उस क्षेत्र की ओर विशेष रूप से खींचना चाहता हूं जिनकी जमीन बराबर कट जाती है और जब जमीन बाढ़ के बाद निकलती है तो उसकी पैमाइश नहीं की जाती जिसका नतीजा यह होता है कि किसान आपस में तमाम मुकदमे लड़ते हैं और यहां तक कि दो, दो और तीन, तीन कत्ल हो जाते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर बाढ़ से गांव कट जावें और उससे जो जमीन निकले उसकी पैमाइश प्रति वर्ष करा दिया करें तो अधिक अच्छा होगा । साथ ही साथ जो जमीन निकले उसकी पैमाइश पुराने नक्शे और खसरे से करायी जाय क्योंकि इस संबंध में अधिकारियों की राय मैंने चाही तो उन्होंने बतलाया कि जमीन निकलती है वह जिस काश्तकार के कब्जे में होगी उसी को दी जायेगी । नतीजा यह होता है कि बड़े बड़े काश्तकार जो जमीन नदी से कटी हुई निकलती है उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और बेचारा गरीब किसान जो राजस्व अदा करता रहा है, उसको कब्जा नहीं मिल पाता । ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष जितनी भी जमीन निकलती है उसकी पैमाइश सरकार स्वयं अपने खर्च पर करा दिया करें क्योंकि सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि सरकार उस जमीन की पैमाइश और रक्षा की जिम्मेदारी ले ।

साथ ही यह भी निवेदन है कि जो गांव प्रति वर्ष नदी से कट जाते हैं उन कटे हुए गांवों की आबादी के लिये भी एक महान समस्या होती है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार कोई योजना बनावे और उन लोगों को नदी से दूर आबाद कर दे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्ण कान्त]

के किसानों को लगान से मुक्त कर दे। साथ ही मेरा सुझाव यह भी है कि अक्सर लोग अपने खेत से दूर जाकर आबाद नहीं होना चाहते इसलिये उस कटे हुए गांव के निकट ही कोई ऐसी व्यवस्था बरसात के पहले ही से कर दी जाया करे कि तमाम काश्तकार वहीं जाकर आबाद हो सकें। जब बाढ़ समाप्त हो जाय तो वहां के लोगों के लिये तकावी की व्यवस्था की जाय, जमीन का लगान स्थगित कर दिया जाय, इतना ही नहीं, मैं यह भी चाहता हूं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के किसानों के लिए तकाबी देने व लगान व बकाया की मुक्ति के साथ-साथ खाद और बीज की भी व्यवस्था की जाय।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जो भी रिपोर्ट जिलाधीश के पास आती है वह लेखपालों के जरिये ही आती है। इन लेखपालों की चर्चा मैं कर दूं कि जो गांव वाले उनको पैसे देते हैं वहां की रिपोर्ट तो वे सरकार को भेज देते हैं लेकिन जहां से पैसे नहीं मिलते वहां की सूचना सरकार को नहीं पहुंचती। इस तरह से आज लेखपालों में काफ़ी भ्रष्टाचार है। राजस्व मंत्री जी से एक निवेदन मैं और कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां की तम्बौर-महमूदाबाद सड़क को ऊंचा कर दिया जाय ताकि वहां के लोग बरसात के दिनों में अपने गांव से दूसरे बाजार तक जायं और वहां सामान वगैरह खरीद सकें।

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के संबंध में मैंने एक दो महीने पहले एक पत्र राजस्व मंत्री जी को लिखा और वहां की सारी परिस्थिति से उनको अवगत कराया। एक पत्र मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा और कुछ सुझाव भी दिये थे। मुझे खेद है कि आज महीना भर हो रहा है लेकिन राजस्व मंत्री जी का कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। बाराबंकी जिले में ५ ब्लाक्स और दो आधी आधी तहसीलें बाढ़ग्रस्त हैं। पिछली बार तो पांच बार बाढ़ आयी थी और इस बार तीन बार बाढ़ आ चुकी है। जब मुझे विधान सभा से अवकाश मिला तब मैंने स्वयं जाकर कई गांवों को देखा है और मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक लोकप्रिय सरकार का सदस्य होने के नाते दुख और खेद इस बात से है, मान्यवर, कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कर्मचारियों का भ्रष्टाचार हो रहा है। उच्च अधिकारी दौरा नहीं कर रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी को मैंने लिख कर दिया तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। श्रीमन, १०० रुपये एक फ्लड सेंटर के ऊपर आप सहायता देते हैं। अगर आप हिसाब लगायें तो एक रुपया फ़ी आदमी भी नहीं पड़ता। लोग भूखों मर रहे हैं। सरकार के जो काम करने वाले लोग हैं वे सो रहे हैं। आज यह देखकर ऐसा एहसास हो रहा है कि जिस तरह ब्रिटिश पीरियड और राजा महाराजाओं के जमाने में हाल था वही पूरा नक्शा आज भी दिखाई देता है। सरकार के पास धन नहीं है। सरकार के पास सहायता नहीं है। कोई सहायता नहीं हो सकती तो इतनी बात कर सकते हैं कि जो दुखी लोग हैं, जो लोग सहायता चाहते हैं, जो भूखे मर रहे हैं अधिकारियों के जरिये से उन लोगों के दुखों को दिखवा सकते थे लेकिन मान्यवर, यह भी नहीं हो पाया। आदमियों के साथ साथ जानवर भी मर रहे हैं।

हमारे बाराबंकी जिले के अन्दर पांच नदियां हैं शिमली चौका, चौरारी, घाघरा, सई और बोहनिया। घाघरा पर जो एलगिन ब्रिज है वह बहुत बड़ा ब्रिज है और वहां बहाव बहुत तेज रहता है जिससे बाराबंकी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। श्रीमन्, मेरे कुछ सुझाव हैं। जो सड़कें हैं वहां एक एक मील पर छोटे छोटे पुल बनाये जायं। इस बाढ़ के बाद जानवरों को जो बीमारियां फ़ैलती हैं उनके लिए चल चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय। मैनपावर स्कीम बनायी जाय। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उन्हें कर्जा दिया जाय। जहां बांध बनाने की जरूरत है वहां बांध बनाये जायं और अगर बांध नहीं बना सकते तो कोई और व्यवस्था सोची जाय। जिस जमीन पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उनसे वह भूमि लेकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमिहीनों को दी जाय । छोटे छोटे उद्योग धंधों की व्यवस्था करें । जहां पर सात आठ साल से लगातार बाढ़ आती हैं वहां उद्योग धंधों की व्यवस्था करें जिससे वहां के लोगों को जीवकोपार्जन के साधन दे सकें । श्रीमन्, एक खास बात और निवेदन करनी है कि गणेशपुर कस्बे को स्वयं राज्यपाल ने देखा और केंद्र के सिंचाई मंत्री ने देखा था लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था करने की भी बात है । सबसे बड़ी व्यवस्था जो करनी है वह बीज की है । जमीनों के बारे में यह है कि जो जमीनें बाढ़ एरिया की छूटती हैं उन पर बड़ बड़े लोग और बड़े बड़े काश्तकार कब्जा कर लेते हैं । बाराबंकी जिले में ऐसा हो रहा है । इसी से वहां कत्ल होते हैं, डकैती होती है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान शाहजहांपुर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । २५ तारीख को मेरा एक शार्ट नोटिस क्वैश्चन था । उसका जो उत्तर मंत्री जी ने दिया उससे बड़ी निराशा हुई । उन्होंने कह दिया कि शाहजहांपुर में कोई ऐसी स्थिति नहीं है ।.....

श्री अध्यक्ष--

२८२ गांव शायद प्रभावित हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

जी हां । आज मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट में उसका जिक्र किया है । इसके लिए मैं उनका आभारी हूं । हमारे जिले में जलालाबाद और तिलहर तहसीलों में गंगा, रामगंगा सोत अरल और कई नदियां हैं । इसके अलावा गर्रा और नाले भी बहुत हैं । लगान स्थगित करने की जो बात कही गई है, वह हमारे यहां भी किया जाय । श्रीमन्, हमारे यहां तहसील तिलहर में खेड़ा बझेड़ा परगना के नगला आदि पांच गांवों की बड़ी भारी समस्या है । ये ऐसे गांव हैं जो रामगंगा और एक नाले के बीच में घिर जाते हैं और टापू की तरह हो जाते हैं । अगर नमक भी खत्म हो जाय तो तैर कर ही लाना पड़ता है । जानवरों के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है । कई बार इस बात की चर्चा की गई कि हर साल रामगंगा में बाढ़ आ जाती है तो परमानेन्ट फ्लड पोस्ट बना दी जाय । अगर प्रसिद्धपुर में फ्लड पोस्ट कायम कर दी जाय, तो जो गांव कट जाते हैं वहां के लोग अपना सामान वगैरह वहां लाकर रख सकेंगे । यह प्रबन्ध बदायूं जिले में तहसील दातागंज के गांव मजरा कुड़ा में आप ने कर रखा है । जिला शाजहांपुर वाले कहते हैं कि आप क्यों नहीं करवा सकते । तो वहां फ्लड पोस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही नावों की परमानेन्ट व्यवस्था कर दी जाय । दूसरी बात यह है कि जो फसल वगैरह का नुक्सान है उसके बारे में लेखपाल तहसील में ही नक्शा बना देता है । ऐसा नहीं होना चाहिए । कम से कम नायब तहसीलदार या तहसीलदार मौके पर जा कर देखें, प्रधान को साथ लेकर हर खेत पर जा कर देखें । तहसीलदार ने नायब को और नायब ने कानूनगो को दे दिया और तहसील में गैस की लालटेन जलाकर वहीं बना लेते हैं । होना यह चाहिए कि प्रधान, गांव मैनेजमेन्ट कमेटी, लेखपाल और नायब तहसीलदार जाकर खेत पर देखें और तब यहां पर भेजें । उसी को मंत्री जी मानें । तो लगान की वसूली को स्थगित किया जाय और फीस माफी की जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं उस जिले का नुमायन्दा हूं जो सब से पिछड़ा हुआ और गरीब जिला है और जिसके साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो घाघरा, सरजू और कुआनो के बीच में पड़ता है और सदा बाढ़ से पीड़ित रहता है । सारी फसल नष्ट होती है और बाढ़ से गांव कट जाते हैं और जब सूखा पड़जाता है तो सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं ।

[श्री राम लखन सिंह]

वहां के जो किसान, मजदूर हैं वह दाने-दाने क लिए मारे-मारे फिरते हैं । पिछली बार कांग्रेस सरकार थी। मैंने निवेदन किया था, संविद सरकार के जमाने में भी निवेदन किया था, हमारे जिले के साथ यह व्यवहार किया गया कि जो किसान वहां बसे हुए थे और जिनके गांव कट गए थे उन्हें झाऊ तक नहीं काटने दिया जाता। जब माननीय जयराम वर्मा मंत्री थे तब भी मैंने कहा था, फैजाबाद जिले के बारे में, उनसे निवेदन किया था । मैं माननीय मंत्री जी से आज पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों के घरद्वार बरबाद हो गये हैं उन्हें बसाने के लिये जमीन दी जाय तथा और आवश्यक सुविधायें भी दी जायें।

मेरा जिला हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसके अलावा मेरे यहां कुआनो नदी है और उसी के पास एक तालाब है। जब आज कल वे दोनों मिल जाते हैं तो उसके कारण पचासों गांव प्रभावित हो जाते हैं। तमाम फसल नष्ट हो जाती है। मैंने संविद सरकार से और कांग्रेस सरकार से, दोनों से निवेदन किया—वहां का यह करीब एक मील का एरिया है, अगर वहां पर बांध बनवा दिया जाय तो उससे हजारों एकड़ जमीन को बचाया जा सकता है और तमाम फसल नष्ट होने से बचाई जा सकती है। आज हमारे यहां के लोग भिखारी की तरह हैं। वहां पर सिंचाई तक के कोई साधन नहीं हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लड़कों की फीस माफ करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा वहां पर हर प्रकार की वसूली बन्द कर दी जानी चाहिये। हमारे यहां के जिलाधीश मदद कर रहे हैं, मगर उनके पास जितने साधन हैं उसके अनुसार ही वे मदद कर सकते हैं। सरकार को वहां अधिक से अधिक सहायता प्रदान करना चाहिये।

*श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक वाक्य अंग्रेजी का पढ़ा था कि "मेम्बर शुड कैच दि आइज आफ दि स्पीकर एन्ड नाट दि इयर्स"। मैंने यही प्रयत्न आज किया, किन्तु अब तक मैं समय न पा सका और जिन लोगों न आप के कानों को प्रभावित करने की कोशिश की उनको समय मिलता रहा।

श्रीमन्, गोरखपुर का जिला आधे से ज्यादा बाढ़ ग्रस्त है। गोरखपुर जिले के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं केवल २-३ बातों को और कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां ३-४ वर्ष तक लगातार बाढ़ नहीं आयी थी जिसके कारण गांवों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इस वर्ष भयंकर बाढ़ आयी है। लोगों को बाढ़ से निकालने के लिये कोई समुचित प्रबन्ध नावों का नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री के दौरे के पश्चात् भी मेरे पास तार और चिट्ठियां आयी हैं कि जिन गांवों में पानी घुस आया है वहां से लोगों को निकालने के लिये नावों का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं और कोई व्यवस्था नहीं चाहता हूं। दियासलाई, तेल और लड़कों की पढ़ाई की फीस वगैरह की आप व्यवस्था करेंगे ही। लेकिन जो सब से आवश्यक बात है वह यह है कि जो गांव सड़कों से कट गये हैं उनका यातायात बन्द है, उनके लिये नावों की व्यवस्था नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नावों के अभाव में वहां अत्यन्त असुविधा हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करने के पश्चात् नावों की अविलम्ब व्यवस्था की जाय और नावों की कमी से गांव न कटने पायें। हमारे गोरखपुर जिले में, हमारे क्षेत्र में ही, गोरखपुर शहर से लगा हुआ १९ मील लम्बा एक मनोली बांध है जिसे उप मुख्य मन्त्री जी जानते हैं। वह बांध बहुत पक्का है और सड़क का काम करता है। लेकिन तीन महीनों से वह तीन स्थानों से कट रहा है। मैंने चिट्ठी लिख कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का ध्यान आकर्षित किया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल एक रुटीन कार्यवाही हुई है। वे लोग इस इन्तजार में हैं कि बांध और कट जाय ताकि फिर वे कुछ कार्यवाही करें। मेरा उप मुख्य मन्त्री और राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि उस बांध के कटने से २०० वर्गमील का क्षेत्र जलमग्न होगा। बल्कि यह कहना चाहिये कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारा गोरखपुर शहर प्रभावित होगा। मेरा निवेदन है कि वायरलेस से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिये जायं कि ६ मील, ६ फर्लांग पर नहुआ में, सातवें मील पर उसी गांव में और आखिर में बरसात में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक बांध कट रहा है। वह २० मील लम्बा और १० मील चौड़ा है। अगर यह बांध कट गया तो सारा क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा।

इसी तरह गोरखपुर शहर में करोड़ों पये लगाकर राप्ती का पुल बना है। वह भी पूर्वी हिस्से से कट रहा है। मुझे मालूम नहीं कि माननीय राजस्व मंत्री और माननीय उपमुख्य मंत्री के गोरखपुर जाने पर वहां के जिलाधिकारियों ने उनसे इसकी चर्चा की या नहीं की। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस स्थान पर नदी कटाव कर रही है अगर वह कट गया तो सारा पुल बेकार हो जायेगा। इन तमाम बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन बातों में अगर एक इंच भी गलत हो तो मैं उसका पूरा खमयाजा देने को तैयार हूं। जिलाधिकारियों की तरफ से यह ग्रेट ओमिशन है। उन्होंने इस मनोली बांध की चर्चा नहीं की। अगर की होती तो वह माननीय मन्त्री जी के पास जरूर होती और हमें देखने को मिलती। इन बातों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बांध के कटाव की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हम हिम्मत के साथ कह सकें कि यह बांध नहीं कटेगा। यह बात हम सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहते आ रहे हैं लेकिन हमने जब जब उनसे कहा तब तब उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि यह बांध नहीं कटेगा। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः इस बांध की सुरक्षा के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से अविलम्ब उस ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आप को ज्ञात है कि बांदा जिला कई वर्षों से सूखे से प्रभावित रहा है और इस वर्ष भी सूखा रहा। परन्तु उस क्षेत्र को समुचित सहयोग नहीं दिया जा सका। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ईश्वर की कुदृष्टि से अब वह बाढ़ से भी प्रभावित रहा है। केन नदी से बांदा-नरैनी के क्षेत्र पूर्णतया प्रभावित रहे हैं। और जमुना नदी से कर्वी और मऊ क्षेत्र प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष---

कितने गांव प्रभावित हुए हैं?

श्री हरवंश प्रसाद---

करीब छः सौ गांव हैं, श्रीमन्। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नरैनी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो करीब १५-२० नदी नालों से घिरा हुआ है। केन नदी, बागे नदी, विशाहिल नदी, गडरा नाला, रण नदी नाला तथा और भी छोटे मोटे नाले हैं जो वर्षा से खूब उफन जाते हैं और छोटे-छोटे पुरवा और घरों को बहाकर ले जाते हैं। गडरा नाला अगर उफन जाता है तो दस पांच दिन तक आस पास के गांवों का यातायात बन्द हो जाता है। इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष भी गडरा नाले के बढ़ने से बांदा-इलाहाबाद सड़क तीन चार जगहों से काटनी पड़ी है और आस पास के तमाम गांव प्रभावित हुए हैं। जुलाई में भी वर्षा के कारण खरीफ की फसल नहीं उपजाई जा सकती थी। इस दरमियान भी फसल नहीं बोई गई। जो बोई गई थी वह भी इस बाढ़ से, नदी नालों से, अधिक वर्षा से सड़ चुकी है। अतः आप से निवेदन है कि बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र गांव की पूर्ण सहायता दी जाय, गरीबों को खाना, मवेशियों को घास आदि की व्यवस्था की जाय। मकान बनाने के लिए लकड़ी आदि की मदद की जाय। बागे नदी के उस पार के गांव की दशा अच्छी नहीं है।

[श्री हरगंश प्रसाद]

श्रीमन्, मुख्य मुख्य मांगें हैं---सभी प्रकार की वसूली माफ की जाय, सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं एवं अधिक से अधिक जो सम्भव हो सहायता की जाय। सिंचाई बाकी माफ की जाय, स्कूल के बच्चों की फीस माफ की जाय।

इस तरह वहां खरीफ की फसल का १६ आना नुकसान हुआ है, अव्वल तो आरम्भ की वर्षा से ही वहां की खरीफ की बुवाई नहीं हुई और जो हुई भी वह पूरी समाप्त हो गई है। धान पानी से होता है लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसा गहरा क्षेत्र भी है जो अधिक वर्षा और तेज पानी के कारण पूर्णरूपेण बह चुका है जिससे धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। जो गरीब लोगों के मकानहैं और जहां ड़े लोगों के मवेशी बंधे जाते हैं जो फूस और कच्चे खप रैल के मकान होते हैं वे सब धराशायी हो चुके ह। हमारे बबेरू का जो क्षेत्र है वह नहरों से गुथा है और वहां नहरों के टेल पर जो वर्षा में अधिक पानी पहुंच जाता है उसको निकासी का कोई साधन नहीं है, इन माइनर्स के टेल प पानी की अधिकता से बाढ़ आ जाती है और रोहरा और अमलोहरा गांव में सकड़ों एकड़ जमीन प्रभावित होती है और आवागमन के साधन समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहां मवेशियों के लिये चारे का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। वैसे तो समस्त बांदा जिला संकटग्रस्त है लेकिन मऊ और करवी क्षेत्र तो बहुत ही बुरी दशा में हैं, वहां विशष ध्यान दिया जाय और अधिक से अधिक सहायता जो सम्भव हो पहुंचाई जाय। आप अधिक सहायता नहीं कर सकते लेकिन जो हानि होती है उसका सही मूल्यांकन अवश्य कराया जाय। आप अपने अधिकारियों द्वारा या किसी तरह से भी जांच करा लें ताकि जितना नुकसान हुआ है उसका एक अन्दाजा सरकार के सामने रहे। अगर हायता उचित मात्रा में न हो सके तो कोई बात नहीं है लेकिन क्षेत्र के लोगों के सामने यह बात आ जानी चाहिये कि हमारे यहां जो नुकसान हुआ है वह सरकार की निगाह में है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अव र दिया।

*श्री राम विलास (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे अभी अपने क्षेत्र से एक पत्र मिला है उससे जाहिर है कि आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी और घोसी घाघरा की चपेट में आ गई हैं और गांवों के कटाव का क्रम चल रहा है। गाजियापुर और बरोहा गांव समूचे घाघरा के कटाव में हैं, ४८ मकान बाढ़ की जद में हैं। बरोहा गांव में २५ मकान घाघरा की चपेट में जल मग्न हो चुके हैं। सारे सगरी और घोसी तहसीलों के नदी के किनारे के गांव पानी से प्रभावित हुये हैं और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मुश्किल हो गया है। वहां पर नावों का इंतजाम किया गया है। वहां चारे की बहुत कमी है, कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है और हर साल की तरह वहां नमक, तेल मिट्टी का और दियासलाई, चने आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस पत्र के द्वारा मुझे वहां की कल तक की रिपोर्ट मिली है। मैं चाहूंगा कि जिन गांवों में बाढ़ आ चुकी है वहां जल्द से जल्द लोगों को पानी से निकालने की व वस्था की जाय, व ां लोग तबाह हैं, उनको जो भी सहायता तत्काल हो सके वह की जाय। इ के अलावा दोहरीघाट के पास जो बांध है वह भी कटने के करीब है, मैं चाहता हूं कि उस कटाव का कोई स्थायी इन्तजाम किया जाय, उधर फौरन ध्यान दिया जाय और सरकार के विशेषज्ञ वहां जाकर देखें, वहां २ फर्लांग तक हर साल बल्ली गाड़ी जाती हैं और कटाव होता है और ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि गंगा, घाघरा और टोंस नदियों के इस कटाव को भी रोका जा सके और जहां पर बाढ़ आयी है वहां के किसानों को हर प्रकार की सहायता की जाय।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद के बारे में जो विवरण माननीय मंत्री जी ने दिया उसके बारे में २ ३ बातें कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि उसमें कहा गया है कि इलाहाबाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में मध्यम श्रेणी की बाढ़ रही है जब कि यह जिला गंगा, यमुना, टोंस, बेलन और छोटी-छोटी नदियों से घिरा हुआ है। इलाहाबाद शहर के मुहल्लों तक में पानी भर गया लेकिन फिर भी कहा गया है कि वहां पर मीडियम किस्म की बाढ़ आयी है। करछना तहसील जो कि गंगा और यमुना, टोंस से घिरी हुयी है, जहां पर बहुत से गांव इनकी चपेट में आ गये हैं। इसके अतिरिक्त मेजा तहसील के बीसों गांव की फसल चौपट हो गयी है। दूसरी बात जो है वह यह है कि जो वहां पर नाले हैं, उनका कोई स्थायी प्रबन्ध होना चाहिए। अगर इन नालों को न रोका गया तो खेती का नुकसान नहीं रोका जा सकता है। देहली भगेसर का नाला ऐसा है जिसको अगर बांध दिया जाय तो कई हजार एकड़ जमीन उससे सुरक्षित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी अगर और नालों को जैसे पनासा, जेरा वगैरह को अगर बांध दिया जाय तो भी उससे बाढ़ का प्रकोप बचाया जा सकता है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने फरमाया कि नुकसान के कारण वहां पर आदेश भेज दिए गये हैं कि वसूली न हो। लेकिन इस प्रकार के आदेश वहां पर बहुत देर में पहुंचते हैं। मैं वहां से २५ तारीख को आया हूं लेकिन उस तारीख तक वहां पर कोई भी आदेश नहीं पहुंचे थे।

उनकी रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद जिले में चारे की कमी नहीं है। लेकिन वहां पर जाने से मालूम हुआ है कि वहां पर रुपये का ३ सेर भूसा मिल रहा है। वहां पर चारे की बहुत कमी है। पेड़ में पत्तियां नहीं रह गई हैं। अगर वहां पर वसूली न करने के आदेश तुरन्त नहीं जायंगे तो वहां के किसानों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी।

अन्त में मैं माननीय राजस्व मंत्री का आभारी हूं कि वे किसानों और छात्रों को सुविधा देने वाले हैं लेकिन उनके आदेश राजस्व परिषद् से जल्द से जल्द वहां पर जिले के अधिकारियों के पास भेजे जायं जिससे वहां के किसानों को सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री मेहरबा। सिंह (जिला गढ़वाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो हमें माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा अतिवृष्टि से हानि की सूचना मिली है, मने उसको देखा है। देखने से पता चला कि इसमें गढ़वाल जिला नहीं बताया गया है लेकिन जो सूचना मुझे गांव वालों से पत्र द्वारा मिली है, उनसे स्पष्ट होता है कि वहां पर अतिवृष्टि से जमीन की काफी क्षति हुयी है। रतवाढाव गांव बह गया है। वहां के गांव वाले बड़े परेशान हैं, उनके मकान बह गये हैं और जानवर भी बह गये हैं। श्री ख्या। सिंह, मौजा कांडा पट्टी पैनव में रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन में १०-१२ हजार रुपया खर्च करके एक बगीचा बनाया था। उसकी चारों ओर दीवार आदि भी बनवायी थी लेकिन वह सारी जमीन बह गयी और उनको ५० हजार रुपये का नुकसान हुआ है। जिला परिषद् के अध्यक्ष श्री चन्द सिंह रावत जी द्वारा मालूम हुआ है कि गढ़वाल में कुछ जिला परिषद् के स्कूल और सड़कें टूट गयी हैं और सड़कें इतनी ज्यादा टूट गयी हैं कि ३-४ महीने से पहले वहां पर यातायात चालू नहीं हो सकता है। श्रीमन्, पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर इसी तरह से काफी नुकसान हुआ है। भाबर के इलाके में, खोह नदी पर सनेह के हल्के में बहुत जमीन बह गयी। इसी प्रकार कोटद्वार में गया सुखरो के हल्के में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि पानी नदी से पंप किया जाता है। ८, १० दिन तक बहुत से इलाके के लोग नदी से पानी पीते रहे। खो। नदी के क्षेत्र में जो लोग बसते हैं उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिलाधीश से पूरी सूचना मांगी जाय।

श्री महेश्वर दत्त सिंह (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री का ध्यान गोंडा जिले के बलरामपुर क्षेत्र की ओर मैं दिलाना चाहता हूं। ऐसे क्षेत्र जहां बाढ़ें अक्सर आया करती हैं वहां के लो। तो उनके अभ्यस्त रहते हैं। वे कुछ इस तरह से रहते हैं कि बाढ़ आये तो अपना प्रबन्ध कर लें लेकिन बलरामपुर में जो बाढ़ इस समय आई हैं ऐसी बाढ़ सन् ३६ में एक मर्तबा आई थी और उसके बाद अब आई है जिसमें पहले से १।। फुट ऊपर पानी नदी में बढ़ गया था। जिस

[श्री महेश्वर दत्त सिंह]

तरह से लखनऊ में बाढ़ आई थी और उसके पहले कभी लखनऊ में बाढ़ नहीं आई थी और उस समय उस बाढ़ से पूरा लखनऊ प्रभावित हो गया था वही रूप बाढ़ ने बलरामपुर में अख्तियार किया है। ४०० गांवों में एकदम पानी भर गया है। माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री वहां गये थे और उन्होंने देखा कि कितनी दयनीय दशा वहां के लोगों की इस समय है। वहां इंस्पेक्शन हाउस, फ़ैक्टरी, पावर हाउस सब पानी के अन्दर थे। इतना बड़ा नुकसान बलरामपुर क्षेत्र में हुआ है कि उसका वर्णन मैं आपके सामने नहीं कर सकता। समाचार यह दिया गया कि ८४ जानवर मरे हैं लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि कई हजार जानवर हमारे क्षेत्र में मरे हैं। चोका खुर्द, जोगिया, सोनार, कटरा शंकर नगर, तथा पटवाकोट इन ५ गांवों में ही ४००, ५०० जानवर पानी में बह गये हैं। मेरे क्षेत्र में जिन मकानों की कच्ची दीवारें थीं उनमें से एक भी नहीं बचे, सब गिर चुके हैं।

मैं अपने क्षेत्र की तरफ से श्रीमन् के द्वारा मंत्री महोदय के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। वैसे तो उन्होंने बहुत-सी बातें स्वयं मान ली हैं लेकिन कुछ बातों की तरफ़ उनका ध्यान नहीं गया है। वसूली के लिये उन्होंने कहा है कि उसे वह बन्द कर रहे हैं। उसके लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा। फ़ीस के लिये उन्होंने आश्वासन दे ही दिया है। लकड़ी के लिये भी उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है कि १०० रुपये की लकड़ी हर गरीब आदमी को दे दी जायगी। शहर और देहात दोनों में भूमिहीनों के लिये लकड़ी का प्रबन्ध कराया जाय। इसके अलावा रब क बीज का प्रबन्ध अगर आज से नहीं कराया जायगा तो बुवाई के समय में नहीं हो पायेग। अगर चन का बीज जनवरी, फ़रवरी तक पहुंचा तो किसान उसे बो नहीं सकेंग और दोनों तरह से बरबाद हो जायंग। मैं रबी के बीज की तरफ़ माननीय मंत्री जी का खासतौर से ध्यान दिलाऊंगा कि चन क बीज की अक्तूबर में जरूरत पड़ती है और गेहूं के बीज की जरूरत पड़ती है अक्तूबर के आखिरी हफ्त में। हर बीज का प्रबन्ध अगर अभी से न किया गया और बाद में दिया गया अर्थात दिसम्बर और जनवरी में दिया गया तो सब बेकार हो जायगा जैसे चना का इन्तजाम दिसम्बर में किया गया तो बकार हो जायगा और गेहूं का इन्तजाम जनवरी, फरवरी में किया गया तो वह बकार हो जायगा।

इसके अलावा तकावी उन लोगों को दी जायगी जिनक पास जमीन है, लेकिन भूमिहीनों को किस तरह सहायता दी जायगी? इस तरफ़ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं दावे से कहता हूं कि उन्हीं क मकान सबसे ज्यादा गिरे हैं जो भूमिहीन और मजदूर हैं क्योंकि कच्चे मकान उन्हीं के होते हैं। किस तरह से उनकी व्यवस्था की जायगी, आर्थिक अथवा लकड़ी की सहायता किस तरह से उनको दी जायगी? हर क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकान खुलवा दी जाय। एक विशेष बात यह है कि बलरामपुर तुलसीपुर क्षेत्र में एक सड़क है और वह सड़क का माध्यम ऐसा है जिसके जरिये हर क्षेत्र से वहां आवागमन जारी रहता है लेकिन यह एक सड़क तीन जगह कट गयी है। सरकार जो साधन तथा सहायता सारे क्षेत्र में पहुंचाना चाहती है, सड़क के कट जाने के कारण वहां पहुंच नहीं सकती, बच्चों का स्कूल का आना-जाना बन्द है। इसलिये शीघ्र सड़क को बनाया जाय, और बाढ़ के बाद दवाओं का प्रबन्ध किया जाय। उसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे आवागमन, जो बन्द पड़ा है वह खुल जाय। एक सड़क वहां पहले बैलहा ग्राम से गौरा चांदपुर तक बनी हुई थी, रियासत बलरामपुर क जमान में बनी थी, वह अब खत्म हो गयी। न उसे जिला परिषद ने लिया, न पी० डब्लू० डी० ने लिया। इस दफ़ा जब वित्त मंत्री जी हमारे साथ गये थे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह सड़क समाप्त हो गयी। उसकी अत्यन्त आवश्यकता है। क्षेत्र के लोगों के सहायतार्थ इसे बनवाना प्रारम्भ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री महेश्वरदत्त सिंह---

हमारे यहां चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है। उसका प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुन्देलखंण्ड के अन्तर्गत ही एक बांदा जनपद भी है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैं कह नहीं सकता कि आपकी कृपा उस क्षेत्र के ऊपर क्यों नहीं होती। झांसी जिले के विधायक गोस्वामी जी को तो आप जानते ही हैं जो कि आपके जिले के हैं लेकिन एक दूसरा गोस्वामी भी आपके सदन में आ गया है। कभी उसके ऊपर भी कृपा कर दिया करिये। । बांदा एक ऐसा अभागा जनपद है जिसके ऊपर मैं कह नहीं सकता कि शासकीय कृपा क्यों नहीं होती। साथ ही साथ दैवी प्रकोप भी वहां आये दिन होते रहते हैं। पिछले पांच वर्षों से वहां लगातार सूखा पड़ रहा है। न मालूम किस-किस से अनुरोध मैंने उस समय किया। मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी से भी किया लेकिन वे समय नहीं निकाल पाये। कृपा थी राजस्व मंत्री जी की क्योंकि उनका अपना ही क्षेत्र है, इसलिये उन्होंने एक दिन के लिये जरा सी कृपा की। उससे कुछ सहारा मिला। इन महापुरुषों की भी चरण रज वहां पड़ जाती तो बहुत कृपा हो जाती। वहां दूसरा भयंकर दैवी प्रकोप यह हुआ कि अचानक बाढ़ आ गयी। वहां जमुना, कैन, बागै, गन्टा, पयस्वनी आदि नदियां हैं। पयस्वनी, बागे और कैन ऐसी नदियां हैं जिनमें बड़ी भयंकर बाढ़ आती है। इसी प्रकार पयस्वनी में भी ११ तारीख को इतनी बाढ़ आयी कि बिजली के बड़-बड़ खम्भ रस्सी की तरह ऐंठ कर जमीन से लग गये। न मालूम कितने लोगों के घर का सामान बह गया। लगभग ३ बजे बाढ़ आयी और रात के १२-१ बजे तक रही। इतनी प्रलय की स्थिति थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। गरीबों के घर और लोगों का अनाज पानी, सब कुछ बह गया। लेकिन कोई कृपा अभी तक वहां नहीं हुई। राजस्व मंत्री जी ने जिले से टेलीफ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उस क्षेत्र का अभाग्य कि टेलीफ़ोन भी कटा हुआ था। कई दिन लग गये और टेलीफ़ोन नहीं मिल पाया और हमारे जिला अधिकारियों ने न मालूम कितने दिन बाद सूचना दी। अधिकारीवर्ग अब भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुन्देलखंड का करबी और मऊ क्षेत्र पड़ा हुआ है। हर माने में वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुये हैं। बरसात के दिनों में वहां आये दिन अचानक बीमारियां फ़ैलती हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो वहां है वह कही नहीं जा सकती। केवल ईश्वर के भरोसे ही लोग वहां रहते हैं। परम्परा के अनुसार वहां ऐसा विश्वास है। आपकी ओर से कोई भी सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। शासन की कृपा होनी चाहिये। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इस बार अतिवृष्टि के कारण वहां खरीफ़ नहीं हो पायी। यदि रबी के लिये बीज का इन्तजाम वहां नहीं हो पाया और बीज की कमी पड़ी तो वहां पुनः अकाल की स्थिति होगी। इसलिये शासन को आज अभी से बीज की व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिये, आवश्यकतानुसार किसानों को बीज दिये जाने की कृपा की जाय। मैं अधिक समय न लेते हुए पुनः प्रार्थना करूंगा कि इस अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर शासन ध्यान देने की कृपा करे।

श्री महादेव प्रसाद (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, हमारे यहां ३ नदियों ---सरजू, राप्ती, भाखला में बाढ़ आयी हुई है, जिनसे अधिकांश जिला क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं अपने क्षेत्र चर्दा के बारे में, जो भाखला और राप्ती नदियों के बीच में है, कहना चाहता हूं। वहां पर १९-२० की रात्रि को बाढ़ आयी और उस बाढ़ ने खेतों की फसल और गांवों के घरों को नष्ट कर दिया। बहुत से जानवरों को बहा दिया। ७ आदमी डूब कर मोगला शिकारी गांव में मर गये। लोग सड़कों पर जानवरों को लिये हुए पड़े हैं, त्राहि-त्राहि मची हुई है। भूख और प्यास से व्याकुल हैं। मैं २४ और २७ तारीख को अपने क्षेत्र में गया था। गांवों की दशा बहुत ही खराब है और बहुत से मकानात गिर गये हैं जानवरों के मर जाने से और घरों में अनाज के सड़ जाने से चारों ओर दुर्गन्ध आ रही है। लोगों की सैकड़ों वर्षों की गृहस्थी नष्ट हो गयी है। नावों की वहां इतनी कमी रही कि चार दिन तक

[श्री महादेव प्रसाद]

बाहर का कोई आदमी वहां नहीं पहुंच सका। २५ तारीख को जब थोड़ा पानी कम हुआ तब वहां उन लोगों के नाते रिश्तेदारों ने खाने की चीजों को भेजा और सरकार की ओर से भी कुछ चना आदि दिया जा रहा है। जिलाधीश से मिलने के बाद एक नाव और मिल पायी, ३-४ रोज में जब कि पानी घट गया। मरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिये जल्द से जल्द हर किस्म की सहायता पहुंचायी जाय। वहां पर जल्द ही बीमारी फैल जायगी इसलिये उसके इलाज का प्रबन्ध किया जाय।

श्री करनसिंह (जिला खीरी)--

अध्यक्ष महोदय, खीरी जिला प्रदेश का सबसे ज्यादा बाढ़-ग्रस्त जिला है। सरजू, शारदा, गेरुवा, कौड़ियाला और गोमती आदि नदियां इस जिले में से होकर जाती हैं। जिले में भी निघासन तहसील सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त है। पिछले वर्ष बाढ़ आने से निघासन मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सभी पुलिया टूट गयी थीं। रेल और वन विभागों ने तो अपनी टूटी पुलियों को बना लिया लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उनको नहीं बनाया। इन पुलियों और सड़क को जल्दी से ठीक कराया जाय। उसके कारण निघासन तहसील सब जगह से अलग हो गया है। बेलरायां-निघासन मार्ग पर जो बस चलती थी वह भी बन्द हो गयी है। निघासन और लखीमपुर खीरी का मार्ग भी बन्द है। ग्राम जसनगर, बहराइच, लखीमपुर और नैपाल तीनों मार्गों के जंक्शन पर बसा हुआ है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौड़ियाला नदी के पेट में चला गया है और वहां कोई सहायता कार्य नहीं पहुंचाया जा सका है। पता नहीं कि वहां के लोग कहां और किस दशा में होंगे? जो लिटरल सड़क लखीमपुर खीरी से बहराइच जाती है उसकी हालत यह है और वह इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि राजकीय बस जो वहां चलती थी, वह भी बन्द हो गई है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिन गांवों में पानी भर जाता है वहां गांव वाले ऊंची जमीन पर चले जाते हैं। हमारे यहां ऊंची जगह वन विभाग की है लेकिन वहां लोग मुसीबत में जा नहीं सकते है क्योंकि पिछली बार जो वन की परती भूमि पड़ी हुई है, वहां बाढ़ के समय गांव वालों ने जाकर अपने छप्पर डाल लिये थे। लेकिन जैसे ही बाढ़ खत्म हुई वैसे ही उस जमीन को खाली करने का वन विभाग द्वारा नोटिस मिल गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मुस्तकिल इलाज यह है कि जो गांव बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, उनके पास जहां कहीं वन की ऊंची जमीन हो तो लोगों को वहां बसाया जाय। उनको वहां बस रहने दिया जाय और उनको डिस्टर्ब न किया जाय।

इसके अलावा खाद, बीज और तकावी की छूट व मुल्तवी के लिये तो सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। प्रदेश भर में एक सी ही समस्या है इसलिये हमारे जिले को भी इसमें उचित हिस्सा मिलना चाहिये।

*श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न भी किया था और सिंचाई बजट वाले दिन बोलने का प्रयास भी किया था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और न मेरा प्रश्न ही स्वीकार हुआ। २ अगस्त को अध्यक्ष महोदय, बाढ़ आने के कारण कालागढ़ में जो बांध बन रहा है उसके मुख्य भाग को क्षति पहुंची है। सिर्फ क्षति ही नहीं हुई, बल्कि जो वहां पर कीमती मशीनें थीं, जैसे वाइबरेटर्स और वेल्डिंगसैट्स आदि बह गई हैं जिससे मैं राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय। उसके परिणामस्वरूप बिजनौर जिले में काफी बाढ़ आई।

अब मैं थोड़ा-सा गढ़वाल के संबंध में कहना चाहूंगा। हालांकि उसके ऊपर काफी प्रकाश माननीय मेहरबान सिंह डाल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा नगर कोटद्वार है, वहां दस दिन तक पानी नहीं मिला और तमाम वाटर सप्लाई डिसरप्ट हो गई। कोटद्वार के पास सनेह, सुखरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदि भावर क्षेत्र में पानी भर गया और दस दिन तक कोट्द्वार से जो सड़क बदरीनाथ जाती है तो दुगड्डा तक पानी भरा रहा और सारा यातायात ठप्प पड़ा रहा और टेलीफोन तक सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका। इसलिये गढ़वाल जिले को भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गिना जाय और सहायता की जाय। अन्त में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन, मैं थोड़ी बात कह कर माननीय राजस्व मंत्री तथा उपमुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। देवरिया जिले में नदियों की बाढ़ है। दो नदियां बड़ी गंडक और घाघरा हमारे लिये बड़ी अभिशाप हो गई हैं। बड़ी गंडक से बचने के लिये बड़ा यत्न किया और पैसा भी खर्च किया लेकिन इस वर्ष भी खतरा बदस्तूर दिखाई देता है कि अगर छितौनी के पास रेलवे लाइन को नदी ने काट दिया और इस पार आ गई और जो रेलवे लाइन है वह उसकी सीमा बन रही है उसके बाद देवरिया इतनी मुसीबत में पड़ जायेगा जिससे निकलना आसान नहीं होगा। मैं इस ओर सिंचाई विभाग वालों का और फ्लड कंट्रोल वालों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इससे थोड़ा सजग रहें। इस नोट में लिखा हुआ है कि छितौनी को तत्काल कोई खतरा नहीं है। बहुत संभाल कर लिखा गया है। तत्काल के माने राजस्व मंत्री समझते होंगे। तत्काल के मानी, दस दिन के बाद, एक महीने के बाद या इस बरसात, के बाद खतरा है? इसी बरसात में खतरा है तो तय कर लेना चाहिए कि यह खतरा आया तो कितना कीमती होगा। कल शायद के० एल० राव साहब आये थे। माननीय मुख्य मंत्री से बात हुई। यह अखबार में पढ़ा है। बड़ा उचित काम है। उन्होंने कहा कि फ्लड कंट्रोल के ऊपर जो पैसा मिला है उससे काम नहीं चल सकता है। सही अनुमान लगा कर अगर भारत सरकार के सामने रखें तो सम्भव है कि हमें अधिक धन मिल सके। मैं फिर दो तरफ ध्यान दिलाता हूं एक तो बरहज दूसरे भागलपुर के लिए, भागलपुर में रेलवे भी उसमें फंसी हुई है। छितौनी वगैरह और गंडक से जो खतरा है, वहां तो प्रयत्न किया नहीं जा सकता। लेकिन इन दो जगहों पर प्रयत्न किया जा सकता है। इसके लिए यत्न करना चाहिए कि इस बड़े खतरे से बचाया जा सके। इन दो बातों को कह कर मैं सोचता हूं कि तत्काल खतरे का फिर से भाष्य करा लिया जाय कि तत्काल के मानी क्या होंगे।

*श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आभारी हूं। मैं फतेहपुर जिले की ओर राजस्व मंत्री और उप मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि फतेहपुर जिले के दक्षिण में गंगा नदी बहती है और उत्तर में गंगा नदी बहती है। बीच में जिला है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे थे कि बांदा अभागा है, फतेहपुर जिले की तो गिनती ही नहीं है। उसको न पश्चिमी जिलों में ही सहायता दी जाती है और न पूर्वी जिलों में ही सहायता दी जाती है। खागा तहसील के दक्षिणी क्षेत्र में लगभग ७० गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले वर्ष वहां सूखा पड़ा था जिससे उस क्षेत्र की जनता की न खाने की समस्या का और न चारे की समस्या का कोई समाधान हो सका। रामनगर कोहन गांव में लगभग १५ घर गिर चुके हैं। इसी तरीके से रामनगर गढ़ा, दानपुर, किसुनपुर, सेवरामऊ, ऐझी, पहाड़पुर गांव पहले सूखे से प्रभावित थे और अब बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करता हूं कि जो सहायता और क्षेत्रों को दी जाय उसमें फतेहपुर को जोड़ लिया जाय। उसके साथ मैं माननीय उपमुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस सूखे क्षेत्र में थरियांव से असोथा तक विद्युतीकरण की मांग की गयी थी। लेकिन वहां केवल ११ हजार किलोवट की लाइन बिछाने की बात कही गयी है। अगर ११ हजार किलोवाट से बढ़ा कर ३३ हजार किलोवाट करने के आदेश दे दिये जायं तो जो बिजली जा रही है इससे सात हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो जायगी। खागा तहसील के उत्तरी क्षेत्र में लगभग डेढ़ हजार बीघे ऊसर पड़ा है। वह बिलकुल बेकार है। उस पर कोई उत्पादन नहीं हो पाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रजीत]

वह इस क्षेत्र में कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे उस क्षेत्र की गरीबी दूर हो सके और उसके साथ-साथ मैं अध्यक्ष जी आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बाढ़ व सूखा तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लेखपाल, एस० डी० एम० आदि पर लगाते हैं, उनको जांचने के लिए, उनको देखने के लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित कर दी जायं। जो कमेटी बाढ़ व सूखा की स्थिति का अध्ययन करके और एस० डी० एम०, एस० डी० ओ०, कानूनगो आदि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करके रिपोर्ट भेज सके जिससे उस समस्या का समाधान हो सके।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का जो आपने अवसर दिया है उसके लिए कोटिशः धन्यवाद। आज यह एक ऐसा विषय है खास कर हमारे जिला गोंडा के लिये, जिस जिले में १२–१३ लाख जनता बाढ़ से प्रभावित है जो काफी विचारणीय है। आज उनकी जो हालत है वह यह है कि आज से पहले जो लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे, आज उन्हीं लोगों के घरों में एक दाना अन्न भी उनके बच्चों के खाने के लिए नहीं है। यह भयंकर बाढ़ ऐसे आ गयी कि वह यह नहीं समझते थे कि जो उनके पास अन्न रखा है वह सारा का सारा सड़ जायगा। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो नोट कागजी वे लोग रखे हुए थे, वे भी सड़ गये। आज उनकी दशा काफी दयनीय है। मैं आप से क्या कहूं, अभी उप मुख्य मंत्री जी गये थे वहां, उनके सामने लोगों ने आंसू बहाते हुए बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कार्तिक में रबी की बुवाई के लिए बीज भी नहीं है, हम अपने बच्चों को कहीं से खिलाएं? स्कूलों की यह दशा है कि उनकी इमारतें बाढ़ में गिर चुकी हैं, वहां पर बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों की पुस्तकें और कपड़े तथा कापियां भी सड़ गई हैं। मुझे फिर आप से यही कहना है कि माननीय राजस्व मंत्री जी उनके छाने के छप्पर के लिए कोई प्रबन्ध करा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज अभी मुख्य मंत्री जी से बात चीत हुई, वह कहते हैं कि जो ६५ रुपये की लकड़ी थी अब मैं सौ रुपये की कर रहा हूं। इस महंगाई के समय में वह अपने वनों से मंगा कर उन्हें लकड़ी दें। १०० रुपये की सहायता बहुत कम है। १०० रुपये का तो बड़ेर धरन तथा थम थुनी भी नहीं मिलता है, १० रुपये की एक बल्ली भी मिलती है। आज की महंगाई को देखते हुए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी सहायता की जाय कम है। बच्चों की किताबें, कपड़ा जो पानी में गल और सड़ गई हैं उनके लिए उनकी व्यवस्था की जाए, फीस माफ की जाए, किताबें दी जाएं, लगान में छूट दी जाए और उनके खाने पीने के लिए, जब तक उनकी फसल न आवे, भोजन सामग्री दी जाए। इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि खेतिहर किसानों के पास तो कुछ है भी, लेकिन भूमिहीनों के पास कुछ भी नहीं है। उनके लिए मैं मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उनकी भी समुचित व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। किसी भी तरीके से उनकी पूरी सहायता की जाए, उनको ऋण, कर्ज या अनुदान दिया जाए, जिससे कि उनके बाल-बच्चे जी सकें और बाढ़ से जो भयंकर बीमारी फैलती है, उसके रोक थाम के लिये सरकार सजग रहे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं और खास तौर से उन सज्जनों का जिन्होंने विवाद में हिस्सा लिया और बहुत सी सूचनायें दीं। उन्होंने सुझाव भी दिये। श्रीमन्, इधर १०, १२ दिनों के भीतर सचमुच इतनी अधिक वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा से काफी ज्यादा है। एक दो जगह तो इतना अधिक पानी बरसा है और वह शायद बहराइच में १३ या १४ इंच पानी एक दिन में बरसा। पिछले महीने में पानी जोरों से नहीं बरसा और इकट्ठा एकदम बरस गया और उसकी वजह से अचानक बाढ़ें कई जिलों में आयी और हमारे प्रदेश के ५४ जिलों में से ३१ जिलों के अन्दर ऐसा है जो बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित हुये हैं केवल २३ जिले ऐसे हैं कुछ भाग्यशाली जिनमें दो चार गांवों में बाढ़ की चपेट आयी हो बाकी उनमें वास्तव में बाढ़ का उतना प्रभाव नहीं है लेकिन ३१ जिलों में बाढ़ का प्रकोप अत्यधिक है और इनमें से सबसे अधिक तीन जिले

गोंडा, बहराइच और बस्ती में सबस ज्यादा नुकसान हुआ है और करीब ६ करोड़ रुपये के नुकसान का अन्दाज लगाया जाता है।

अभी बलिया के बारे में कहा गया और यह भी कहा गया कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। श्रीमन्, आपने भी उस जिले के तीन तीन प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अवसर दिया है जब कि दूसरे जिलों के एक-एक या दो दो प्रतिनिधि ही बोले हैं। उन्होंने कहा कि वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि बस्ती से पानी गोरखपुर और देवरिया तक पहुंचा और बलिया भी उसकी चपेट में आ गया है। लेकिन अभी तक हमारी जो सूचना है उसके अनुसार गोंडा, बहराइच और बस्ती में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह नहीं है कि बलिया में कोई नुकसान ही न हुआ हो लेकिन बलिया में जो सहायता दी गयी है वह शायद बहराइच और गोंडा से कुछ कम हो लेकिन वहां पर ३० हजार रुपया तो हमने दिया जो असहाय लोगों को बांटने के लिये निःशुल्क दिया और इसी तरह से ३० हजार रुपया मिसलेनियस दिया गया है, ५० हजार रुपये की तकावी दी गयी है और यह इन दो जिलों को छोड़कर शायद सबसे अधिक बलिया में है। मैं यह कह रहा था कि जो यह आपदा आयी है वह इतनी बड़ी है कि साधारण तौर से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते और सही माने में विशेष रूप से इसका मुकाबला करना पड़ेगा और न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि गैर सरकारी स्तर पर राहत के सहायता के काम करने पड़ेंगे क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में यह विपदा है कि अकेले सरकारी कर्मचारी सब जगह नहीं जा सकते। श्रीमन्, जैसा मैंने अर्ज किया कि यह ३१ जिलों की जो रिपोर्ट है हो सकता है कि वह अन्डर एस्टीमेट हो। सरकारी कर्मचारियों के जो आंकड़े होते हैं वह अन्डर एस्टीमेट हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि सब जगह की रिपोर्ट उसमें अभी न शामिल की गयी हों। जो यह रिपोर्ट मैंने सदन के सामने रखी है उसके अन्दर अन्डर एस्टीमेट हो सकता है लेकिन फिर भी मैं बराबर यह ताकीद करता रहा हूं जैसा कि बहराइच जिले के बारे में माननीय बसन्तलाल जी ने मुझे बतलाया था तो मैंने रिपोर्ट देखी और मैंने अपने अधिकारियों से कहा था कि मुझे मालूम होता है कि कुछ जिलों के आंकड़े ऐसे हैं जिनको देखने से मालूम होता है कि शायद वह ठीक नहीं है। और उनमें से बहराइच भी है। यह हो सकता है लेकिन आमतौर पर यह रिपोर्ट जितनी है वह सही है। वह कम से कम यह बतलाती है कि कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने है।

हमारे सूबे में १२,०४६ गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे यहां फसलों का नुकसान भी जो हुआ है वह ११,०७,५४,००० रुपये का अनुमान है। मकानों का जो नुकसान हुआ है वह लगभग ६१,३६,०९१ रुपये का है। इसी तरह से क्षति को देखें और चाहे उसके विस्तार को देखें उसके लिये ४०,६७२ मकानों की रिपोर्ट है। कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है। एक बहुत बड़ी समस्या सामने है। श्रीमन्, जब यहां से २७ तारीख को छुट्टी मिली तो मैं और मुख्य मंत्री जी पूर्वी जिलों को देखने के लिये गये और करीब-करीब सभी जगह जाकर देखा। गोरखपुर और वाराणसी में अधिकारियों से बात की। उनसे बात करने पर जो उन्होंने मांग की उसको ही पूरा करने का प्रयत्न किया गया और उनसे कहा गया है कि वे अपने जिले में आप भी प्रयत्न करें और गैर सरकारी सहायता का भी संगठन करें। जो अभी भी फ्लेड कमेटी बनी हुई हैं जिले के स्तर पर उनको बढ़ा कर तहसील के स्तर पर और ब्लाक के स्तर पर भी कमेटी बनाई जायं और लोगों को सहायता पहुंचाई जाय। ९ मई को यहां से आदेश गये थे कि बाढ़ कमेटीज की मीटिंग करें और जून के पहले हफ्ते में करीब-करीब सभी बाढ़ कमेटीज की मीटिंग हुई है। बसन्तलाल जी ने कहा कि उनके यहां नहीं हुई। मेरे पास सूचना है कि बहराइच में ६ जून को मीटिंग हुई। जहां मीटिंग न हुई हो सूचना देंगे तो उस पर पूरी-पूरी कार्यवाही की जायगी। उसमें ताकीद कर दी गयी थी और रुपया भी मंडल आयुक्तों के पास और जिलाधीश के पास हिफाजत के लिये रख दिया गया था ताकि वे सहायता के लिये खर्च कर सकें। उनसे कहा गया था कि जो और सहायता की जरूरत होगी वह जहां तक होगा दी जायगी। नाव का भी प्रबन्ध कर दिया गया था। पहले ही नाव का प्रबन्ध है लेकिन हर गांव सभा ने नाव की मरम्मत नहीं कराई। हर गांव सभा के पास एक दो नाव रहती हैं। जिसने उसकी मरम्मत नहीं कराई तो यह कमी रही लेकिन यहां से आदेश हुये थे कि नाव की

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इन्तजाम करें। आम तौर पर जो और सहायता की बात कही गई वह सब हमारे सामने आई थी। मकान गिरने की सहायता की बात भी आई। जिला अधिकारियों से कहा है कि वन विभाग से कंसेशन रेट पर लकड़ी दिलायें। अभी तक कच्चे मकानों के लिये ६५ रुपया सहायता थी। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा कर १०० रु० कर दिया जाय ताकि कुछ राहत मकान बनाने में लकड़ी के लिये मिल सके। मकान की जमीन के बारे में आम लोगों की आदत है कि अपने पुराने मकान को नहीं छोड़ते हैं। उसी पुराने मकान में रहना चाहते हैं लेकिन जो बनाना चाहेंगे उनके लिये गांव सभा को सलाह दी जायगी कि जिनके पास जमीन नहीं है वह मकान बनाना चाहें तो उनको मकान बनाने के लिये जमीन दें। जहां तक हरिजनों का सवाल है, जिन जिलों में चकबन्दी हो रही है उनमें पहले से ही आदेश कर दिये हैं कि हरिजनों को खास तौर से अधिक से अधिक जमीन अलग से उनके लिए अलाट की जाय। गांव की बस्ती के लिए तो दी ही जाय और साथ ही हरिजनों की आबादी के लिए जितनी जरूरत हो उसके अनुसार अलहदा से दी जाय। दूसरे, हर जगह जहां नुकसान हुआ है मालगुजारी, तकावी चाहे करंट हो या एरियर्स-सब मुल्तवी कर दिये गये हैं अगली फसल के लिए। क्योंकि फसल का ज्यादा नुकसान कहीं कहीं हुआ है तो जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि एप्रूव्ड बीज, तरक्कीशुदा जहां अच्छे सिचाई के साधन हों वहां अधिक से अधिक मात्रा में दिये जायं और देशी बीज जहां कम मालूम होता हो वहां दिये जायं और कृषि विभाग से या कोआपरेटिव विभाग से यह कार्य कराया जाय और कोई भी किसान ऐसा न रहे जिसकी जमीन बीज की कमी के कारण रह जाय।

शिक्षा के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बतला दिया। जो मांग की गयी थी तो दिसम्बर तक का रखा गया है। जिन मौजों में फसल नहीं आयेगी तब तक शिक्षा की सुविधा दी गयी है हम कोशिश करेंगे कि पूरे ऐकेडेमिक ईयर के लिए वह सुविधाएं निर्धन विद्यार्थियों को जो दी गयी हैं वह दी जायं। खास तौर से अब मैं दो चार जिलों के बारे में बतला देना चाहता हूं कि इन जिलों में जितनी जरूरत है उसके अनुसार हो सकता है कि हम पूरा न कर सकें, लेकिन अधिक से अधिक सहायता उनको दी जायगी। अन्देशा था कि गोरखपुर, बलिया, देवरिया वगैरह में जो नीचे पड़ते हैं उनमें शायद बाढ़ आये, तो उनमें प्रिकाशंस ले ली गयी हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि हम नावें नहीं जुटा सके तो बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए हमने सेना से भी सहायता ली है और ८ उनकी मोटर बोट्स, एक इंजीनियर साहब---चार गोंडा के लिए और ४ बस्ती के लिए वहां भेजे हैं और उनसे सहायता का कार्य हो रहा है। जहां तक मनुष्यों की मृत्यु की बात है तो ३२ की रिपोर्ट है। हो सकता है कहीं जैसा कि एक सज्जन ने बतलाया बिजली के खम्भे से कुछ लोग भिड़ गये और ३-४ आदमी मर गये, तो ऐसा कुछ जगह हुआ हो। और ज्यादातर मौतें ऐसे हुईं कि पानी बरसा और बाढ़ का एक तरफ से प्रकोप हुआ, उधर घर गिरे, उसी से लोग मर गये। एक आफत की चीज है यह, उसको बढ़ा कर कहने से या कम करके कहने से कोई फायदा नहीं, उसका मुकाबला करना है। उसके लिए १५ लाख से ऊपर रुपया तो निःशुल्क बांटने के लिए रखा गया है और १४ लाख के ऊपर तकावी, वगैरह देने के लिए दिया है। लेकिन रुपये का सवाल तो यह है कि जितनी जहां से जरूरत होगी जिन-जिन बातों को और माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है जितना गवर्नमेंट कर सकेगी पूरी-पूरी मदद वहां की जायगी।

श्रीमन्, हमारा नहर विभाग भी काफ़ी सचेष्ट है। जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा उनके यहां का छितौनी बांध हो या गोरखपुर का बांध हो या बलिया के जो दो, तीन बांध हैं इनके लिए बराबर आज से नहीं पहले से कोशिश हो रही है और इंजीनियर्स, वगैरह वहां जा चुके हैं और उनकी मरम्मत का इन्तजाम करते हैं। कोई नहीं चाहता कि वह बांध टूट जायं। हर मुमकिन, जितने मनुष्य के अधिकार में है, कोशिश की जा रही है कि इन बांधों को रोका जाय। उनके लिए स्पर्स बनाये जा रहे हैं। बालू की बोरी डाली जा रही है। जो बाढ़ आई है उससे कोई खतरा नहीं हो सकता है यह भविष्य की बात जानना तो जरा मुश्किल

है। अनुमान से जो किया जा सकता है वह श्रीमन्, किया जायगा। दूसरी बात, श्रीमन् यह कही गई कि नीचे के लोग बहुत कम रिपोर्ट देते हैं और ऊपर के अधिकारी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अभी-अभी मैंने स्वयं आदेश दिए हैं कि जिला अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर्स और तहसीलदार जहां तक हो सके परसनली इंस्पेक्शन करें और दूसरे की रिपोर्ट पर कम रिलाई करें। यह बात सही है कि माननीय सदस्यों की जानकारी ज्यादा है लेकिन जितना अनुभव से और अपने इमैजिनेशन से हम लोग विचार कर सकते हैं क्योंकि हम लोग भी वहां से गुजरे हैं वह करते हैं और उसके आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों को सचेत रखें। मुझे ताज्जुब हुआ कि बस्ती जिले के जिलाधिकारी, हमारे माननीय पांडेय जी ने जो बातें कहीं, उनका जो व्यवहार था अगर वास्तव में वह चीजें हैं तो बहुत बुरी चीज है और उसके लिए हम जांच करायेंगे और उनको इस बात के लिए अगर सही साबित हुई तो तनवीह की जायगी। ज्यादा डिटेल में आपके सामने जो बयान गया है उसमें है और वह सभी माननीय सदस्यों को भेज दिया गया है। सहायता के बारे में भी अगर ज्यादा आंकड़े दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं है सिर्फ़ इतना कह सकता हूं कि बलिया के लिए ३०,००० रु० निःशुल्क सहायता जो गरीबों को बांटी जाती है, ३०,००० रु० मिसलेनियस और ५०,००० रु० तकावी के लिए दिया गया है और इसी तरह से गोंडा के लिए दो लाख साठ हजार मुफ्त बांटने के लिए दिया है और २७,००० मिसलेनियस में दिया है और तकावी के आंकड़े नहीं हैं कि कितनी बांटी जा चुकी है। इलाहाबाद के बारे में कहा गया कि मध्यम स्तर की बाढ़ है। यह तो नाप तौल की बात है। जो बाढ़ आती है उसकी नाप की जाती है कि इतना लो लेविल कहलायेगा, इतना मिडिल कहलायेगा और इतना हाई फ्लड कहलायेगा। तो उस हिसाब से अगर मध्यम का आया तो यह खुशी की बात है। यह सौभाग्य की बात है कि ज्यादा फ्लड नहीं हुआ, अगर ज्यादा फ्लड होता तो ज्यादा नुकसान होता। फ़िर इलाहाबाद के लिये जो बात कही गयी, सबसे ज्यादा इलाहाबद को ही रुपया दिया गया है। ७७ हजार रुपया निःशुल्क बांटने के लिये दिया गया है औरवाह रुपया किसी से वसूल नहीं होना है। जो भयानक बाढ़ आयी, चाहे इलाहाबाद में आयी हो, चाहे बलिया में आयी हो, चाहे गोंडा या बहराइच में आयी हो, हमारे लिये सब मुश्किलजदा बराबर हैं। आपका यह कहना स्वाभाविक है कि जो आंख से किसी मुसीबत को देखता है उसके दिल पर ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया होती है बनिस्बत सुनने वाले के। हम कोशिश करेंगे कि हमारे अधिकारी सुनी हुई बात पर न रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा देख सकते हों देखने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब वे अपने-अपने इलाके में जायं तो इस आपदा का मुकाबला करने के लिये कुछ स्थानीय सहायता संगठित कर सकते हों तो करें, नहीं तो कम से कम जो सही स्थिति हो और अधिकारियों ने जो कहीं गड़बड़ी की हो या लापरवाही की हो, या और कोई चीज उनकी तरफ़ से की गयी हो, उसकी सूचना मुझे दें और जो चीजें जरूरी हों, वे आकर बतलायेंगे या लिख कर भेजेंगे तो उस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायेगा और हम आशा करते हैं कि हम सब लोग मिल कर जो आपदा आयी है उसका पूरा मुकाबला कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुबह से अभी तक बैठ कर इस तरह की दिलचस्पी ली।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने भूमिहीनों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही कि कहां से उनको कर्जा मिलेगा और उनको मकान बनाने के लिये कितनी सहायता मिलेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

भूमिहीनों को जहां तक तकावी वगैरह का सम्बन्ध है वह तो नहीं है लेकिन जो निस्सहाय सहायता है वह करीब-करीब बराबर दी गयी है और वह उनसे वापस नहीं लिया गया है। जो गरीब हैं, हरिजन हैं उनको हम काफ़ी निस्सहाय सहायता देंगे और काफ़ी रकम दी गयी है। जैसा कि मैंने अभी-अभी बतलाया कि करीब-करीब १५ लाख रुपया अभी तक सभी जिलों को दे चुके हैं और यदि भूमिहीनों के लिये और ज्यादा सहायता की जरूरत होगी तो वह भी देंगे।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

नयी पालिसी के अनुसार तो अब उनको बैंकों से कर्जा भी मिल सकेगा। जो कुछ अच्छी स्थिति में होंगे उनको बैंकों से साढ़े ९ प्रतिशत सूद पर कर्जा मिल सकेगा और मकान बनाने, वगैरह के लिये भी सहायता दी जायगी।

भूसे व गल्ले के बारे में भी कहा गया। सारी पूर्वी जिले के लिये भूसे के लिये हमने एक ठेकेदार मुकर्रर कर दिया है और हर जिलाधिकारी को आदेश दे दिया गया है कि जितनी उनको जरूरत हो वह उस ठेकेदार से ११ रुपये ४५ पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से ले सकेंगे। इसी तरह से सस्ते गल्ले की दूकानें भी हर जगह खोली जायेंगी और उसमें भी भूमिहीनों को सहायता मिल जायेगी।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बलिया जिले के बारे में निवेदन किया था कि जो सूचना जिलाधिकारी ने दी है वह सही नहीं है। मैंने नाम दे कर पूछा था और फिर पूछ रहा हूं कि कर्ण छपरा के एक नागा बाबा की मौत बाढ़ की वजह से हो गयी, क्या छपरा के सरपंच के लड़के की मौत हो गयी और एक दूसरे इब्राहीमाबाद मौबरार गांव के दो कृषकों की मृत्यु पानी में बिजली का करेंट लग जाने की वजह से हो गयी और सैकड़ों मवेशी मर गये हैं। जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है और आप को अंधकार में रखा है अब उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेंगे। जैसा मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो गलत सूचना देंगे और लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ़ कठोर कार्यवाही की जावेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह मौतें सही हैं और आपके अधिकारियों ने सूचना नहीं दी है तो क्या आप उनके खिलाफ़ कठोर कार्यवाही करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय सदस्य ने जहां-जहां की मौतें बतलाई हैं मैं उनकी जांच करूंगा। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने कहा तो वह सक्षम हैं। बड़े-बड़े अधिकारी हमारे पास रिपोर्टें भेजते हैं। मुख्य मन्त्री जी की घोषणा सब अधिकारियों पर लागू होती है।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, अकरी, लतरी और जौ का मिश्रित अन्न बंटवाया गया। कुडरहा नौरार मौजा में डिप्टी कलेक्टर ने एक बड़े काश्तकार को ५०० रु० दिया इस मिश्रित अन्न को बांटने के लिए। जब डिप्टी कलेक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि उपदेश की जरूरत नहीं है। मैंने उनको गौचना समझा। मैंने उसका नमूना भी दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उसकी वे जांच करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उस काश्तकार का नाम भी बतला दीजिएगा।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

अन्य जिलों की भांति जहां पर बाढ़ आयी है तो हमारे यहां शिक्षा शुल्क की माफ़ी के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया। क्या मंत्री जी वहां के लिये भी कोई ऐसा आश्वासन देने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जहां-जहां जिन जिलों में बाढ़ आयी है तो अगर वह वहां लागू होगा तो आपके यहां क्यों नहीं लागू होगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२९ अगस्त, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

सं० १३-१(२२)/६७-१ग-

प्रेषक,

श्री अतहर हुसैन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश,
खण्ड-११, लखनऊ ।

राजस्व (ग) विभाग दिनांक, लखनऊ, २७ अक्तूबर, १९६७ ।

विषय--तराई भावर सरकारी आस्थान जिला नैनीताल के खाम क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर उठाने की नीति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीताल जिले के तराई भावर सरकारी आस्थान के खाम क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के एलाटमेंट के सम्बन्ध में इस समय प्रचलित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिया है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि अब केवल कुमायूं मण्डल के स्थायी निवासियों को ही जो निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हों, दी जावेगी :--

(क) भारत सरकार की थलसेना, जल सेना तथा वायुसेना की सेवा में होते हुये शत्रु से लड़ते समय वीरगति पाने वाले व्यक्ति की पत्नी, पुत्र, अविवाहिता लड़की, पिता अथवा माता में से कोई एक जो उस पर पूर्णतया निर्भर हो ।

(ख) राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र अथवा वीर चक्र से विभूषित व्यक्ति ।

(ग) नैनीताल जिले के ऐसे निवासी जिनकी भूमि किसी जनोपयोगी कार्य के लिये किसी भी कानून के अन्तर्गत अध्याप्त कर ली गई है ।

(घ) भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो मजदूरी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यवसाय या पेशे में नहीं लगे हैं ।

(ङ) स्थल सेना, जल सेना अथवा वायुसेना की सेवा में लगे हुये ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं अपने नाम अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम कुछ भी भूमि नहीं है ।

२--भूमि के इच्छुक व्यक्तियों में से चुनाव पैरा १ में वर्णित भिन्न श्रेणियों के क्रम से प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा ।

एक ही श्रेणी के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की दशा में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भूमि दी जावेगी ।

३--किसी भी व्यक्ति को दस एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जावेगी तथा पट्टे की अन्य शर्तें वही होंगी जो खास क्षेत्र में इस समय लागू हैं।

४--किसी भी ग्राम में उतनी ही भूमि अब पट्टे पर उठायी जागी जिस के उठाने के बाद भी गांव में जोतों में सम्मिलित भूमि तथा आबादी के अतिरिक्त कुल गांव के क्षेत्रफ़ल का दस प्रतिशत क्षेत्र भविष्य में नियोजित उपयोग के लिये बच रहे। तात्पर्य यह है कि उन भागों में जहां जोतों तथा आबादी से बचा हुआ क्षेत्रफ़ल दस प्रतिशत से कम है, कोई पट्टे नहीं दिये जावेंगे और अन्य ग्रामों में केवल उतनी ही भूमि पट्टे पर उठायी जावेगी जिसको वर्तमान जोतों में सम्मिलित कर लेने के बाद, आबादी के अतिरिक्त कुल ग्राम की दस प्रतिशत क्षेत्रफल खाली रहे।

५--परिषद् कृपया उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन के लिये विस्तृत निदेश जिलाधिकारी को प्रसारित कर दे।

आपका विश्वासपात्र,
अतहर हुसैन,
राजस्व सचिव।

सं० १३-१(२२) (१)/१ग-तद् दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को उनके अर्धशासकीय पत्र सं० ७६४/९-१८७-५, दिनांक ११ अगस्त, १९६७ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
सुरेशचन्द्र मिश्र,
विशेष कार्याधिकारी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

विधान सभा में ५ वें शुक्रवार के लिये श्री हरिवंश सहाय द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

गत्यावधि चुनाव के उपरान्त बी० टी० सी० प्रत्याशियों के भर्ती के नियमों में मुख्यरूप से निम्न संशोधन किये गये हैं :--

१--सचिवालय स्तर पर मनोनयन की प्रथा पुनः प्रारम्भ हुई।

२--जिला चुनाव समितियों में जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्थान पर जिला परिषदों के अध्यक्षों को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

३--जिला चुनाव समिति को यह आदेश दिया गया कि चुनाव 'श्रेणी' तथा 'प्राप्तांक' के आधार पर किया जावे। अर्थात् सर्वप्रथम उच्चतम परीक्षा से निम्नतम परीक्षा के क्रम में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी प्राप्तांक के आधार पर चुने जावें। इसके उपरान्त इसी आधार पर द्वितीय श्रेणी तथा अन्त में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी चुने जावें।

इन नियमों के पूर्व चुनाव का आधार अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा था। अर्थात् किसी उच्च परीक्षा के सभी 'श्रेणियों' में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को चुन लेने के उपरान्त ही उससे निम्न योग्यता के अभ्यर्थी चुने जाते थे। उदाहरणार्थ इस नियम में कमी यह थी कि बी० ए० तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसने इंटर व हाई स्कूल भी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया चुन लिया जाता था परन्तु इन्टर मीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चुनाव उसके तुलना में नहीं हो पाता था। अतः चनाव 'श्रेणी' तथा 'प्राप्तांक' के आधार पर करने का आदेश दिया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०१ पर)

क्रम-संख्या	हरिजन बस्तियों के नाम	अनुदान स्वीकृत करने की तिथि	स्वीकृत किया गया अनुदान	तिथिवार भुगतान की गई अनुदान की धनराशि		भुगतान किये गये अनुदान की कुल धनराशि	स्वीकृत मकानों की संख्या	हरिजन बस्तियों के निर्माण की स्थिति	
				तिथि	धनराशि			पूर्ण	अपूर्ण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु०		रु०	रु०			
१	जैतीपुर, कठार सदर ..	१५-१-६३	७,५००	३०-३-६३	६,५००	६,५००	१०	१०	..
२	परसघ, पट्टी ..	१५-१-६३ तथा २-३-६३	११,२५०	३०-३-६३ ३१-३-६३	५,८५० ३,९००	९,७५०	१५	१५	..
३	नौडेरा सुबंसा ..	१५-१-६३	७,५००	३१-३-६३	६,५००	६,५००	१०	६	४
४	पतलको लक्ष्मणपुर ..	२२-२-६४	३,७५०	१७-६-६४	३,२५०	३,२५०	५	५	..
५	सराय उगई ..	२२-२-६४	७,५००	७-१-६५ १३-१-६५ ११-२-६५ २०-२-६५	२७० ७५० २५० २५०	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश सभा

				१९–३–६५	१,०५०	४,४७०	१०	९	१
				१७–१२–६५	२००	..	..	..	..
				१०–३–६६	१५०	..	..	..	..
				१६–४–६६	४००	..	..	..	..
				१९–९–६६	१,१५०	..	..	..	..
६	पहलमापुर	.. २०–३–६६	६,०००	३०–५–६६	१,५००	१,५००	८	..	८
७	राजापुर	.. २०–३–६६	५,२५०	८–८–६६	३५०	..	..	..	..
				१५–९–६६	१,२५०	१,८५०	७	७	..
				२६–१०–६६	२५०	..	..	..	..
	कुल ७ बस्तियां		४८,७५०		३३,८२०	३३,८२०	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०१ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

अध्यापिका का नाम		वेतन रुकने का कारण
१—	सुश्री कौशिल्या देवी	.. विद्यालय से अनुपस्थिति।
२—	,, मंजुलता श्रीवास्तव	.. निलम्बित होने।
३—	,, आशा जयोता	.. अनुपस्थित रहने।
४—	,, रामरती	.. ,, ,,
५—	,, शकुन्तला देवी	.. निलम्बित होने।
६—	,, शान्ती देवी	.. अनुपस्थित रहने
७—	,, कुन्ती देवी	.. ,,
८—	,, ओममूर्ति ीक्षित	.. ,,
९—	,, राजेश्वरी देवी	.. ,,
१०—	,, विद्यावती देवी ..	.. ,,
११—	,, अनीस बेगम ..	.. ,,
१२—	,, कमला प्रभू सिंह	.. एक महीने का नोटिस न देकर त्याग पत्र देने।
१३—	,, मनोरमा शर्मा	.. रोगावकाश स्वीकृत न होने।
१४—	,, निर्मल सक्सेना	.. प्रसवकालीन अवकाश स्वीकृत न होने।
१५—	,, सरस्वती देवी	.. ,, ,, ,, ,, ,,
१६—	,, राजेश्वरी देवी	.. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना न भेजने।
१७—	,, शान्ती देवी	.. ,, ,, ,,
१८—	,, रूपवती देवी	.. रोगावकाश स्वीकृत न होने।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०६ पर)

तालिका 'क'

क्रमांक	फर्मों के नाम जिनके पक्ष में ऋणी सदस्यों ने माल प्राप्त करने हेतु चेक पृष्ठांकित किया		ऋणी सदस्यों की संख्या जिन्होंने अपनी इच्छानुसार पृष्ठांकित चेक प्राप्त किये	धनराशि
१	२		३	४
				०
१	यूनिवर्सल मशीनरी स्टोर,	सुल्तानपुर ..	५	१६,८००.००
२	जनता मशीनरी स्टोर	,, ..	२	७,४००.००
३	सिंह बेल्डिंग कम्पनी	,, ..	४	१३,७००.००
४	यस० के० ई० स्टोर	,, ..	३	६,४३४.००
५	टी० बी० ई० कार्पोरेशन	,, ..	६	२८,३६७.००
६	तेग बहादुर मशीनरी स्टोर	,, ..	७	१६,४००.००
७	सुल्तानपुर मशीनरी स्टोर	,, ..	२	७,३००.००
८	ज्वाला मशीनरी स्टोर	,, ..	८	२४,६५०.००
६	न्यू मशीनरी सेल्स कारपोरेशन	,, ..	३	८,१००.००
१०	मशीनरी सेल्स कोपोरेशन, सुल्तानपुर	,, ..	१	४,७००.००
११	कानपुर इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, प्रतापगढ़	..	१	३,०००.००
१२	जनरल मशीनरी स्टोर, सुल्तानपुर ..	..	३	५,२६४.००
१३	किसान मशीनरी कम्पनी, सुल्तानपुर ..	..	२	३,६००.००
		योग ..	५०	१,५४,०४५.००

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०६ पर)

तालिका 'ख'

नाम		कार्य	धनराशि रु०	दिनांक
सर्वश्री फतेहबहादुर सिंह	..	नलकूप	५,०००.००	२४-३-१९६९
,, रामखेलावन	..	,,	३,२००.००	२४-३-१९६९
,, झब्बर दूबे	..	,,	३,६००.००	२४-३-१९६९
,, मोहिउद्दीन	..	पंपिंगसेट	२,८००.००	२४-३-१९६९
,, राम समुझ	..	नलकूप	२,२००.००	२४-३-१९६९

अविकल प्रति

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६½२ एल० ए०—१९६९—९७० ।